इग्नू
जन–जन का
विश्वविद्यालय

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
शिक्षा विद्यापीठ

बी.ई.एस.सी.-132
शिक्षा का स्वरुप और प्रबंधन

खंड 1
संवैधानिक प्रावधान एवं नीतिगत परिप्रेक्ष्य

खंड 2
विद्यालयी शिक्षा का स्वरुप और प्रबंधन

खंड 3
उच्च शिक्षा का स्वरुप और प्रबंधन

खंड 4
शैक्षिक प्रबंधन में समकाली धाराएँ

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

विशेषज्ञ समिति

प्रो. लोकेश कुमार वर्मा
पूर्व संकायप्रमुख (शिक्षा), जम्मू विश्वविद्यालय,
जम्मू (अध्यक्ष)

प्रो. पी.के. साहू
पूर्व विभागाद्यक्ष (शिक्षा)
इलाहाबाद विश्वविद्यालय

प्रो. हरजीत कौर भाटिया
शिक्षा विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया
नई दिल्ली

प्रो. निधिबाला
पूर्व विभागाद्यक्ष (शिक्षा)
लखनऊ विश्वविद्यालय

प्रो. स्वराज बसु
सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. संतोष पांडा
स्ट्राइड, इग्नू
(पूर्व अध्यक्ष, रा.अ.शि.प. नई दिल्ली)

प्रो. विजयशेखर रेड्डी
सी.बी.सी.एस. स्नातक उपाधि कार्यक्रम समन्वयक,
सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. रश्मि सिन्हा
निदेशक, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. डी. वेंकटेश्वरवरलू
निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू

प्रो. विभा जोशी
शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू

प्रो. एन.के. दाश
शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू

प्रो. सरोज पांडेय
(सेवानिवृत्त प्रोफेसर), शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू

प्रो. अमिताव मिश्रा
शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू

प्रो. निर्मला यलवर्थी
शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू

प्रो. सुतपा बोस
शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू

श्रीमती पूनम भूषण
उपाचार्य, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू

डॉ. आयशा कन्नडी
उपाचार्य, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू

डॉ. एम.वी. लक्ष्मी रेड्डी
उपाचार्य, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू

डॉ. गौरव सिंह
सहायकप्राध्यापक, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू

डॉ. एलिजाबेथ कुरुविला
सहायकप्राध्यापक, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू

डॉ. अंजुली सुहाने
सहायकप्राध्यापक, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू

श्री अजित कुमार सी.
सहायकप्राध्यापक, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू

डॉ. निराधार डे
कला में स्नातक कार्यक्रम में शिक्षा विषय के
समन्वयक, सहायकप्राध्यापक, शिक्षा विद्यापीठ,
इग्नू

कार्यक्रम समन्वयक

डॉ. निराधार डे
कला में स्नातक कार्यक्रम में शिक्षा विषय के समन्वयक

पाठ्यक्रम समन्वयक

डॉ. गौरव सिंह
शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू

खंड निर्माण दल खंड 1

इकाई 1: डॉ. अंजुली सुहाने, सहायकप्राध्यापक, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू

इकाई 2: प्रो. विशाल सूद, शिक्षा विद्यापीठ, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय

इकाई 3: डॉ. आद्याशक्ति राय, एसोसिएट प्रोफेसर, शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

डॉ. गौरव सिंह, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

इकाई 4: डॉ. विवेक सिंह, सहायक प्राध्यापक,, राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश

विषयवस्तु संपादनः प्रो. सरोज पांडे, पूर्व निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

हिंदी अनुवाद

इकाई 1: डॉ. प्रेरणा मन्ध्यान, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, डी.एस. महाविद्यालय, कटिहार, बिहार

इकाई 2: डॉ. प्रेरणा मन्ध्यान, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, डी.एस. महाविद्यालय, कटिहार, बिहार

इकाई 3: डॉ. सुनीता सुंदरियाल, सहायक प्रोफेसर, HLYBDC, लखनऊ विश्वविद्यालय

इकाई 4: डॉ. सुनीता सुंदरियाल, सहायक प्रोफेसर, HLYBDC, लखनऊ विश्वविद्यालय

हिंदी भाषा संपादन, प्रारूप संपादन और पुनरावलोकनः डॉ. गौरव सिंह, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

खंड निर्माण दलः खंड 2

इकाई 5: डॉ. प्रतीक उपाध्याय, सहायक प्राध्यापक, के.एन. राजकीय पी. जी. महाविद्यालय, ज्ञानपुर, भदोही, उ.प्र.

इकाई 6: डॉ. परगट सिंह गरचा, सहायक प्राध्यापक, जीएचजी खालसा महाविद्यालय ऑफ एजुकेशन, गुरुसर सदर (पंजाब)

इकाई 7: डॉ. रूचि दुबे, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इकाई 8: डॉ. गौरव राव, एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय, म.ज्यो.फुले. रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली (प्रो. वंदना सिंह द्वारा बृहद परिवर्तन)

विषयवस्तु संपादनः प्रो. वंदना सिंह, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

हिंदी अनुवाद

इकाई 5: डॉ. चंपा पन्त, पूर्व प्रवक्ता, एस.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

इकाई 6: डॉ. आरती आनंद, पोस्ट डाक्टरल फेलो, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला

इकाई 7: डॉ. सुनीता सुंदरियाल, सहायक प्रोफेसर, HLYBDC, लखनऊ विश्वविद्यालय

इकाई 8: डॉ. प्रेरणा मन्ध्यान, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, डी.एस. महाविद्यालय, कटिहार, बिहार

हिंदी भाषा संपादन, प्रारूप संपादन और पुनरावलोकनः डॉ. गौरव सिंह, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

खंड निर्माण दलः खंड 3

इकाई 9: डॉ. ऋषभ कुमार मिश्रा, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अन्तराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)

इकाई 10: डॉ. सुहासिनी बाजपेयी, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अन्तराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)

इकाई 11: डॉ. प्रेरणा मन्ध्यान, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, डी.एस. महाविद्यालय, कटिहार, बिहार
(सुश्री पूनम भूषण, एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विद्यापीठ द्वारा बृहद परिवर्तन)

इकाई 12: डॉ. गौरव सिंह, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

विषयवस्तु संपादनः सुश्री पूनम भूषण, एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

हिंदी अनुवाद

इकाई 9: डॉ. सुनीता सुंदरियाल, सहायक प्रोफेसर, भ्स्ल्ठक, लखनऊ विश्वविद्यालय

इकाई 10: डॉ. सुनीता सुंदरियाल, सहायक प्रोफेसर, भ्स्ल्ठक, लखनऊ विश्वविद्यालय

इकाई 11: डॉ. रितिका शर्मा, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, एमिटी विश्वविद्यालय, नॉएडा

इकाई 12: डॉ. प्रेरणा मन्ध्यान, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, डी.एस. महाविद्यालय, कटिहार, बिहार

हिंदी भाषा संपादन, प्रारूप संपादन और पुनरावलोकन: डॉ. गौरव सिंह, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

खंड निर्माण दल: खंड 4

इकाई 13: पाठ्यक्रम: बी.ई.एस.–००४: समकालीन भारतीय समाज और शिक्षा, से लिया गया

इकाई 14: डॉ. सुनीता सुंदरियाल, सहायक प्रोफेसर, भ्स्ल्ठक, लखनऊ विश्वविद्यालय

इकाई 15: डॉ. पतंजलि मिश्रा, सहायक प्रोफेसर, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा

इकाई 16: डॉ. निशा सिंह, (उपनिदेशक), ऑनलाइन शिक्षा केंद्र, इग्नू द्वारा मूल रूप से बी.एड. पाठ्यक्रम बी.ई.एस.ई.–१३५ के लिए लिखा गया.

विषयवस्तु संपादन: प्रो. सरोज पांडे, पूर्व निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

हिंदी अनुवाद

इकाई 13: डॉ. पतंजलि मिश्रा, सहायक प्रोफेसर, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा

इकाई 14: डॉ. ऋषभ कुमार मिश्रा, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अन्तराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)

इकाई 15: डॉ. समर यादव, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अन्तराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)

इकाई 16: बी.एड. पाठ्यक्रम बी.ई.एस.ई.–१३५ से लिया गया

हिंदी भाषा संपादन, प्रारूप संपादन और पुनरावलोकन : डॉ. गौरव सिंह, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

सामग्री निर्माण

श्री एस.एस.वेंकटाचलम
उप कुलसचिव (प्रकाशन)
एम.पी.डी.डी., इग्नू, नई दिल्ली

श्री सुधीर कुमार
सहायक कुलसचिव (प्रकाशन)
एम.पी.डी.डी., इग्नू, नई दिल्ली

अप्रैल, 2021

© इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 2021

ISBN:

सर्वाधिकार सुरक्षित, इस कार्य का कोई भी अंश किसी भी रूप में पुनः प्रकाशित नहीं किया जा सकता, अनुलिपिक या किसी अन्य साधन द्वारा।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बिना किसी लिखित आदेश व पुनः इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कोर्स की सूचना विश्वविद्यालय के मैदान गढ़ी कार्यालय, नई दिल्ली-110068 के द्वारा प्राप्त की जा सकती है अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://www.ignou.ac.in देखें

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की ओर से निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

लेजर टाइप सेटिंग : टेसा मीडिया एण्ड कंप्यूटर्स

मुद्रित :

पाठ्यक्रम परिचय

पाठ्यक्रम **''शिक्षा का स्वरुप एवं प्रबंधन''** की अवधारणा भारत में शैक्षिक प्रणाली के अलग–अलग स्तरों को समझने में शिक्षार्थियों को मदद प्रदान करने के उद्देश्य से की गयी है। पाठ्यक्रम न केवल विभिन्न स्तरों, जैसे–विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, पर शिक्षा के स्वरुप की चर्चा करता है, साथ ही यह भारत में शिक्षा के प्रबंधन में शामिल विभिन्न निकायों और प्रणालियों की रूपरेखा भी प्रदान करता है.

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद, शिक्षार्थी

- शिक्षा से जुड़े विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करेंगे,
- विभिन्न शैक्षिक आयोगों और समितियों की सिफारिश पर गंभीर रूप से प्रतिबिंबित चिंतन करेंगे,
- विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के प्रबंधन पर चर्चा करेंगे,
- पूर्व–प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक शैक्षिक संरचना का विश्लेषण करेंगे, तथा
- शैक्षिक प्रबंधन में उभरती प्रवृत्तियों की और उनके निहितार्थ की गंभीर रूप से जाँच करेंगे।

इस पाठ्यक्रम की पाठ्यसामग्री **चार खण्डों** और **सोलह इकाईयों** में नियोजित की गई है। पाठ्यक्रम का पहला खंड शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों, विभिन्न शैक्षिक आयोगों की अनुसंशाओं और शैक्षिक नीतियों पर केंद्रित है। भारत में, शिक्षा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए शिक्षा के प्रबंधन की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों पर है। दूसरा खंड प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर विद्यालयी शिक्षा के शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है जो इस पर विस्तार से प्रकाश डालता है । पाठ्यक्रम का तीसरा खंड उच्च शिक्षा और वृत्तिक शिक्षा की संरचना और प्रबंधन से संबंधित है। पाठ्यक्रम का चौथा खंड शैक्षिक प्रबंधन में हाल के रुझानों और हस्तक्षेपों जैसे, वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण और निजीकरण, गुणवत्ता का प्रबंधन और उसे सुनिश्चित करना, संस्थागत उत्तरदायित्व और स्वायत्तता की भूमिका और शैक्षिक प्रबंधन के लिए सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का उपयोग, आदि की चर्चा करता है। विस्तृत पाठ्यक्रम संरचना इस प्रकार है ।

खंड 1: संवैधानिक प्रावधान एवं नीतिगत परिप्रेक्ष्य

इकाई 1: शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान

इकाई 2: शैक्षिक आयोग एक समालोचना

इकाई 3: भारत में शैक्षिक नीतियां

इकाई 4: शिक्षा में उभरते मुद्दे और चिंताएँ

खंड 2: विद्यालयी शिक्षा का स्वरुप और प्रबंधन

इकाई 5: भारत में विद्यालयी शिक्षाः एक अवलोकन

इकाई 6: पूर्व–प्राथमिक और प्रारम्भिक शिक्षा

इकाई 7: माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा

इकाई 8: व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा

खंड 3: उच्च शिक्षा का स्वरुप और प्रबंधन

इकाई 9: भारत में उच्च शिक्षाः एक परिचय

इकाई 10: महाविद्यालयी और विश्वविद्यालयी शिक्षा

इकाई 11: तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा

इकाई 12: मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा

खंड 4: शैक्षिक प्रबंधन में समकालीन धाराएँ

इकाई 13: वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण और निजीकरण

इकाई 14: गुणवत्ता सुनिश्चयन और प्रबंधन

इकाई 15: संस्थागत उत्तरदायित्व और स्वायत्तता

इकाई 16: शैक्षिक प्रबंधन के लिए सूचना–प्रौद्योगिकी सम्प्रेषण

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

विषय सूची

		पृष्ठ सं.
खंड 1	**संवैधानिक प्रावधान एवं नीतिगत परिप्रेक्ष्य**	**9**
इकाई 1	शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान	11
इकाई 2	शैक्षिक आयोग : एक समालोचना	31
इकाई 3	भारत में शैक्षिक नीतियाँ	44
इकाई 4	शिक्षा में उभरते मुद्दे और चिंताएं	62
खंड 2	**विद्यालयी शिक्षा का स्वरुप और प्रबंधन**	**77**
इकाई 5	भारत में विद्यालयी शिक्षा : एक अवलोकन	79
इकाई 6	पूर्व–प्राथमिक और प्रारम्भिक शिक्षा	101
इकाई 7	माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा	124
इकाई 8	व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा	143
खंड 3	**उच्च शिक्षा का स्वरुप और प्रबंधन**	**171**
इकाई 9	भारत में उच्च शिक्षा : एक परिचय	173
इकाई 10	महाविद्यालयी और विश्वविद्यालयी शिक्षा	192
इकाई 11	तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा	207
इकाई 12	मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा	226
खंड 4	**शैक्षिक प्रबंधन में समकालीन धाराएँ**	**243**
इकाई 13	वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण और निजीकरण	245
इकाई 14	गुणवत्ता सुनिश्चयन और प्रबंधन	264
इकाई 15	संस्थागत उत्तरदायित्व और स्वायत्तता	285
इकाई 16	शैक्षिक प्रबंधन के लिए सूचना–प्रौद्योगिकी सम्प्रेषण	296

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

खंड 1

संवैधानिक प्रावधान एवं नीतिगत परिप्रेक्ष्य

खंड 1 संवैधानिक प्रावधान एवं नीतिगत परिप्रेक्ष्य

खण्ड परिचय

पाठ्यक्रम **''शिक्षा का स्वरुप और प्रबंधन''** के खंड–एक में आपका स्वागत है। इस खंड की परिकल्पना आपको यह अनुभव कराने के लिए की गयी है कि भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास कैसे हुआ? यह खंड प्रणाली के विकास में सम्मिलित सभी मार्गदर्शक सिद्धांतों से संबंधित है। भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारतीय शिक्षा को दिशा देते हैं। खंड यह भी चर्चा करता है की कैसे विभिन्न आयोगों ने विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के स्वरुप को निर्धारित किया और कैसे उनकी अनुशंसाओं को विभिन्न नीतियों में अर्थ प्रदान करके लागू किया गया। खंड यह भी चर्चा करता है कि भारत की भविष्य की आवश्यकताओं और शिक्षा की मांगों को पूरा करने के लिए आगामी नीतियों में किन उभरते मुद्दों और चिंताओं को रखा जाए। इस खंड में कुल चार इकाइयाँ सम्मिलित हैं।

इकाई 1 : 'शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान' का प्रारंभ भारत के संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा से होता है और यह भी कि शिक्षा किस तरह से इससे मार्गदर्शक सिद्धांतों से अपना मार्गदर्शन करती है। इकाई में शिक्षा से संबंधित विभिन्न अनुच्छेदों को सूचीबद्ध किया है, जिनके शिक्षा प्रणाली के प्रति व्यापक निहितार्थ हैं। इकाई, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधान तथा विभिन्न निकायों, जिनकी परिकल्पना भारत के संविधान में की गई है, की चर्चा भी करती है।

इकाई 2 : 'शैक्षिक आयोगः एक समालोचना', स्वतंत्रता से पूर्व और बाद के काल में गठित विभिन्न शैक्षिक आयोगों की अनुशंसाओं पर केन्द्रित है। स्वतंत्रता के बाद गठित आयोगों पर इकाई का मुख्य–ध्यान केंद्रित किया गया है। इकाई विश्वविद्यालय आयोग, माध यमिक शिक्षा आयोग और शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (NKC) सहित विभिन्न आयोगों की अनुशंसाओं की स्वीकार्यता एवं उनके कार्यान्वयन पर आलोचनात्मक चिंतन करती है।

इकाई 3 : ''भारत में शैक्षिक नीतियाँ'', आपको कार्यान्वयन की ओर ले जाती है, अर्थात, भारत में विभिन्न शिक्षा नीतियों का निर्माण। इकाई मुख्य रूप से शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (NPE–1968), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), क्रियान्वयन कार्यक्रम (1992), आईसीटी के लिए राष्ट्रीय नीति, दिव्यांग लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) की चर्चा करती है।

इकाई 4 का ध्यान **''शिक्षा में उभरते मुद्दे और चिंताएं''** हैं। सभी तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके और साधन इसकी चर्चा का केंद्र हैं, जिनमें समावेशी अभ्यास, शिक्षण परिणाम आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना सम्मिलित है। इकाई विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा में कुछ प्रणालीगत मुद्दों पर भी चर्चा करता है, जिसे आगामी नीति दस्तावेजों में संबोधित करने की आवश्यकता है।

इकाई 1 शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान

इकाई संरचना

1.1 प्रस्तावना

1.2 उद्देश्य

1.3 संविधान की प्रस्तावना

1.3.1 समानता के लिए प्रयास करना

1.3.2 शिक्षा और समानता

1.4 मौलिक अधिकार और शिक्षा

1.5 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

1.6 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और शिक्षा

1.7 भाषा नीति

1.8 संघीय संरचना

1.9 एक मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा

1.9.1 आरटीई अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

1.9.2 आरटीई अधिनियम के संदर्भ में एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर की भूमिका

1.10 दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान

1.11 सारांश

1.12 अभ्यास प्रश्न

1.13 सन्दर्भ सूची एवं उपयोगी अध्ययन सामग्री

1.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.1 प्रस्तावना

1947 में जब भारत को आजादी मिली, तो कई प्रश्न थे। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में कैसे उभरेगा ? लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा? यह देश, नागरिक बनने के लिए अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसे तैयार करेगा? ..... और ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, भारत ने 26 जनवरी, 1950 को अपना संविधान अपनाया । हमारे संविधान ने उस समय उभरे सभी मुद्दों और चुनौतियों का ध्यान रखा है। अपने नागरिकों के हित के लिए जब भी आवश्यक हो, सुधार/परिवर्धन/विलोपन के प्रावधान भी इसमें हैं। समाज के लगभग सभी वर्गों के लिए प्रावधान हैं और सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को इसमें सम्मिलित किया गया है, एवं शिक्षा इनमें से एक है।

यदि आप भारत के संविधान में किए गए प्रावधानों और शिक्षा पर उनके निहितार्थों का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, तो आपको संविधान की प्रस्तावना से ही प्रारम्भ करने की आवश्यकता होगी। शिक्षा के माध्यम से संविधान के सभी मौलिक मूल मूल्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इकाई हमारे संविधान के मूल मूल्यों और उनके शैक्षिक निहितार्थों पर चर्चा के साथ शुरू होगी।

हमारे संविधान में कई स्थानों पर, शिक्षा से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने वाले अनुच्छेद हैं, इस इकाई में ऐसे सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है। शिक्षा लंबे समय तक

मौलिक अधिकार नहीं थी। वर्ष 2009 में, इसे एक मौलिक अधिकार बनाया गया था, यह इकाई इसके प्रावधानों पर भी प्रकाश डालेगी।

भारत के नागरिकों के पास अधिकार हैं, जो एक व्यक्ति होने की गरिमा को सुनिश्चित करते हैं। हमारे संविधान में मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बहुत से प्रावधान हैं, जिसके आधार पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) जैसे निकाय कार्य कर रहे हैं। इकाई में ऐसे निकायों की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही, दिव्यांग लोगों और इससे सम्बंधित कानूनों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या की जाएगी।

1.2 उद्देश्य

इकाई के अध्ययन के उपरान्त, आप :

- शिक्षा के संदर्भ में संविधान के मूल मूल्यों के निहितार्थों की व्याख्या कर पायेंगे,
- भारतीय संविधान के शिक्षा सम्बन्धित अनुच्छेदों की पहचान कर पायेंगे,
- शिक्षा का अधिकार कानून – 2009 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को रेखांकित कर सकेंगे,
- बच्चे के अधिकारों को सुनिश्चित करने में एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर की भूमिका को विश्लेषित कर पायेंगे, एवं
- दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु संवैधानिक प्रावधानों के निहितार्थ पर गहन चिंतन कर पायेंगे।

1.3 संविधान की प्रस्तावना

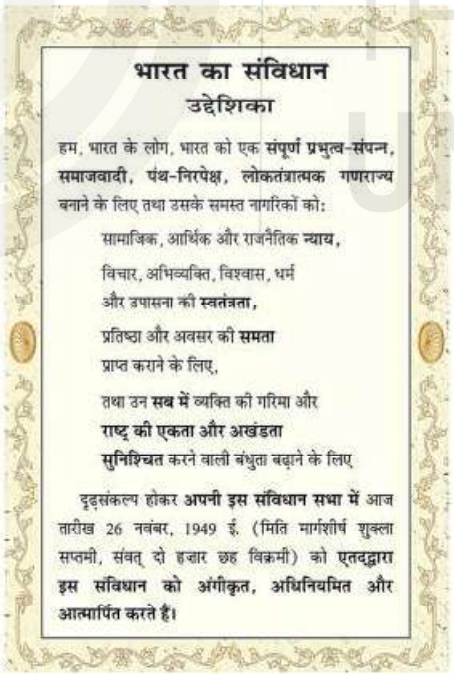

भारत का संविधान
उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और **राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित** करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

"भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्र भारत की आत्मा है।" यदि आप प्रस्तावना पढ़ते हैं और उसका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, तो आपको इस कथन से असहमत होने का कोई भी कारण नहीं मिलेगा।

हमारा संविधान यह सुनिश्चित करने के लिए है कि भारत के सभी लोगों को समान माना जाए। सभी को बिना किसी पूर्वाग्रहों के स्वयं को व्यक्त करने के समान अधिकार हैं, जिन्हें इसकी आवश्यकता है उन सभी के पास न्याय के लिए समान पहुंच है और सभी को समान अधिकार प्राप्त करने के लिए समता के प्रावधानों के साथ–साथ उन लोगों की सुविधा के लिए समान अधिकार हैं। आप कह सकते हैं, समानता और समता हमारे संविधान के प्रमुख मूल मूल्यों में से हैं। हम सभी के लिए समान अधिकारों और अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए समानता के आयामों के साथ अपनी चर्चा शुरू करेंगे।

1.3.1 समानता के लिए प्रयास

वृहद समूह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में शामिल था, इन समूहों ने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि समान रूप से व्यवहार किये जाने हेतु भी संघर्ष

किया। अपने जीवन में अनुभव की गयी विषमताओं के खिलाफ दलितों, महिलाओं, आदिवासियों और किसानों ने भी लड़ाई लड़ी।

वर्ष 1947 में जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो हमारे नेता भी विभिन्न प्रकार की असमानताओं से चिंतित थे। जिन लोगों ने भारत के संविधान को लिखा था उन्होंने इसे एक ऐसा दस्तावेज बनाया जिसने नियमों की नींव रखी। वो हमारे समाज में उन तरीकों के बारे में जानते थे, जिसमें भेदभाव किया जाता था, एवं लोगों ने इसके खिलाफ किस प्रकार से संघर्ष किया था। इसलिए इन नेताओं ने संविधान में एक दृष्टिकोण और लक्ष्य निर्धारित किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के सभी लोगों को समान माना जाए।

सभी व्यक्तियों की इस समानता को एक महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में देखा जाता है जो हम सभी को भारतीयों को एकजुट करता है। सभी को समान अधिकार और अवसर मिले। लोगों को क्या समान बनाता है? हम समानता के उन आयामों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिन्हें सभी के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है।

समानता के आयाम

समाज में मौजूद विभिन्न प्रकार की असमानताओं की पहचान करते हुए, विभिन्न विचारकों और उनकी विचारधाराओं ने समानता के तीन मुख्य आयामों पर प्रकाश डाला हैः राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। प्रश्न यह है कि क्या हम समानता के इन तीन अलग–अलग आयामों में से प्रत्येक को संबोधित करके ही न्यायपूर्ण एवं समतामूलक समाज की ओर बढ़ सकते हैं?

राजनीतिक समानता

लोकतांत्रिक समाजों में, राजनीतिक समानता में आम तौर पर राज्य के सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना और अधिकार देना शामिल होता है जो नागरिकों को स्वयं को विकसित करने और राज्य के मामलों में हिस्सेदारी के लिए सक्षम बनाने के लिए आवश्यक माना जाता है। ये कानूनी अधिकार हैं, जो संविधान और कानूनों द्वारा प्रत्याभूत हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, एक मौलिक और कानूनी अधिकार का एक उदाहरण है (हम इस इकाई के आगामी अनुभागों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे)

सामाजिक समानता

राजनीतिक समानता या कानून की समानता समानता की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसे अक्सर अवसर की समानता का पूरक होने की आवश्यकता होती है। हालांकि, किसी भी कानूनी बाधा को दूर करने के लिए राजनीतिक समानता आवश्यक है, जो लोगों को सरकार में एक आवाज बनने से बाहर निकाल सकती है और उन्हें उपलब्ध सामाजिक सुविधाओं की पहुंच से वंचित कर सकती है, समानता की खोज के लिए आवश्यक है कि विभिन्न समूहों और समुदायों से संबंधित लोगों के पास भी उन वस्तुओं और अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का एक निष्पक्ष और समान अवसर हो।

इसके लिए, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के प्रभावों को कम करना और समाज के सभी सदस्यों को जीवन की कुछ न्यूनतम स्थितियों की गारंटी देना आवश्यक है, अन्य चीजों के अलावा पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, अच्छी शिक्षा का अवसर, पर्याप्त पोषण और न्यूनतम मजदूरी। यहां पर शिक्षा ऐसी सुविधाओं के अभाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाज के सभी सदस्यों के लिए समान शर्तों के साथ प्रतिस्पर्धा करना अत्यधिक कठिन है। जहां अवसर की समानता मौजूद नहीं है, उस समाज में संभावित प्रतिभाओं का एक बड़ा समूह नष्ट हो जाता है।

भारत में, समान अवसरों के संबंध में एक विशेष समस्या सिर्फ सुविधाओं की कमी से नहीं है बल्कि कुछ ऐसे रीति–रिवाजों से है जो देश के विभिन्न हिस्सों में या विभिन्न समूहों के बीच व्याप्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं को विद्यालयी और उच्च शिक्षा से रोका जाना। ऐसे मामलों में राज्य की भूमिका सभी के लिए समान कानूनी अधिकार प्रदान करने की रही है, इसके साथ ही विद्यालयों या रोजगार में महिलाओं के भेदभाव या उत्पीड़न को रोकने के लिए नीतियां बनाने, महिलाओं को शिक्षा या कुछ व्यवसायों प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, और ऐसे ही अन्य उपाय खोजने की हो सकती है।

आर्थिक समानता

सबसे सामान्य स्तर पर, हम कहेंगे कि किसी व्यक्ति या वर्ग के बीच धन, संपत्ति या आय में महत्वपूर्ण अंतर होने पर समाज में आर्थिक असमानता होती है। अधिकांश लोकतंत्र आज लोगों को इस विश्वास के साथ समान अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं कि इससे कम से कम उन लोगों को मौका मिले, जिनके पास प्रतिभा है और वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का मौका निर्धारित करते हैं।

1.3.2 शिक्षा और समानता

भारतीय समाज में व्याप्त गहरी असमानताओं से परिचित होने के नाते, भारतीय संविधान के निर्माता राजनीतिक लोकतंत्र की सीमा के प्रति काफी सचेत थे। यह डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर के 25 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के लिए अंतिम संबोधन से स्पष्ट है। उन्होंने कहाः

समानता और बंधुत्व के बिना लोकतंत्र

'सामाजिक धरातल पर, हमारे पास भारत में एक ऐसा समाज है जो पदानुक्रमित असमानता के सिद्धांतों पर आधारित है जिसका तात्पर्य है , कुछ का उत्थान और दूसरों का ह्रास। आर्थिक धरातल पर, हमारे पास एक ऐसा समाज है जिसमें कुछ ऐसे हैं जिनके पास अपार धन है, जबकि बहुत से ऐसे हैं जो गरीबी में रहते हैं। 26 जनवरी, 1950 को, हम विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। राजनीति में हम एक आदमी एक मत और एक मत एक मूल्य के सिद्धांत को मान्यता देंगे। हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में, हम अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण, एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को अस्वीकार करना जारी रखेंगे। कब तक हम विरोधाभासों के इस जीवन को जीना जारी रखेंगे?

कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे?

अगर हम इसे लंबे समय तक नकारते रहे, तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को संकट में डालकर ही ऐसा करेंगे। हमें इस विरोधाभास को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए अन्यथा जो असमानता से पीड़ित हैं वे राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को उड़ा देंगे। ' इसलिए, उन्होंने उल्लेख कियाः

''हमें जो करना चाहिए, वह केवल राजनीतिक लोकतंत्र के साथ संतोष करना नहीं है। हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं चल सकता जब तक कि यह सामाजिक लोकतंत्र का आधार नहीं होता।

सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ जीवन का एक तरीका है, जो जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को पहचानता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के इन सिद्धांतों को एक त्रिमूर्ति में अलग–अलग वस्तुओं के रूप में नहीं माना

जाना चाहिए। वे इस अर्थ में त्रिमूर्ति को एकाकार करते हैं कि इन्हें एक दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के उद्देश्य को परास्त करना है। न तो स्वतंत्रता को समानता से अलग किया जा सकता है, और न ही समानता को स्वतंत्रता से। न ही स्वतंत्रता और समानता को बंधुत्व से अलग किया जा सकता है। समानता के बिना, स्वतंत्रता कई लोगों के वर्चस्व को बढ़ावा देगी। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को मार देगी। बंधुत्व के बिना, स्वतंत्रता और समानता जैसे विषयों का एक स्वाभाविक पाठ्यक्रम नहीं बन सकता है। उन्हें लागू करने के लिए एक सिपाही की आवश्यकता होगी.... ''

अंबेडकर की सामाजिक प्रगति की अवधारणा एवं न्यायसंगत और समता मूलक समाज को उनकी दृष्टि में शिक्षा को एक क्रांतिकारी भूमिका सौंपी गई है। सामाजिक रूप से दलितों के लिए शिक्षा और शिक्षा तक पहुंच, समता और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का केंद्र बिंदु रही है। भारत के सामाजिक रूप से वंचित लोगों की मुक्ति में शिक्षा के लिए यह दृष्टिकोण पर्याप्त रूप से उनके शब्दों में व्यक्त किया गया हैः

"जैसा कि मैं हिंदू समाज के सबसे निचले क्रम से आता हूं, मुझे पता था कि शिक्षा का मूल्य क्या है? निचले क्रम को ऊपर उठाने की समस्या को आर्थिक माना जाता है, यह एक बड़ी गलती है। भारत में निचले क्रम को बढ़ाने की समस्या उन्हें भोजन उपलब्ध करना या वस्त्र उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि उन्हें उच्च क्रम की सेवा देना है ... समस्या यह है कि उनमें से हीन भावना को दूर किया जाए जिसने उनकी वृद्धि को अवरुद्ध किया हो .... उनमें उनके जीवन एवं देश के लिए चेतना का महत्व पैदा करने के लिए, जिनमें से मौजूदा व्यवस्था द्वारा उन्हें क्रूरता से लूटा गया है ... शिक्षा के प्रसार के अलावा और किसी से यह हासिल नहीं किया जा सकता है। मेरी राय में, हमारी सामाजिक परेशानियों का यह रामबाण इलाज है। "

अंबेडकर ही नहीं, हम पाते हैं कि जाति व्यवस्था को खत्म करने एवं भेदभाव समाप्त करने के लिए जो दुनिया भर में बहुत सारे आंदोलन हुए, वे हमेशा शिक्षा को प्रताडना से मुक्ति के लिए प्राथमिक साधन के रूप में देखते हैं (ओमवेद्ट, 1993)।

एक ओर, शिक्षा से उम्मीद की जाती है कि परंपराओं को बनाए रखा जाए, सत्ता का सम्मान किया जाए, देशभक्ति की अनुपालना किया जाए। दूसरी ओर, शिक्षा से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास और परिवर्तन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद की जाती है।

शिक्षा के विस्तार के माध्यम से शैक्षिक पहुँच, समान अवसर और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समानता प्राप्त करने की संभावना के मुद्दे पर लंबे समय से बहस चली आ रही है। सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा के बीच का संबंध जटिल और आलोचनात्मक है। इसलिए, समान शैक्षिक अवसरों की अवहेलना शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की क्षमता को खतरे में डाल सकती है। हम किस सामाजिक बदलाव की बात कर रहे हैं? शिक्षा का महत्व क्या है? विद्यालयी शिक्षा के लिए नामांकन सुनिश्चित करना और पूरा करना क्यों महत्वपूर्ण है? शैक्षिक–अंतराल को समाप्त करना और शैक्षणिक असमानता, समावेश और उपलब्धि की भारी असमानता को दूर करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? '' शिक्षा का महत्व, निम्नलिखित शब्दों में अमर्त्य सेन द्वारा व्यक्त किया गया हैः –

- दुनिया को अधिक सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए,
- जब लोग अनपढ़ होते हैं तब उनकी कानूनी अधिकारों को समझने और उपयोग करने की अपनी क्षमता सीमित हो सकती है, तो वे अपने अलगाव की ओर उन्मुख हो सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा उनकी पढ़ने और लिखने की क्षमता से जुड़ी हुई है,

- अशिक्षा राजनीतिक भागीदारी के निम्न स्तर और मांगों को व्यक्त करने में असमर्थता की ओर ले जाती है,
- स्वास्थ्य की समस्याओं और महामारियों को उन लोगों द्वारा बेहतर ढंग से निपटाया जाता है, जो शिक्षित हैं, और
- महिलाओं की भलाई और सम्मान, उनकी साक्षरता तथा घर के बाहर एवं अंदर के समझदारी भरे निर्णयों से प्रभावित होती है।

यह वास्तव में स्पष्ट है कि शिक्षा एक व्यक्ति और समाज को कई तरीकों से बदलने में मदद करती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि विद्यालय जाने वाले हर बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर सुलभ हों। यह तभी होता है, जब सभी बच्चे जाति, धर्म, लिंग या वर्ग से निरपेक्ष, अपनी पूरी क्षमता के अनुसार शिक्षित हों, तो हम सामाजिक बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि, शिक्षा के अवसर प्रदान करना पर्याप्त नहीं है। पाठ्यक्रम (छिपी और स्पष्ट दोनों) द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका, वांछित सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन लाने में भी एक भूमिका निभाती है।

हमारे संविधान निर्माता इस बात से आश्वस्त थे कि शिक्षा एक समतामूलक समाज बनाने में भूमिका निभा सकती है। इसीलिए, शिक्षा को संविधान में एक महत्वपूर्ण स्थान और भूमिका सौंपी गई। वास्तव में, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अब एक मौलिक अधिकार बन गया है।

1.4 मौलिक अधिकार और शिक्षा

निम्नलिखित स्थिति पर विचार करें:

विमला दिल्ली के पास एक गाँव में रहती है और घर का काम करके अपना जीवनयापन करती है। उसकी दो बेटियाँ हैं और वह उन्हें विद्यालय में प्रवेश दिलवाना चाहती है। उसे लगता है कि यदि वे शिक्षित होंगी , तो उन्हें अपने जीवन को दूसरे लोगों के घरों में काम करने की तरह नहीं बिताना पड़ेगा। वे अपनी पसंद की नौकरी का विकल्प चुनकर अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगी । वह उन्हें पास के एक 'इंग्लिश मीडियम विद्यालय' में ले जाती है, जहाँ उनकी बेटियों को इस आधार पर प्रवेश देने से मना कर दिया जाता है कि उनके माता–पिता शिक्षित नहीं हैं और चूंकि वे एक नीची जाति से आते हैं, इसलिए अन्य किसी माता–पिता को अपनी बेटी को अपने बच्चों के समान कक्षा में आने से ऐतराज हो सकता है।

गतिविधि 1.1

क्या संविधान विमला जैसी गरीब और अशिक्षित महिला के मौलिक अधिकारों को उपलब्ध करता है? क्या आपको लगता है कि विमला के अधिकारों का हनन हुआ है? इस मामले में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है?

.....

.....

.....

.....

.....

लोकतंत्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यक्तियों के कुछ अधिकार हैं और सरकारें हमेशा इन अधिकारों को मान्यता देंगी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को महसूस किया था और मांग की थी कि ब्रिटिश शासकों को लोगों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। संविधान में अधिकारों के समावेश और संरक्षण पर कोई दो राय नहीं थी। संविधान ने उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया जो विशेष रूप से संरक्षित होंगे और उन्हें **"मौलिक अधिकार"** कहा जाएगा। '

संविधान में प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों ने गुणवत्ता की भावना को स्थापित किया है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद की है। ये अधिकार विधानमंडल और कार्यपालिका की शक्तियों पर सीमा (कुछ अपवादों के साथ) के रूप में कार्य करते हैं। मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्नलिखित अनुच्छेदों का भारत में शिक्षा पर विशेष प्रभाव है।

स्वतंत्रता का अधिकार, समानता और स्वतंत्रता, ये दो अधिकार हैं जो एक लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक हैं। एक के बिना दूसरे के बारे में सोचना संभव नहीं है।

अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करता है' इसमें कहा गया है, **'' राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के सामान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा ।''** आधुनिक राज्य व्यक्ति के ऊपर शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

समानता का अधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए है कि राज्य की शक्तियों का उपयोग बिना किसी भेदभावपूर्ण तरीके से किया जाए। शिक्षा के संबंध में प्रवेश के नियमों को विनियमित करने के लिए इसे लागू किया जाता है और इस प्रकार यह सभी को शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है।

अनुच्छेद 15 यह अनुच्छेद राज्य द्वारा धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध की गारंटी देता है। यह भारत में **शैक्षिक अवसरों में समानता** सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 15 (4) ने सरकार को अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) सहित पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाया।

अनुच्छेद 16 (1) राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है।

अनुच्छेद 16 (4): सरकार नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण कर सकती है।

अनुच्छेद 21(अ) : यह छह से चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, जो राज्य द्वारा कानून के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। दिसंबर, 2002 में 86 वें संशोधन द्वारा जोड़े गए, इस अनुच्छेद ने शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक विस्तार में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अधिकार का दर्जा दिया है। संविधान के प्रारंभ में, शिक्षा को संविधान के भाग IV के तहत अनुच्छेद 45 में राज्य नीति के एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया था।

अनुच्छेद 24: कहता है कि चौदह वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी कारखाने या खदान में काम पर नहीं लगाया जाएगा या किसी खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 28 : राज्य द्वारा संचालित संस्थाएं किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करेंगी और न ही धार्मिक शिक्षा देंगी और न ही वे किसी धर्म के व्यक्तियों का पक्ष लेंगी। यह पंथनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखने और पोषण करने के लिए किया गया है। इस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत, न तो राज्य और न ही कोई अन्य एजेंसी राज्य के निधियों द्वारा प्रबंधित किसी भी विद्यालय में धार्मिक निर्देश दे सकती है। हालांकि, किसी भी ट्रस्ट या बंदोबस्ती के तहत स्थापित संस्थानों के लिए एक छूट है, जिसके लिए आवश्यक है कि ऐसे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाए। अनुच्छेद आगे यह अधिकार प्रदान करता है कि कोई भी व्यक्ति, राज्य मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त विद्यालय में भाग लेने के लिए, किसी धार्मिक निर्देश के भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य यह है कि अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित संस्थान राज्य से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, वे विद्यार्थियों को संस्था में दिए गए धार्मिक निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। उन्हें किसी भी अनिच्छुक विद्यार्थी पर अपनी धार्मिक विचारधारा को आरोपित किये बिना अपने धार्मिक चरित्र को बनाए रखने की अनुमति है।

संविधान के **अनुच्छेद 46** में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य विशेष मामले के साथ लोगों के कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा (विशेष रूप से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के) और उन्हें सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय से बचाएगा।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

1) कौन सा मौलिक अधिकार निम्नलिखित स्थितियों का उल्लंघन करेगा?

v) यदि एक 13 साल का बच्चा कालीन बनाने वाले फैक्ट्री में काम कर रहा है।

ब) अगर केरल में लोगों के एक समूह को तेलुगु–माध्यम विद्यालय खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है।

स) यदि किसी जमींदार के बेटे को जमींदार के खेत में काम करने वाले मजदूर की बेटी के स्थान पर गाँव के विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, तो ?

1.5 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहां लोग धर्म, भाषा, जाति, प्रजाति, संस्कृति और सामाजिक–आर्थिक कारकों के मामले में विभाजित है, भारत के संविधान निर्माताओं के कई कार्यों में से एक कार्य देश के विभिन्न अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों को तैयार करना था। अल्पसंख्यकों की आकांक्षाएं, उनकी विशिष्ट पहचान और अधिकार बहुसंख्यक निर्णय के बहाने अक्सर दबा दिए जाते थे। ऐसी स्थितियों में अल्पसंख्यकों का विशिष्ट विचार लोकतंत्र की एक शर्त थी।

भारत के संविधान का **अनुच्छेद 29** अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए स्पष्ट गारंटी प्रदान करता है :

1) भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।

2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य–निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

अल्पसंख्यक लोगों की अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने के अधिकार के पश्चात, संविधान यह भी कहता है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की स्पष्ट सुरक्षा हेतु वे स्वयं की शिक्षा स्वयं की भाषा में प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, यह निश्चित रूप से भाषिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

अनुच्छेद 30 : शिक्षा के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त करने में भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा के अधिकार का विवरण इस प्रकार है:

(1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक–वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

(1क) खंड (1क) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक–वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बन्धित या निराकृत न हो जाए। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक–वर्ग के प्रबन्धन में है।

यह अंतिम खंड राज्य को शैक्षिक मानकों को विनियमित करने से नहीं रोकता है, किन्तु शिक्षा के माध्यम से संदर्भित विनियमों से सुरक्षा प्रदान करता है, अल्पसंख्यकों के लिए एक ऐसा प्रावधान जो अदालतों में भी बरकरार है।

इन सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा, भारतीय संविधान में विशेष निर्देशों के शीर्षक वाला एक खंड शामिल है जहां अल्पसंख्यकों के लिए सरल सुरक्षा के अलावा भाषा और शिक्षा के मुद्दों को स्पष्ट रूप से संबोधित किया गया है।

'अनुच्छेद 350' उन सभी लोगों के अधिकार की गारंटी देता है, जिन्हें वे ''शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन'' में समझने वाली भाषा का उपयोग करते हैं। संविधान अधिनियम 1956 द्वारा किए गए सातवें संविधान संशोधन में भाषाई अल्पसंख्यकों को संबोधित करते हुए दो अनुच्छेद जोड़े गए:

प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा के लिए 35(क) सुविधाएं प्रदान करता है। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

अनुच्छेद 350 (ख) भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के लिए विशेष अधिकारी :

भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएंगे।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें।

2) निम्नलिखित में से कौन सी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की सही व्याख्या है?

क) अल्पसंख्यक समूह से संबंधित शैक्षणिक संस्थान में केवल अल्पसंख्यक समूह के बच्चे ही अध्ययन कर सकते हैं।

इ) अल्पसंख्यक समूह से संबंधित बच्चे सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ सकते हैं।

x) सरकारी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को उनकी मान्यता और संस्कृति से परिचित कराया जाएगा।

घ) भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक यह मांग कर सकते हैं कि उनके बच्चों को स्वयं के सामुदायिक संस्थान के अतिरिक्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन नहीं करना चाहिए।

1.6 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत एवं शिक्षा

हमारे संविधान के निर्माता जानते थे कि स्वतंत्र भारत कई चुनौतियों का सामना करने जा रहा है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण समानता और सभी नागरिकों की भलाई के लिए चुनौती थी। उन्होंने यह भी सोचा कि इन समस्याओं से निपटने के लिए कुछ नीतिगत दिशा आवश्यक थी।, संविधान ने भविष्य की सरकारों को कुछ निश्चित नीतियों के फैसलों से बाध्य होने के लिए मजबूर नहीं किया।

इसलिए, कुछ दिशानिर्देशों को संविधान में शामिल किया गया था लेकिन उन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया गया था। यह सोचा था कि इन दिशानिर्देशों के पीछे नैतिक बल, यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार उन्हें गंभीरता से लेगी।

नीति निर्देशक सिद्धांतों पर अध्याय मुख्य रूप से तीन चीजों को सूचीबद्ध करता है:

- एक समाज के रूप में जिन लक्ष्यों और उद्देश्यों को हमें अपनाना चाहिए,
- कुछ अधिकार जो व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों से अलग होने चाहिए, और
- कुछ नीतियां जिन्हें सरकार को अपनाना चाहिए।

संविधान के भाग IV, में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल हैं। इस श्रेणी के तहत तीन मार्गदर्शक प्रावधान हैं जो शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं। ये:

अनुच्छेद 41: यह राज्य को निर्देश देता है कि वह अपनी आर्थिक क्षमताओं और विकास की सीमाओं के भीतर काम करने का अधिकार और शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी प्रावधान करे।

अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक सिद्धांतों में एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद होने के नाते, इस अनुच्छेद ने देश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नींव रखी।

86 वें संवैधानिक संशोधन से पहले, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि ''राज्य इस संविधान के लागू होने से दस वर्ष की अवधि के भीतर, सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए, जब तक वे चौदह वर्ष की आयु पूरी नहीं करते हैं, प्रदान करने का प्रयास करेंगे''। अनुच्छेद (21क) के परिणामस्वरूप, प्रारंभिक शिक्षा, 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के बीच सभी बच्चों का एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया है ताकि 6 साल की उम्र तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए इसका दायरा सीमित हो सके।

संविधान में कोई भी अनुच्छेद अलगाव में काम नहीं करता है। अनुच्छेद 45 के लिए भी यही सच है। यह अनुच्छेद 29 (2) की तर्ज पर सभी को शैक्षिक अवसर की समानता सुनिश्चित करता है, जिसके अनुसार राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी संस्थान में जाति, मूलवंश, भाषा के आधार पर किसी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। ।

अनुच्छेद 21 जो सभी को मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देता है, अनुच्छेद 45 को अत्यधिक महत्व देता है। इसके अलावा, पांच अनुच्छेद – 15, 29 (2), 15 (3), 46 और 29 (1) देश के सभी भागों में भारत सरकार के लिए और शैक्षिक अवसर की बराबरी, विशेष पिछड़े क्षेत्रों या राज्यों को विशेष सहायता देने के हेतु जिम्मेदारी सौंपते हैं ।

अनुच्छेद 46: कहता है कि **"राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा"** इस प्रकार, शिक्षा से संबंधित अन्य प्रासंगिक अनुच्छेदों के साथ अनुच्छेद 46 विभिन्न कारणों से छूटे हुए लोगों के लिए विशेष प्रावधान करके शैक्षिक अवसरों में समानता सुनिश्चित करता है। मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों, दोनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखना आवश्यक है। मौलिक अधिकार सरकार को कुछ चीजें करने से रोकते हैं जबकि निर्देशात्मक सिद्धांत सरकार को कुछ चीजें करने के लिए प्रेरित करते हैं। मौलिक अधिकार मुख्य रूप से व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, जबकि निर्देशक सिद्धांत पूरे समाज की भलाई सुनिश्चित करते हैं।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें।

3) 86 वें संविधान संशोधन के साथ अनुच्छेद 45 में क्या बदलाव किए गए हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.7 भाषा नीति

संविधान के निर्माताओं के लिए विविधता के लिए सम्मान का अभिप्राय यह सुनिश्चित करना भी था कि लोगों को अपनी भाषा बोलने की स्वतंत्रता हो और यह कि किसी एक भाषा का पालन करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए।

1.7.1 शिक्षा का माध्यम

भारत एक बहुभाषी समाज होने के नाते, शिक्षा का एक समान माध्यम व्यावहारिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया। शिक्षा की अधिकतम पहुंच के लिए मातृभाषा के महत्व को मान्यता दी गई थी। भारत के संविधान में 'अनुच्छेद 350 (क)', इस संदर्भ में, अनुशंसा करता है कि, '' प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है"।

स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में राजनीतिक सहमति के रूप में उभरी भाषा नीति भारतीय संदर्भ में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का एक चित्रण है।

त्रिभाषा सूत्र एक नीति या एक रणनीति के रूप में शताब्दी के आखिरी चौथाई वर्षों में उभरा, जो शैक्षिक सलाहकार निकायों और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनेताओं द्वारा राजनीतिक और अकादमिक दृष्टिकोण से बहस और विचार–विमर्श के उपरान्त अस्तित्व में आया।

भारत में शिक्षा पर सबसे पुराना वैधानिक निकाय, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन (CABE) ने 1940 के दशक में विद्यालयी शिक्षा में भाषाओं पर चर्चा शुरू की और 1960 तक उनकी चर्चा में यह एक प्रमुख चिंता का विषय रहा।

CABE ने पाँच प्रमुख मुद्दों की पहचान की जिनपर आवश्यक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है :

1) विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सिखाई जाने वाली भाषाओं की संख्याय,

2) दूसरी और तीसरी भाषाओं का परिचय,

3) अंग्रेजी का स्थान एवं भूमिका,

4) हिंदी का स्थान और भूमिका, और

5) विद्यालय में संस्कृत और सूक्ष्म भाषा(ओं) का शिक्षण।

1.7.2 त्रिभाषा सूत्र

विद्यालय में भाषाओं के अध्ययन को एक व्यापक दृष्टिकोण से लिया गया और शिक्षा आयोग (1964–66) द्वारा ठोस सिफारिशें की गईं। भारतीय संदर्भ में विविधता को ध्यान में रखते हुए आयोग ने संशोधित त्रिभाषा की सिफारिश की:

1. मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, 2. संघ की आधिकारिक भाषा या संघ की सहयोगी आधिकारिक भाषा जो लंबे समय से मौजूद है, और

3. एक आधुनिक भारतीय या विदेशी भाषा, (1) और (2) के अतर्गत नहीं आये हैं और अन्य जो शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है।

अंग्रेजी की स्थिति और भूमिका पर आयोग का अवलोकन भाषा नियोजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और भाषा के नीति नियोजकों द्वारा भी माना जाता है।

शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (1986) ने कहा कि प्राथमिक और माध्यमिक चरणों में क्षेत्रीय भाषाओं का पहले से ही उपयोग हो रहा है। माध्यमिक स्तर पर, राज्य सरकारों को त्रिभाषा सूत्र को सख्ती से अपनाना चाहिए जिसमें एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन शामिल है। प्राथमिकता से हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, दक्षिणी भाषाओं में से एक, और गैर–हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ हिंदी हो सकती है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) ने विद्यालयी स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा के उपयोग की वकालत की है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के बिन्दु 4.13 में, यह उल्लेख किया गया है कि

"संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए त्रि भाषा सूत्र को कार्यान्वित किया जाना जारी रहेगा। हालांकि, तीन–भाषा के इस सूत्र में काफी लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से स्वयं विद्यार्थियों की पसंद होंगी, जिनमें से कम से कम तीन में से दो भाषाएँ भारतीय भाषाएँ हों"(पृष्ठ 14)।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

4) तीन भाषा सूत्र के प्रमुख बिंदु क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

1.8 संघीय ढांचा

संविधान ने यह घोषित किया कि भारत एक राज्यों का संघ है और भारतीय संघ, संघवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। संविधान में मूल रूप से सरकारों की दो स्तरीय प्रणाली, संघीय सरकार या जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने का सुझाव दिया गया है। बाद में, पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में महासंघ का एक तीसरा स्तर जोड़ा गया। संविधान ने स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का तीन स्तरीय वितरण प्रदान किया। इस प्रकार, इसमें तीन सूचियाँ शामिल हैं जैसेः संघ, राज्य और समवर्ती सूची।

1.8.1 शक्तियों का विभाजन और विकेंद्रीकरण

भारत में विधायी शक्तियों का एक विभाजन है। संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ शामिल हैं – 99 प्रविष्टियों वाली संघीय सूची, जिसमें राष्ट्रीय महत्व (रक्षा, विदेशी मामले,

बैंकिंग, आदि) के विषय शामिल हैं, जिनके संबंध में संसद के पास कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं। 61 प्रविशिष्टयों वाली राज्य सूची, इन प्रविष्टियों में राज्य और स्थानीय महत्व (पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि) के विषय शामिल हैं, जिसके संबंध में राज्य विधानमंडल के पास कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं और 52 प्रविष्टियों के साथ समवर्ती सूची में सामान्य हित के विषय शामिल हैं जहां केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के विधायी अधिकार हैं (केंद्र और राज्य विधान के बीच संघर्ष के मामले में केंद्र सरकार की सर्वोच्चता प्रबल है)। शिक्षा तीनों सूचियों में सम्मिलित है।

संघ सूची : संघीय सूची में शामिल 99 प्रविष्टियों में से, छह प्रविष्टियाँ शिक्षा से संबंधित हैं। ये :

प्रविष्टि 13 : विदेशी देशों के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंध।

प्रविष्टि 62 : राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, जैसे– राष्ट्रीय पुस्तकालय भारतीय संग्रहालय, शाही युद्ध स्मारक, विक्टोरिया मेमोरियल और भारतीय युद्ध स्मारक, या इन जैसी किसी भी अन्य संस्था से पूर्ण या आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्तपोषित और कानूनी रूप से राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित की जाती है।

प्रविष्टि 63: इस संविधान के प्रारंभ में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय और किसी अन्य संस्थान को कानूनी रूप से राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में जाना जाता है। प्रविष्टि 64: वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा का संस्थान सरकार द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से वित्तपोषित और कानूनी रूप से राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित हो।

प्रविष्टि 65: केंद्रीय एजेंसियां और संस्थान (ए) पेशेवर, व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण,पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण सहित, (बी) विशेष अध्ययन या अनुसंधान को बढ़ावा देना, और (ग) अपराध की जांच या पता लगाने में वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता।

प्रविष्टि 66: उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों, और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में मानकों का समन्वय और निर्धारण

राज्य सूची: राज्य सूची में सूचीबद्ध 61 प्रविष्टियों में से दो शिक्षा से संबंधित हैं।

प्रविष्टि 11: यह बताती है कि "विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा, 63, 64, 65 और 66 की संघ सूची के प्रावधानों के अधीन है और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 राज्य का विषय होना चाहिए"।

प्रविष्टि 12: पुस्तकालयों, संग्रहालय और इसी तरह के अन्य संस्थानों द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित और साथ ही प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और रिकॉर्ड को राज्य के अधिकार क्षेत्र में रखने की बात करता है (राष्ट्रीय महत्व के घोषित होने के अलावा अन्य)

समवर्ती सूची:

प्रविष्टि 20: आर्थिक और सामाजिक नियोजन ।

प्रविष्टि 25: तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालय, व्यावसायिक और श्रम के तकनीकी प्रशिक्षण सहित शिक्षा।

प्रविष्टि 262: कानूनी, चिकित्सा और अन्य पेशे।

प्रविष्टि 28: दान और धर्मार्थ संस्थान।

प्रविष्टि 39: समाचार पत्र, किताबें और प्रिंटिंग प्रेस।

यह दिलचस्प है कि, शिक्षा को विधायी रूप में मूल रूप से राज्य सूची में शामिल किया गया था। बाद में इसे 1976 में एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। आज, समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 इस प्रकार है: **"तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालयों सहित, सूची 1 की 63,64,65 प्रविष्टियों के प्रावधानों के अधीन शिक्षा, 66, श्रम का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण।" राज्य सूची से समवर्ती सूची में शिक्षा के हस्तांतरण का उद्देश्य और निहितार्थ।**

18 दिसंबर, 1976 को संविधान में 32 वें संशोधन के माध्यम से राज्य सूची से समवर्ती सूची में शिक्षा के हस्तांतरण किया गया। इससे पहले कि यह राज्य सूची में होता था, संशोधन का सुझाव श्री स्वर्ण सिंह समिति, द्वारा दिया गया था। जिसका विचार था कि "कृषि और शिक्षा देश के लिए वांछित सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन प्राप्त करने की दिशा में तेजी से प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों विषयों के संबंध में भारत की सभी नीतियों को विकसित करने को आवश्यकता से अधिक बल नहीं दिया जा सकता है। "

1.9 मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा

लंबे अवधि से, भारतीय संविधान में शिक्षा एक मौलिक अधिकार नहीं था। यह वर्ष 2002 था, जब शिक्षा को 86 वें संवैधानिक संशोधन कर एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। इस संशोधन के माध्यम से, भारतीय संविधान में तीन परिवर्तन किए गए:

एक नया अनुच्छेद 21(अ) अर्थात् शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 के बाद जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है:

1) **अनुच्छेद 21(अ):** "राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करे, उपबंध करेगा।''

   छह साल से कम उम्र के बच्चों को बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान करने के लिए अनुच्छेद 45 के लिए नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन किया है।

2) **अनुच्छेद 45** : "छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख–रेख और शिक्षा का उपबंध––राज्य सभी बालकों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था देख–रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा"

3) अनुच्छेद 51 ए का संशोधनः संविधान के अनुच्छेद 51 ए में, खंड (जे) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा गया थाः

"जो भी माता–पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, जो भी हो बालक या प्रतिपाल्य स्थिति के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे"।

इन परिवर्तनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, संसद द्वारा वर्ष 2009 में बच्चों के लिए निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया था, जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया।

इस अधिनियम का शीर्षक **'निःशुल्क और अनिवार्य'** शब्दों को शामिल करता है। 'निःशुल्क शिक्षा' का अर्थ है कि कोई बच्चा, जो अपने माता–पिता द्वारा विद्यालय में भर्ती कराया गया हो, जो कि उपयुक्त सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, को प्रारंभिक शिक्षा को आगे बढ़ाने और पूरा करने से नहीं रोका जा सकता है , इसके अलावा वह किसी भी प्रकार के शुल्क या शुल्क या व्यय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। **'अनिवार्य शिक्षा'** ६–१४ आयु वर्ग के सभी बच्चों द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और पूर्णता प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सरकार और स्थानीय अधिकारियों पर दायित्व डालती है। इसके साथ, भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 21(ए) में निहित इस मौलिक अधिकार को सही तरीके से लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर कानूनी बाध्यता रखने वाले अधिकार–आधारित ढांचे के लिए आगे बढ़ गया है।

1.9.1 शिक्षा का अधिकार अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ

- छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।
- पड़ोस के विद्यालय का अर्थ है, एक किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय और हर बस्ती के तीन किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय।
- वित्तविहीन निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं विशेष श्रेणी के विद्यालय, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और वंचित समूह से 25% बच्चों को कक्षा –1 में प्रवेश देंगे एवं उसका वित्तीय पुनर्भरण किया जाएगा ।
- प्रवेश के लिए कोई कैपिटेशन शुल्क और छानबीन (स्क्रीनिंग) प्रक्रिया नहीं।

  आयु प्रमाण पत्र की कमी और प्रवेश की विस्तारित अवधि के लिए किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
- अधिनियम किसी भी कक्षा में रोके रखने और प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने तक एक विद्यालय में प्रवेशित बच्चे के निष्कासन पर रोक लगाता है।
- बच्चे को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का निषेध।
- वित्तविहीन निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय को छोड़कर प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन अभिभावक सदस्यों से 75% प्रतिनिधित्व। महिलाओं से 50% प्रतिनिधित्व। एससी/एसटी और वंचित समूह से प्रतिनिधित्व।
- बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग इस अधिनियम के तहत दिए गए अधिकारों के लिए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करेगा, शिकायतों की जांच करेगा और मामलों की सुनवाई में नागरिक अदालत की शक्तियां देगा।

आइये अब बाल शिक्षा अधिकारों की सुरक्षा के लिए NCPCR और SCPCR की भूमिका और कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा करें ।

1.9.2 शिक्षा का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में एनसीपीसीआर और एससीपीसीआ की भूमिका

देश में बाल अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और बचाव के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) बाल अधिकारों की सार्वभौमिकता और अपरिहार्यता के सिद्धांत पर ज़ोर

देता है और देश की सभी बाल संबंधित नीतियों में तात्कालिकता को मान्यता देता है। आयोग के लिए, 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों का संरक्षण समान महत्व का है। इस प्रकार, नीतियां सबसे कमज़ोर बच्चों के लिए प्राथमिकता वाले कार्यों को परिभाषित करती हैं। इसमें ऐसे क्षेत्र पर ध्यान दिया जाता है जो पिछड़े हैं या विशेष परिस्थितियों वाले समुदाय हैं।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अधिकारों की सुरक्षा की जांच करने और समीक्षा करने और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए, बच्चों के निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 31 के तहत अनिवार्य किया गया है। बाल अधिकार और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करने और बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 2005 में प्रदान किए गए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है। राज्य अपने–2 राज्य में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (SCPCR) का गठन करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो शिकायत दर्ज करना चाहता है, उसे स्थानीय प्राधिकारी को एक लिखित शिकायत प्रस्तुत करनी होगी। अपील एससीपीसीआर द्वारा तय की जाएगी। अपराधों के अभियोजन के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

एनसीपीसीआर प्रभावी रूप से के माध्यम से बच्चों के शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है,इसके साथ ही तथ्यों की जांच, सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन, और शिकायतों का स्वतः संज्ञान लेते हुए पूछताछ कर रहा है, सभी संबंधित हितधारकों जैसे अधिकारियों से बातचीत करने के लिए जैसे राज्य शिक्षा विभाग, विद्यालय प्रबंधन समितियां, नागरिक समाज संगठन और ज़िला कलेक्टर, क्षेत्र का दौरा कर रहा है य और सभी बच्चों को शिक्षा के विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन में अंतराल और चुनौतियों के बारे में जांच और जानकारी प्राप्त करने के लिए द्य इस उद्देश्य के लिए NCPCR द्वारा शिकायतें दर्ज करने के लिए एक विशेष टोल फ्री हेल्पलाइन स्थापित की गई है। एनसीपीसीआर सभी नागरिक समाज समूहों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्रशासकों, कलाकारों, लेखकों, सरकारी कर्मियों, विधायकों, न्यायपालिका के सदस्यों और अन्य सभी हितधारकों को और एक एक साथ काम करने के लिए आमंत्रित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस देश का प्रत्येक बच्चा विद्यालय जा सके और कम से कम आठ साल की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो सके।

आयोग बच्चों के शिक्षा के अधिकार से जुड़े ऐसे मुद्दों पर, जिसमें नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखता रहा है। आयोग ने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर परामर्श के आयोजन में भी प्रयास किया है, जिससे राज्य बालअधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) और सरकार के अन्य संबद्ध विभागों के लिए राज्य आयोगों के बीच अभिसरण और समन्वय मजबूत हुआ है।

प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए, आयोग ने भारत में समता, समावेशी, गुणवत्ता और टिकाऊ शिक्षा के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया है।

आइए जानें

एनसीपीसीआर ने विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए व्यापक नियमावली को विकसित किया है। नियमावली समय–समय पर जारी विद्यालयों में सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न दिशा–निर्देशों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं, सरकारी आदेशों का संकलन है। हम निम्नलिखित लिंक के माध्यम से विस्तृत जानकारी पा सकते हैं

https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/Draft_NCPCR.pdf

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें।

5) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में स्थानीय निकायों की भूमिका पर चर्चा करें।

.....

.....

.....

.....

.....

1.10 दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान

हमारा संविधान अपने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। भारत के संविधान में विशिष्ट प्रावधान हैं जो '' दिव्यांग व्यक्तियों'' और अन्य वंचित और हाशिए वाले समूहों सहित सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 45 में विशेष प्रावधान रखा गया था, जिसमें 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निः शुल्क और अनिवार्य सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा थी, अशक्त अवियों के लिए बजटीय प्रावधान, विभिन्न पंचवर्षीय योजना में आवंटित किया गया था जो इस दिशा में एक मील का पत्थर था। कोठारी आयोग (1964–66) में एकीकृत सेटिंग्स में दिव्यांगता वाले बच्चों की शिक्षा पर ज़ोर दिया गया था। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में दोहराया गया था। आरसीआई अधिनियम (1992) और राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम (1999) इस क्षेत्र में बाद के प्रमुख विधान थे। दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 (पीडब्ल्यूडी अधिनियम) दिव्यांग लोगों के कल्याण में विधानों के मार्ग में एक मील का पत्थर रहा है। इस अधिनियम को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (2016) के द्वारा बदल दिया गया है।

भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) अधिनियम (1992) पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए जनशक्ति के विकास से संबंधित है। इसे व्यापक आधार प्रदान करने के लिए अधिनियम में संसद ने 2000 में संशोधन किया गया । यह पाठ्यक्रम का मानकीकरण करता है और पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी योग्य पेशेवरों और कर्मियों का एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर रखता है। परिषद, पुनर्वास पेशेवरों और कर्मियों के प्रशिक्षण को विनियमित और मॉनिटर भी करती है, पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देती है।

दिव्यांग लोगों के लिए (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (पीडब्लूडी अधिनियम–1995) एक प्रमुख अधिनियम है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, रोजगार, अवरोध मुक्त वातावरण का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा आदि प्रदान करता है। अधिनियम के अनुसार, दिव्यांगता से पीड़ित हर बच्चे की तब तक उचित शिक्षा प्राप्त होती है जब तक कि वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। इस अधि ानियम को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (RPWD अधिनियम), 2016 से बदल दिया गया है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी) 2016 ने पुराने अधिनियम को पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 बदल दिया है। इस अधिनियम की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसका उद्देश्य समाज में दिव्यांगता (PWD) वाले प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना है और किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना है। अधिनियम दिव्यांगता के साथ लोगों की पूर्ण स्वीकृति की सुविधा भी देता है और समाज में ऐसे व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समावेश सुनिश्चित करता है। नया अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) के अनुरूप है, जिसमें भारत ने न केवल हस्ताक्षर के लिए है, बल्कि इसकी पुष्टि करने वाले शुरुआती देशों में से एक है।

1.11 सारांश

राष्ट्र निर्माताओं और नीति निर्माताओं दोनों के लिए शिक्षा हमेशा चिंतन का प्रमुख क्षेत्र रहा है। जब भारत का संविधान लिखा और अपनाया गया था, तब सभी को शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उचित बल दिया गया था। सभी प्रावधानों के पीछे समानता और समता मुख्य मूल्य थे। प्रस्तुत इकाई में भारत के संविधान के सभी प्रमुख अनुच्छेदों पर चर्चा की है जिनकी शैक्षिक प्रासंगिकता है। वर्ष 2002 में, 86 वें संविधान संशोधन के माध्यम से, शिक्षा भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार बन गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का अधिनियमन इसे लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के प्रावधान, अलग–अलग दिव्यांग व्यक्ति हाशिए के वर्गों के शैक्षिक उत्थान के लिए किसी भी नीति/योजना के विकास की मजबूत नींव हैं, इन सभी पर इकाई में संक्षेप में चर्चा की गई है।

1.12 अभ्यास प्रश्न

1) त्रिभाषा सूत्र को इसकी वास्तविक भावना में लागू करने में क्या बाधाएं हैं? आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

2) शिक्षा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है? इसे वहां रखने के क्या लाभ हैं? विस्तार से चर्चा करें।

3) शिक्षा का अधिकार अधिनियम –2009 के अनुसार शिक्षकों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ क्या हैं? सूचीबद्ध करें।

4) भिन्न क्षमता वाले बच्चों की सीखने की सुविधा में एक शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें।

1.13 सन्दर्भ सूची एवं उपयोगी अध्ययन सामग्री

- अग्रवाल, वाई. (2000). प्राइमरी एजुकेशन इन डेल्ही : हाउ मच दू द चिल्ड्रेन लर्न : न्युपा : इंडिया
- बैंकस, जे. ए. (1991). अ करिक्युलम फॉर इम्पावरमेंट, एक्शन एंड चेंज. इन सी इ स्टीलर(एड) इम्पावरमेंट थ्रू मल्टीकल्चरल एजुकेशन चच.125– 142. अल्बानीः स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क प्रेस।
- बैंकस, जे. (1993) कैनन डिबेट, नालेज कंस्ट्रक्शन, एंड मल्टीकल्चरल एजुकेशन, एजुकेशनल रिसर्चर 22 (5), 4–14

- चंद्रहोक, एन. (1999). बियांड सेक्युलरिज्म : द राइट्स ऑफ रीलिजियस माइनोरिटीज, न्यू डेल्हीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
- चटर्जी, पी. (एड) (1998). वेज ऑफ फ्रीडमः फिफ्टी इयर्स ऑफ द इंडियन नेषन–स्टेट। डेल्हीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
- कपूर, आर. (2010). पीपल एज चेंज मेकर्स .ऑक्सफैम इंडिया (वर्किंग पेपर्स सीरीज).
- खिलनानी, एस. (1999). द आइडिया ऑफ इंडिया . न्यूयॉर्कः फर्रार, स्ट्रैस और गिरौक्स
- खोसला, एम. (2012). द इंडियन कानस्टीट्यूशनः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, यू.के.
- एमएचआरडी (2020). नेशनल एजुकेशन पालिसी , गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
- मोहंती, एम. (2006). सोशल इनेक्वलटी, लेबर मार्केट डायनामिक्स एंड रिजर्वेशन वाल्यूम एक्सएलआई, नंबर 35, ईपीडब्ल्यू, 2 सितंबर.
- नाइक, जे.पी. (1975). इक्वालटी, क्वालटी एंड क्वान्टटी : द इलुजीव ट्राईगल इन इंडिया न्यू डेल्हीः अलाइड पब्लिशर
- नाइक, जे. पी. (1997). द एजुकेशन कमीशन एंड आफ्टर. न्यू डेल्ही : ए.पी. एच.
- एनसीईआरटी (2011). डाईन्मिक्स एंड एजुकेशन , क्लास ग , न्यू डेल्हीः
- एनसीईआरटी (2011). पोलिटिकल थ्योरी, क्लास ग्प, न्यू डेल्हीः एनसीईआरटी
- एनसीईआरटी (2011). सोशल एंड पोलिटिकल लाइफ , क्लास टप्प्, न्यू डेल्हीः एनसीईआरटी
- निरंजनधर वी. पी. एंड के. अरुणा. (2006). द फंडामेंटल्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आफ एजुकेशन इन इंडिया : बंगलौर : बुक्स फार चेंज.
- ओमवेद, जी. (1993). दलितस एंड द डेमोक्रेटिक रिवाल्युशन : डॉ. अम्बेडकर एंड द दलित मोवमेंट इन कोलोनियल इंडिया : न्यू डेल्हीः सेज पब्लिकेशन

1.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

1) अनुच्छेद 21 ए, 24

   अनुच्छेद 15

   अनुच्छेद 14

2) सी

3) जो माता–पिता या अभिभावक हो जैसा भी मामला हो, छह से चौदह साल की उम्र के बीच के पाल्य हेतु बच्चे के शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करे।

4) v) अ. मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा,

   ब) संघ की आधिकारिक भाषा या सहयोगी आधिकारिक भाषा, जब तक मौजूद है, तथा

   स) आधुनिक भारतीय या विदेशी भाषा (1) और (2) और इसके अलावा अन्य अनुदेश के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है।

5) शिक्षा अधिकार–अधिनियम, 2009 की अपनी समझ के आधार पर प्रतिबिंबित करें।

इकाई 2 शैक्षिक आयोगः एक समीक्षा

इकाई संरचना

2.1 प्रस्तावना

2.2 उद्देश्य

2.3 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49)

2.3.1 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की प्रमुख संस्तुतियाँ

2.3.2 निहितार्थ और आलोचना

2.4 माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53)

2.4.1 माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख संस्तुतियाँ

2.4.2 निहितार्थ और आलोचना

2.5 शिक्षा आयोग (1964–66)

2.5.1 शिक्षा आयोग की प्रमुख संस्तुतियाँ

2.5.2 निहितार्थ और आलोचना

2.6 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2005)

2.6.1 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रमुख संस्तुतियाँ

2.6.2 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का आलोचनात्मक मूल्यांकन

2.7 सारांश

2.8 अभ्यास कार्य

2.9 संदर्भ सूची एवं उपयोगी अध्ययन सामग्री

2.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

2.1 परिचय

भारत की शिक्षा प्रणाली में ब्रिटिश विरासत है। स्वतंत्रता के प्रारंभिक दशकों के दौरान इस विरासत से अलग होने और हमारी अपनी शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के लिए कई प्रयास किए गए थे। हमने इकाई 1 में चर्चा की है कि भारत के संविधान ने राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है और तदनुसार कई संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। भारत में शिक्षा के मुद्दों को संबोधित करने के लिए तथा शिक्षा प्रणाली का विकास करने के लिए एक के बाद एक अनेक आयोगों का गठन किया गया । इनमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49) माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53), शिक्षा आयोग (1964–66) और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2005) सम्मिलित हैं। यह इकाई आलोचनात्मक रूप से इन आयोगों के सभी प्रमुख प्रावधानों और संस्तुतियों का विश्लेषण करेगी।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आपः

- विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49) के प्रमुख संस्तुतियों का वर्णन कर सकेंगे,
- माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) की संस्तुतियों के निहितार्थ पर चर्चा कर सकेंगे,

- विभिन्न स्तरों पर शिक्षा आयोग (1964–1966) की संस्तुतियों के प्रभाव का विश्लेषण कर सकेंगे, और
- राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2005) की प्रमुख संस्तुतियों पर चर्चा कर सकेंगे ।

2.3 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49)

स्वतंत्रता के बाद, लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था को फिर से उन्मुख करने का प्रथम प्रयास भारत सरकार द्वारा डॉ. एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता के अन्तर्गत विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति के माध्यम से किया गया था, जो एक प्रतिष्ठित विद्वान और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे, जो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बनें। भारत सरकार द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट देने तथा सुधार और विस्तार का सुझााव देने के लिए आयोग नियुक्त किया गया जो देश की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप वांछनीय हो सकता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1949 में जमा कर दी।

आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य, विश्वविद्यालयों में अध्ययन के पाठ्यक्रम, शिक्षा का माध्यम, शिक्षण के स्तर और शिक्षकों की सेवा की स्थिति, अनुसंधान को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा से अन्य संबंधित पहलुओं पर संस्तुति देने का लक्ष्य दिया गया था।

2.3.1 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की प्रमुख संस्तुतियाँ

1) आयोग ने उच्च शिक्षा के लिए निम्नलिखित निर्धारित किए :
   - ज्ञान को विकसित करके जीवन जीने की जन्मजात योग्यता को जागृत करना।
   - लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना।
   - मन की निडरता, विवेक की क्षमता और उद्देश्य की अखंडता जैसे कुछ मूल्यों को विकसित करना।
   - सांस्कृतिक विरासत से परिचित होना।
   - व्यावसायिक और वृत्तिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
2) किसी विश्वविद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य अपने शिक्षण और परीक्षाओं के उच्चतम मानक को बनाए रखना है। शिक्षण मानक को बेहतर बनाने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा 1948–49 में की गई कुछ संस्तुतियाँ निम्नलिखित हैं:
   - विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के मानक वर्तमान इंटरमीडिएट परीक्षा के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात् विद्यालय और इंटरमीडिएट महाविद्यालय में 12 साल की पढ़ाई पूरी होने के बाद;
   - विद्यालयी शिक्षा के 10 से 12 वर्षों के बाद छात्रों को अलग.अलग व्यवसाय में स्थानांतरित करने हेतु बड़ी संख्या में व्यावसायिक संस्थान खोले जा सकते हैं;
   - हाई विद्यालय और इंटरमीडिएट महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएँ;
   - व्याख्यान को सावधानीपूर्वक नियोजित किया जाए और उन्हें ट्यूटोरियल, पुस्तकालय कार्यों और लिखित अभ्यासों द्वारा पूरक होना चाहिए।

- किसी भी अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए कोई निर्धारित पाठ्यपुस्तकें नहीं होनी चाहिए।
- विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों में ट्यूटोरियल अनुदेश विकसित किया जाना चाहिए ।

3) शिक्षा की विषयवस्तु में सबसे अच्छी बात यह स्वीकार करनी चाहिए कि अतीत की हमारी सांस्कृतिक विरासत को नजरअंदाज किए बिना आधुनिक उन्नति द्वारा प्रस्तावित है?

4) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने बल दिया है कि शिक्षक, शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक योग्यता के साथ पर्याप्त प्राध्यापक आवश्यक हैं।

5) विश्वविद्यालय को नए विचारों को उत्पन्न करना चाहिए और उन विचारों को त्यागना चाहिए जो राष्ट्र के विकास को रोकने की संभावना रखते हैं। प्रगति के लिए अंधविश्वास से ऊपर उठना आवश्यक है। विश्वविद्यालय को छात्रों को अपनी संस्कृति के अच्छे पहलुओं को आत्मसात करने और एक सर्वांगीण विकास के लिए नए मूल्यों को स्वीकार करने में सहायता करनी है।

6) विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में निम्नलिखित के द्वारा सुधार लाया जा सकता है:

- बड़े वार्षिक अनुदान
- मुक्त पहुँच प्रणाली की शुरूआत
- लंबे समय तक काम
- बेहतर संगठन, तथा
- अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी, जिनमें संदर्भ सहायक सम्मिलित हैं।

7) प्रयोगशालाओं के निर्माण, फिटिंग, उपकरण, कार्यशालाओं और तकनीशियनों में सुधार किया जा सकता है।

8) महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के अनुदान आवंटन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाना आवश्यक है।

2.3.2 निहितार्थ और आलोचना

आयोग की रिपोर्ट बहुत महत्व का दस्तावेज है क्योंकि इसने स्वतंत्रता के बाद से भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास को निर्देशित किया है। इसने पूर्व के ज्ञान तथा प्रज्ञा तथा पश्चिम के प्राचीन तथा आधुनिक का संश्लेषण किया। तदनुसार, इसने पाठ्यक्रम पर अपनी सिफारिशें दीं।

दूसरा, वैज्ञानिक विचारों पर बल देते हुए, इसने हमें शिक्षा में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की अनदेखी न करने की चेतावनी दी। आयोग ने मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता को स्वीकार किया, संस्थानों में कुछ मिनटों का शान्त ध्यान का सुझाव और सभी धर्मों के महान धार्मिक नेताओं के शिक्षण पर इसके सुझाव को देश में विविधता में एकता के लिए महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखा जा सकता है। यह लगभग सात दशक पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा अनुशंसित है ।

यह रिपोर्ट को बनाने वाले की दूरदर्शिता और दृष्टि को दर्शाता है । इसकी सिफारिशें कि सरकारी प्रशासनिक सेवा के लिए विश्वविद्यालय की डिग्री की आवश्यकता नहीं होनी

चाहिए, काफी प्रासंगिक हैं और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में संशोधित) के रूप में अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है, जिसमें नौकरी के साथ डिग्री पर ज़ोर दिया गया था। इसने विभिन्न सेवाओं की भर्ती के लिए राज्य परीक्षा के गठन की सिफारिश की। यह उचित रूप से अनुशंसा करता है कि जहाँ तक संभव है, कृषि शिक्षा ग्रामीण वातावरण में दी जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में नए विश्वविद्यालय खोले जाएं। शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षकों की भूमिका के महत्व के बारे में इसकी मान्यता और उनके वेतन संरचनाए सेवा शर्तों, और उनके वृत्तिक विकास के लिए सुधारों से संबंधित सिफारिशें आयोग के पथप्रवर्तक योगदान हैं, जिसके कारण शिक्षण वृत्ति और शिक्षक की स्थिति में सुधार हुआ है।

2.4 माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53)

विविध पाठ्यक्रमों के साथ माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की आवश्यकता भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक शिक्षा के रूप में प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा की संरचना की स्वीकृति के कारण तत्काल आवश्यकता बन गई थी । इसलिए, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अपनी बैठकों में माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन की अनुशंसा की जो 1949 तथा 1951 में हुई थी। भारत सरकार ने तदनुसार 1952 में डॉ. लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की।

आयोग को जनादेश दिया गया था कि :

क) भारत में माध्यमिक शिक्षा के सभी पहलुओं की वर्तमान स्थिति पर जांच और रिपोर्ट दे, तथा

ख) इसके पुनर्गठन और सुधार करने के लिए उपायों का सुझाव दे, उद्देश्य, संगठन और माध्यमिक शिक्षा की सामग्री, प्राथमिक, बुनियादी और उच्च शिक्षा के साथ इसका संबंध, विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों और अन्य समस्याओं के अंतरसंबंध, देश में एक यथोचित समान माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के विशेष संदर्भ के साथ आयोग ने जून 1953 में अपनी रिपोर्ट जमा की।

2.4.1 माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख संस्तुतियाँ

आयोग ने समग्र व्यक्तित्व विकास के मूल्य पर अकादमिक निर्देशों पर बल देने, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी पर बल देने और शिक्षा के उन्मुख प्रणाली पर जीवन की वास्तविकताओं से विद्यालयों के अलगाव पर चिंता व्यक्त की। इसने निम्नलिखित सिफारिशें दीं :

i) आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य और उद्देश्यों को प्रस्तावित किया जिसमें चरित्र निर्माण, लोकतांत्रिक नागरिकता विकसित करना, आर्थिक और व्यावसायिक दक्षता, नेतृत्व को बढ़ावा देना और हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना सम्मिलित है।

ii) आयोग ने प्राथमिक या प्रारम्भिक बुनियादी शिक्षा के 4 या 5 वर्ष पूरे होने के बाद माध्यमिक शिक्षा के लिए एक नए संगठनात्मक अनुक्रम (पैटर्न) का प्रस्ताव रखा। यह इस प्रकार है :

- एक मध्य या जूनियर माध्यमिक या सीनियर बुनियादी अवस्था को 3 साल की अवधि का होना चाहिए;
- एक उच्चतर माध्यमिक चरण को 4 साल की अवधि का होना चाहिए। (अध्याय iv, माध्यमिक शिक्षा आयोग)।

- आयोग ने वर्तमान इंटरमीडिएट कक्षाओं को समाप्त करने का भी सुझाव दिया। 12 वीं कक्षा को विश्वविद्यालय से जोड़ा जाना चाहिए और 11 वीं कक्षा को हाई विद्यालय में जोड़ा जाना चाहिए।

iii) माध्यमिक शिक्षा, जो अधिकांश नागरिकों के लिए सभी औपचारिक शिक्षा का अंत होगा, को इस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने का दायित्व लेना चाहिए। इस संबंध में अपेक्षित है कि नए विचारों के लिए स्पष्ट सोच और ग्रहणशीलता की क्षमता विकसित करना।

iv) माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम के बाद, अधिकांश छात्र कुछ उपयुक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेंगे और कुछ ही समय में अभ्यास और अनुभव के माध्यम से या प्रशिक्षता प्रशिक्षण के माध्यम से उचित दक्षता प्राप्त कर लेंगे। ऐसे छात्रों के लिए, पॉलिटेक्निक या तकनीकी संस्थान उपलब्ध होने चाहिए जहां दो या अधिक वर्षों के तकनीकी पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएं।

v) माध्यमिक विद्यालय अब 'एकल मार्गीय संस्थान नहीं होने चाहिए, बल्कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना चाहिए। बहुउद्देश्यीय विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जो प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, कृषि, ललित कला और गृह विज्ञान में आवधिक पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे।

vi) इसमें दिव्यांग और पिछड़े बच्चों के लिए विद्यालय खोलने पर बल दिया गया है, जिसमें मूक–बधिर, दृष्टिवाधित और मंदबुद्धि बच्चे भी सम्मिलित हैं।

vii) शिक्षा का माध्यम के संबंध में आयोग ने सिफारिश की है कि माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक छात्र को कम से कम दो भाषा में अध्ययन करना चाहिए है जिसमें से एक क्षेत्रीय होनी चाहिए।

viii) माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम का क्षेत्र व्यापक किया जाना चाहिए। इसके व्यावहारिक पहलू पर पर्याप्त बल दिया जाना चाहिए और छात्रों को विषयों के चयन में पर्याप्त स्वतंत्रता होनी चाहिए।

ix) आयोग ने बड़ी संख्या में तकनीकी और औद्योगिक विद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की। ये संस्थान उद्योगों के निकट होने चाहिए और विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना चाहिए।

x) आयोग ने परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें छात्रों की सर्वांगीण प्रगति सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय अभिलेखों का रख–रखाव, इन अभिलेखों को महत्व देना और छात्र के अंतिम मूल्यांकन में आंतरिक परीक्षण और ग्रेडिंग में संख्यात्मक अंकन के स्थान पर प्रतीकात्मक को अपनाना शामिल था।

xi) इसने माध्यमिक चरण के पूरा होने पर केवल एक सार्वजनिक परीक्षा की सिफारिश की और अंतिम सार्वजनिक परीक्षा के अंत में कंपार्टमेंटल परीक्षा की प्रणाली शुरू की।

xii) यह स्वीकार करते हुए कि शैक्षिक सुधारों की सफलता, शिक्षकों की गुणवत्ता पर एक बड़ी सीमा तक निर्भर करती है, आयोग न गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियमित भर्ती द्वारा वेतन, पेंशन, भविष्य निधि सुरक्षा और अवकाश लाभ, आदि जैसी बेहतर सुरक्षा शर्तों को निश्चित करके शिक्षण व्यवसाय में सुधार के कई उपायों का सुझाव दिया।

2.4.2 निहितार्थ और आलोचना

आयोग की सिफारिशों को संसद द्वारा पूर्णता स्वीकार कर लिया गया । आयोग ने छात्रों को शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए की जरूरत को रेखांकित किया और कृषि शिक्षा पर बल देने का सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण था । इसने शिक्षा के गतिशील और प्रगतिशील तरीकों को प्रदान करने की आवश्यकता को पूरी तरह से अनुभव किया। आयोग ने शिक्षकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बढ़ाने के बारे में महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं। इसने शिक्षा प्रणाली में सुधार के कई उपाय सुझाए, जिनका माध्यमिक शिक्षा पर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण मूल्यांकन का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। संचयी अभिलेख कार्ड तेजी से उपयोग किए जा रहे हैं।

शिक्षा आयोग (1964–66) ने यह अनुभव किया कि 1953 और 1964 की अवधि के दौरान माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) की सिफारिशों का प्रभाव बहुत कम था और सिफारिशों के कार्यान्वयन में प्रगति शायद ही दिखाई दे रही थी।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

1) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948.49) द्वारा उच्च शिक्षा के क्या उद्देश्य सुझाए गए थे?

.....

.....

.....

.....

.....

2) माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952.53) क्यों नियुक्त किया गया था?

.....

.....

.....

.....

.....

3) माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर पाठ्यक्रम के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग की शिफारिशें क्या थीं?

.....

.....

.....

.....

.....

2.5 शिक्षा आयोग (1964.66)

हमने इस इकाई के पूर्ववर्ती खंड में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग पर चर्चा की है। इन दो आयोगों ने मुख्य रूप से शिक्षा के विशेष अवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जिसके लिए उन्हें स्थापित किया गया था, हालांकि उन्होंने शिक्षा के अन्य स्तरों के लिए भी सिफारिशें दी थीं। जब इन आयोगों की सिफारिशों को लागू करने के लिए कदम उठाए गए, शैक्षिक पुर्ननिर्माण की दिशा में भारत सरकार द्वारा प्रथम बड़ा प्रयास प्रो0 डी0 एस0 कोठारी की अध्यक्षता के अन्तर्गत शिक्षा आयोग (1964–66) का गठन किया गया। शैक्षिक पुनर्निर्माण का कार्य कोठारी आयोग को सौंपा गया था। शिक्षा आयोग को शिक्षा के राष्ट्रीय अनुक्रम पैटर्न और सभी स्तरों पर और सभी पहलुओं में शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धांतों और नीतियों पर सरकार को सलाह देने के लिए आदेश किया गया था।

शिक्षा आयोग की रिपोर्ट केंद्रित है :

i) राष्ट्र की आवश्यकता और आकांक्षाओं के लिए शिक्षा से संबंधित उद्देश्य के साथ शिक्षा प्रणाली का आंतरिक परिवर्तन,

ii) शिक्षा का गुणात्मक सुधार, तथा

iii) सभी के लिए शैक्षिक अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार।

2.5.1 शिक्षा आयोग की प्रमुख संस्तुतियाँ

आयोग ने कई पथ–प्रदर्शक सिफारिशें कीं, जिनकी देश भर में व्यापक रूप से चर्चा हुई और बाद में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति पर आम सहमति बनी। पहले ही वाक्य में आयोग ने माना कि **''भारत का भाग्य अब अपने कक्षाओं में आकार ले रहा है''** (पाठ. 1, पैरा 1.01), जो राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के महत्व को दर्शाता है।

i) राष्ट्र की सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से संबंधित करने के लिए आयोग ने निम्नलिखित उद्देश्यों की सिफारिश की, उत्पादकता में वृद्धि, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण, शिक्षा और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना और सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करना। आयोग को पूरी तरह से भारतीय शिक्षा प्रणाली के हर पहलू की जांच की और शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का साधन बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

ii) शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ने के लिए आयोग द्वारा कुछ उपायों की सिफारिश की गई थी – विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी घटक के रूप में विज्ञान का परिचय; सभी प्रकार की शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में कार्य अनुभव की शुरूआत; माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण; और विश्वविद्यालय स्तर पर कृषि और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर बल।

iii) सार्वजनिक शिक्षा की एक समान विद्यालय प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। बिना किसी विशेषज्ञता के सामान्य शिक्षा का पाठ्यक्रम को प्रथम दस साल की विद्यालयी शिक्षा में सात या आठ साल के प्राथमिक शिक्षा और तीन या दो साल की निम्न माध्यमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए।

iv) आयोग ने सिफारिश की है कि पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, शिल्प शेड, आदि पूरे वर्ष भर खुला होना चाहिए और कम से कम एक दिन के आठ घंटे उपयोग किया जाना चाहिए।

v) माध्यमिक विद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में पुस्तक बैंकों का एक कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। शिक्षण संस्थानों में शीर्ष 10 प्रतिशत छात्रों को किताबों की खरीद के लिए सालाना छोटे अनुदान दिए जाने चाहिए, जो जरूरी नहीं कि पाठ्यपुस्तकें हों।

vi) इस अवस्था में प्रतिभाशाली छात्रों के पहचान के लिए उपयुक्त तकनीकों का विकास करना चाहिए ताकि इस अवस्था में प्रतिभा को पहचाना जा सके। इसलिए, प्रतिभावान बच्चों के लिए संवर्धन कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए, ताकि उन्हें अपने अध्ययन से अधिक चुनौतीपूर्ण और अधिक संतोषजनक सीखने के अनुभव मिल सकें। ऐसे कार्यक्रम कक्षा V या Vi में शुरू हो सकते हैं।

vii) जिन छात्रों के पास घर पर अध्ययन के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, उनके लिए माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर बड़ी संख्या में दिन के अध्ययन केंद्रों की स्थापना करना आवश्यक है ।

viii) विद्यालयी शिक्षा के राज्य बोर्डों को पाठ्यक्रम के दो सेटों को तैयार करना चाहिए अर्थात, उन्नत और सामान्य। प्रत्येक विद्यालय को सभी विषयों में अग्रिम पाठ्यक्रम को अपनाने की आवश्यकता नहीं है।

ix) मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षा की कुल प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित है। मूल्यांकन के लिए नया दृष्टिकोण लिखित परीक्षा में सुधार करने का प्रयास करेगा ताकि यह शैक्षिक उपलब्धि का एक वैध और विश्वसनीय माप बन जाए और छात्र के विकास के उन महत्वपूर्ण पहलुओं को मापने के लिए तकनीकों को तैयार कर सके जिन्हें लिखित परीक्षाओं के माध्यम से नहीं मापा जा सकता है।

x) विद्यालयी स्तर पर, भारत सरकार को शिक्षकों के लिए न्यूनतम वेतनमान देना चाहिए। राज्य और संघ शासित प्रदेशों को उनके स्थानीय स्थितियों के अनुरूप समान या उच्चतर वेतन अपनाना चाहिए। प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय के शिक्षकों का न्यूनतम वेतन 1: 2: 3 के अनुपात में होना चाहिए।

xi) इस आयोग ने 60 साल के शिक्षकों के लिए सामान्य सेवानिवृत्ति की आयु की सिफारिश की और 65 साल तक के लिए विस्तार का प्रावधान होना चाहिए, बशर्ते कि व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और कर्तव्यों को कुशलता से पूरा करने के लिए मानसिक रूप से सतर्क हो।

xii) भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना सही दिशा में एक कदम है और यदि इस तरह की सेवा को उचित प्रकार से आयोजित किया जाता है, तो इस प्रकार की सेवा शिक्षा की प्रगति में सहायता करेगी।

xiii) निम्न प्राथमिक स्तर पर, केवल एक भाषा का अनिवार्य रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में छात्र को विकल्प के आधार पर पढ़ाया जाना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर, केवल दो भाषाओं को अनिवार्य आधार पर सिखाया जाना चाहिए, (i) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, और (ii) संघ की आधिकारिक या सहयोगी आधिकारिक भाषा। निम्न माध्यमिक स्तर (कक्षा आठवीं–दसवीं) में, तीन भाषाओं के अध्ययन के लिए अनिवार्य होना चाहिए, और एक छात्र को संघ की आधिकारिक भाषा या सहयोगी आधिकारिक भाषा का अध्ययन करने के लिए बाध्य होना चाहिए, जिसे उसने उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं चुना था।

2.5.2 निहितार्थ और आलोचना

आयोग ने शिक्षा, इसकी विषयवस्तु, विकास के विस्तार और योजना आदि की भूमिका में बहुमूल्य योगदान दिया। भारत में मौजूद शिक्षा प्रणाली बहुत सीमा तक, इस रिपोर्ट से अपनी प्रेरणा प्राप्त करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) भी काफी सीमा तक इस पर आधारित है। रिपोर्ट ने न केवल शिक्षा के लिए दार्शनिक और समाजशास्त्रीय आधारों को प्रदान किया, बल्कि कार्यान्वयन के लिए एक यथोचित कार्य कार्यक्रम भी प्रदान किया। शैक्षिक कार्यक्रम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें सुझाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के वित्तीय पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया है। आयोग ने स्वतंत्र भारत के संविधान में निर्धारित आवश्यकताओं, आकांक्षाओं के आदर्शों और बहुमूल्य आगे आने वाले शैक्षिक पुनर्निर्माण के पूरे कार्यक्रम पर विचार किया।

भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित थीं जिन्हें लागू किया गया था

- राष्ट्रीय नीति संकल्प (1968)
- शिक्षा के नए अनुक्रम का परिचय
- उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण
- विद्यालयी स्तर पर कार्य अनुभव
- शैक्षिक संस्थानों में बुक बैंक की सुविधा
- शिक्षकों का संशोधित वेतनमान
- राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासनिक संस्थान, नई दिल्ली में स्थापित किया गया।

दूसरी तरफ, जिन सिफारिशों पर थोड़ा ध्यान दिया गया, वे इस प्रकार हैं

- विद्यालय परिसरों का निर्माण
- भारतीय शिक्षा सेवाओं का निर्माण
- ज़िला विद्यालय बोर्डों का निर्माण
- राष्ट्रीय शैक्षिक अधिनियम
- विद्यालय शिक्षा का एक राष्ट्रीय बोर्ड का निर्माण
- स्वायत्त शैक्षिक संस्थानों की मान्यता
- शैक्षिक अधिकारियों और उद्योग के बीच विकास साझेदारी
- पब्लिक विद्यालयों को हतोत्साहित करना
- शिक्षा पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी.एन.पी.) का 6 प्रतिशत खर्च करना

इन क्षेत्रों की अनदेखी बड़े स्तर पर हुई है। इन पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। यह सबसे हतोत्साहित करने वाला पहलू है। यह इंगित करता है कि शिक्षा को सरकारों से वांछित ध्यान नहीं मिला है।

2.6 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2005)

ज्ञान पूंजी का उपयोग करने और बनाने के लिए एक राष्ट्र की क्षमता, मानव क्षमताओं को बढ़ाकर अपने नागरिकों को सशक्त और सक्षम बनाने की उसकी क्षमता निर्धारित करती है। 21वीं शताब्दी में इस ज्ञान को प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में मान्यता दी गई है और एक

प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी के रूप में उभरने की भारत की क्षमता काफी हद तक आपके ज्ञान संसाधनों पर निर्भर करेगी। पीढ़ीगत परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए, पूरे ज्ञान स्पेक्ट्रम की चिंताओं को दूर करने के लिए एक प्रणालीगत परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इस व्यापक कार्य को ध्यान में रखते हुएए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (NKC) का गठन 13 जून 2005 को तीन वर्षों की समय.सीमा के साथ 2 अक्टूबर 2005 से 2 अक्टूबर 2008 के बीच किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री के एक उच्चस्तरीय सलाहकार निकाय के रूप में, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को कुछ प्रमुख क्षेत्रों, जैसेकि शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग, ई. गवर्नेंस, आदि पर ध्यान केंद्रित करने और ज्ञान, निर्माण और ज्ञान प्रणालियों के संरक्षण के लिए आसान क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए नीति और प्रत्यक्ष सुधार करने के लिए एक जनादेश दिया गया था । ज्ञान का प्रसार और बेहतर ज्ञान सेवाएं आयोग की मुख्य चिंताएं हैं।

उपर्युक्त के दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को उपयुक्त संस्थागत ढांचे को विकसित करने के लिए स्थापित किया गया था :

- शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना, घरेलू अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, और स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग, जैसे क्षेत्रों में ज्ञान के अनुप्रयोग की सुविधा प्रदान करना।
- शासन को सुद्रढ़ करने और कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना।
- वैश्विक क्षेत्र में ज्ञान प्रणालियों के बीच आदान–प्रदान और बातचीत के लिए तंत्र तैयार करना।
- राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में अध्यक्ष सहित छह सदस्य सम्मिलित थे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अध्यक्षता सैम पित्रोदा ने की थी। सभी सदस्यों ने अंशकालिक आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन किया और उसके लिए किसी भी पारिश्रमिक का दावा नहीं किया। सदस्यों को अपने कार्यों में छोटे तकनीकी सहायक कर्मचारियों के द्वारा सहायता दी गई जिसका नेतृत्व एक कार्यकारी निदेशक ने किया जिसे सरकार द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के लिए भेजा गया था। आयोग अपने कार्यों के प्रबंधन में सहायता के लिए विशेषज्ञों का सह–चयन करनें के लिए भी स्वतंत्र था।

2.6.1 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रमुख संस्तुतियाँ

1) आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा प्रणाली को अवसरों के बड़े पैमाने पर विस्तार की आवश्यकता है, लगभग 1500 विश्वविद्यालयों को, जो भारत को 2015 तक कम से कम 15 प्रतिशत के सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने में सक्षम करेगा, की स्थापना की अनुसंशा की गई।

2) आयोग ने उच्च शिक्षा के लिए नियमन की प्रणाली को बदलने की सिफारिश की। उच्च शिक्षा में वर्तमान नियामक प्रणाली कुछ महत्वपूर्ण मामलों में दोषपूर्ण है। प्रणाली, एक पूरे के रूप में, अधिक विनियमयित लेकिन कम.शासित है। आयोग ने अवलोकन किया कि उच्च शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण (IRAHE) स्थापित करने की स्पष्ट आवश्यकता है।

3) आयोग ने सार्वजनिक खर्च बढ़ाने और वित्तपोषण के स्रोतों में विविधता लाने की सिफारिश की। वित्तपोषण के उन्नत स्तरों के बिना उच्च शिक्षा की प्रणाली का विस्तार संभव नहीं है। यह आवश्यक रूप से सार्वजनिक और निजी दोनों स्रोतों से आना चाहिए।

4) आयोग ने 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की, जो उच्चतम स्तर की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।

5) आयोग ने वर्तमान संदर्भ में संबद्ध महाविद्यालयों की उपयोगिता और प्रासंगिकता पर संदेह उठाया और विश्वविद्यालयों से संबद्ध स्नातक महाविद्यालयों की प्रणाली के पुनर्गठन की आवश्यकता जताई।

6) उच्च शिक्षा का विस्तार, जो छात्रों को विकल्प प्रदान करता है और संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करता है, जवाबदेही बढ़ाने में महत्वपूर्ण होने वाला है।

7) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सिफारिश की, कि शिक्षा के अधिकार की पुष्टि करने वाले एक केंद्रीय कानून की आवश्यकता है। इससे शिक्षा के अधिकार को साकार करने के लिए केन्द्र सरकार को अतिरिक्त धनराशि के वित्तीय प्रावधान की आवश्यकता होगी।

8) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सिफारिश की कि भाषा के रूप में अंग्रेजी की शिक्षा बच्चे की पहली भाषा (या तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा) के साथ कक्षा 1 से शुरू किया जाना चाहिए।

9) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने एक उद्योग के रूप में अनुवाद को विकसित करने और देश भर में अनुवाद गतिविधियों को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ एक राष्ट्रीय अनुवाद मिशन स्थापित करने की सिफारिश की। मिशन अनुवाद के सभी पहलुओं पर सूचनाओं का भंडार स्थापित करने जैसी गतिविधियों की मेजबानी करेगा।

10) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने गीगाबाइट क्षमता वाले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ब्रॉडबैंड नेटवर्क के माध्यम से हमारे सभी ज्ञान संस्थानों को विभिन्न क्षेत्रों में और देश भर के विभिन्न स्थानों से जोड़ने वाले एक उच्च.अंतराष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना के लिए सिफारिश की।

11) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कुछ प्रमुख क्षेत्रों जैसे– पानी, ऊर्जा, पर्यावरण, शिक्षकों, जैव विविधता, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, नागरिकों के अधिकारों, आदि पर राष्ट्रीय वेब. आधारित पोर्टलों के निर्माण का भी प्रस्ताव दिया है । पोर्टल जानकारी के लिए एकल खिड़की के रूप में काम करेंगे। सभी हितधारकों के लिए दिया गया क्षेत्र और एक संघ द्वारा प्रबंधित किया जाएगा जिसमें हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रतिनिधि शामिल हों ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास एक राष्ट्रीय चरित्र है।

12) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में सभी स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों को जोड़ने के लिए, एक वेब.आधारित नेटवर्क विकसित करने की सिफारिश की।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अन्य सुझाव निम्नानुसार थे :

- व्यावसायिक शिक्षा को पूरी तरह से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत रखें।
- पुस्तकालयों पर एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करना।
- अनुवाद को उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए प्रेरणा प्रदान करें।
- नीतिगत पहल के सुझाव के लिए एक राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना की जानी चाहिए।
- नागरिकों के साथ सेवाओं और लेनदेन के लिए कम्प्यूटरीकरण से पहले समान मानकों का विकास तथा सरकार द्वारा फिर से इंजीनियरिंग की प्रक्रिया।

2.6.2 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का महत्वपूर्ण मूल्यांकन

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के आधार परए संस्कृति विभाग (DoC) ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में ग्प् योजना के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन (NML) की स्थापना का प्रस्ताव रखा । सरकार ने 75 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (एनटीएम) की स्थापना को मंजूरी दी। सीआईआईएलए मैसूर मिशन को लागू करने वाली नोडल एजेंसी थी । पच्चीस राज्यों ने अंग्रेजी को कक्षा 1 से एक विषय के रूप में प्रारंभ किया है। NCERT और CIEFL की मदद से ए MHRD राज्यों ध् केंद्रशासित प्रदेशों के विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षण को उचित पाठ्यक्रम, सामग्री और अंग्रेजी में कौशल के साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण का विकास कर रहा है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 से लागू किया गया है। देश में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) के विस्तार, पुनर्निर्देशन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय कौशल विकास के तहत जुलाई 2008 में तीन स्तरीय संरचना का गठन किया गया था। क्षमता का विस्तार करने और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, सरकार ने नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

4) भारतीय शिक्षा आयोग(1964–66) की अद्वितीय विशेषताएँ क्या थीं।

.....

.....

.....

.....

.....

5) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2005) के प्रमुख उद्देश्य क्या थे।

.....

.....

.....

.....

.....

2.7 सारांश

इस इकाई में, हमने चर्चा की है कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए भारत सरकार द्वारा कई आयोगों और समितियों की स्थापना की गई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–1949), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53), कोठारी आयोग (1964–1966) और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2005) की सिफारिशें प्रमुख हैं। आप भारतीय शिक्षा के लिए इन आयोगों की सिफारिशों के निहितार्थ से भी परिचित हुए। हमने इन आयोगों द्वारा अग्रेषित सिफारिशों के गुणों और अवगुणों का भी

वर्णन किया है कि कैसे इन सिफारिशों ने स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भारत में शिक्षा प्रणाली की बेहतरी में योगदान दिया है।

2.8 अभ्यास कार्य

1) उच्च शिक्षा के उद्देश्य, वर्तमान और वित्तपोषण के संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशों का वर्णन करें।

2) ''कोठारी आयोग (1964.66) शिक्षा में स्वतंत्रता के बाद सबसे व्यापक आयोगों में से एक है।'' इस कथन की न्यायोचितता समीक्षा करें।

3) उच्च शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रमुख सिफारिशों पर चर्चा करें।

4) माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952.53) की सिफारिशों का आलोचनात्मक परीक्षण करें ।

5) कोठारी आयोग (1964.66) द्वारा दिए गए 10+2+3 प्रारूप के गुणों और अवगुणों पर चर्चा करें।

2.9 संदर्भ सूची एवं उपयोगी अध्ययन सामग्री

अग्रवाल, जे.सी. (2008). डेवलपमेन्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इण्डिया, दिल्लीः शिप्रा पब्लिशिंग।

अग्रवाल, जे.सी. (2012). लैण्डमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इण्डियन एजुकेशन ,नई दिल्ली, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा. लिमिटेड

शिक्षा आयोग की रिपोर्ट (1964.66). नई दिल्ली : भारत सरकार।

कोठारी, डी.एस. (1962). सम आसपेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, दिल्ली : यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन।

मुदलियार, ए.एल.: एजुकेशन इन इंडिया, (मेमोरियल लेक्चर्स), नई दिल्ली : एशिया पब्लिशिंग हाउस।

मुखर्जी, आर.के. (1947). एनशिएन्ट इण्डियन एजुकेशन, बॉम्बे : मैकमिलन।

नेल, जे.पी. (1965). एजुकेशनल प्लानिंग इन इण्डिया, बॉम्बे : एलाइड पब्लिशरर्स।

शर्मा, ए.पी. (1986). कनटेम्पररी प्राबलम्स ऑफ एजुकेशन, नई दिल्ली : विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा. लिमिटेड।

2.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

1) खंड 2.3.1 का संदर्भ

2) खंड 2.4 का संदर्भ

3) खंड 2.4.1 का संदर्भ

4) खंड 2.5.1 का संदर्भ

5) खंड 2.6 का संदर्भ

इकाई 3 भारत में शैक्षिक नीतियाँ

इकाई संरचना

3.1 परिचय

3.2 उद्देश्य

3.3 भारत में शैक्षिक नीतियाँ

3.4 शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (NPE 1968)

3.5 शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय (1986)

3.5.1 क्रिया के लिए कार्यक्रम (1992) – निहितार्थ और आलोचना

3.6 आई.सी.टी के लिए राष्ट्रीय नीति

3.7 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020)

3.7.1 नीति की दृष्टि

3.7.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) की संरचना

3.7.3 नीति की अनुशंसाएँ

3.8 सारांश

3.9 अभ्यास कार्य

3.10 सन्दर्भ सूची एवं उपयोगी अध्ययन सामग्री

3.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

3.1 परिचय

पिछली इकाई में, हमने स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न आयोगों के बारे में चर्चा की है। स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार की प्रमुख चिंता अंग्रेजों की विरासत से दूर शिक्षा की अपनी स्वछंद व्यवस्था को विकसित करने की है। देश ने सभी के लिए गुणवत्ता आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से व्यक्ति के साथ–साथ समाज के विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में स्वीकार किया जाता है।

हम पहले ही इकाई दो में चर्चा कर चुके हैं कि भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न आयोगों विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–1949), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–1953), शिक्षा आयोग (1964–66) के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली को दिशा प्रदान करने हेतु दिशानिर्देशों को विकसित करने के लिए सहायता ली हैं। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (एन.पी. ई –1968), शिक्षा की नीति (एन.पी.ई –1986), क्रियान्वयन कार्यक्रम (1992), आई.सी.टी के लिए राष्ट्रीय नीति और भारत ने शिक्षा पर एक नई नीति की रूपरेखा जारी की, जो बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के रूप में देश के समक्ष आई। इनमें चिंताओं और सिफारिशों को समय समय पर संबोधित किया गया है।

इस इकाई में हम विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें भारत सरकार द्वारा शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर न केवल मात्रात्मक, बल्कि गुणात्मक तौर पर भी देखा जाएगा। हम भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए शैक्षिक कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय नीतियाँ और आईसीटी के लिए राष्ट्रीय नीति की लिए मुख्य विशेषताओं और प्रमुख सिफारिशों का वर्णन तथा व्याख्या भी करेंगे।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई के पूरा होने के बाद, आप :

- भारत में विभिन्न शैक्षिक नीतियों की आवश्यकता का वर्णन कर सकेंगे,
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों की व्याख्या कर सकेंगे,
- 1968 और 1986 की शिक्षा की राष्ट्रीय नीतियों की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे,
- उनकी प्रासंगिकता के लिए विभिन्न नीतियों द्वारा निर्धारित शिक्षा के विभिन्न लक्ष्यों की जांच कर सकेंगे,
- क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 के निहितार्थ का विश्लेषण कर सकेंगे,
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताओं के बारे में बता और व्याख्या कर सकेंगे, और
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के योगदान और सभी के लिए शिक्षा पर उनके प्रभाव की व्याख्या कर सकेंगे।

3.3 भारत में शैक्षिक नीतियाँ

आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि शिक्षा सभी प्रकार के विकास की नींव है इसलिए स्वतंत्रता के बाद शिक्षा प्रणाली में सुधार भारत सरकार की प्रमुख चिंताओं में से एक था। स्वतंत्र भारत में अच्छी शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए कई पहल की गई हैं और नीतियां बनाना उनमें से एक है।

शिक्षा आयोग (1964–66) की सिफारिशों पर, 1968 में भारत में पहली शिक्षा नीति लागू की गई थी। इसके बाद शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (1986) की घोषणा की गई और एक लंबे अंतराल के बाद 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूपरेखा, भारत सरकार द्वारा लाया गया। एनपीई, 1986 के बाद, प्रोग्राम ऑफ एक्शन (1992) लाया गया जिसके द्वारा इसके क्रियान्वयन के लिए रोड मैप दिया गया।

नीचे दिये गये अनुक्रम चार्ट भारत में विभिन्न नीतियों की एक झलक प्रदान करता है।

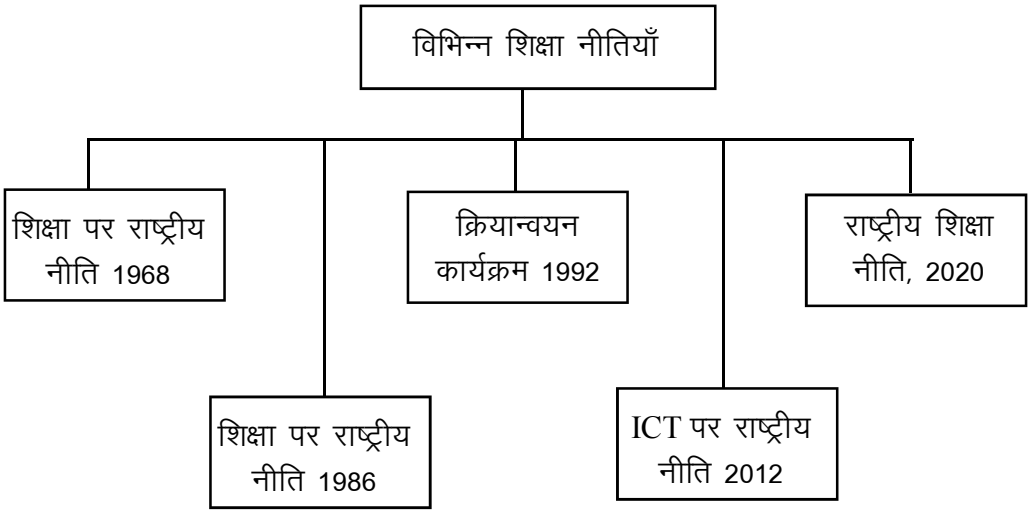

आइए इन नीतियों के बारे में संक्षेप में चर्चा करें :

3.4 शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1968)

जैसा कि पिछली इकाई में बताया गया है, शिक्षा आयोग (1964–66), जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, शिक्षा पर पहला व्यापक आयोग था जिसने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों को समाविष्ट किया। कोठारी आयोग की सिफारिशों को साकार करने के लिए, शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति (1968) में लायी गई थी। देश की सामाजिक–सांस्कृतिक व आर्थिक विकास के लिए 'शिक्षा के लिए, शिक्षा का पूर्णतयः पुनर्निर्माण' (NPE 1968, अनुच्छेद 3) की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा आयोग (1964–66) द्वारा सिफारिश की गई थी। इसने चरित्र निर्माण, नैतिक विकास के साथ–साथ सामान्य नागरिकता और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने, आदि में शिक्षा की सशक्त भूमिका को मान्यता दी।

नीति की प्रमुख संस्तुतियां इस प्रकार हैं :

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा : एनपीई (1968) ने सिफारिश की कि 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिए और विद्यालयों में भी अपव्यय और अवरोधन को कम करने के लिए, कठोर प्रयास, किए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि हर बच्चा जो विद्यालयों में नामांकित है, सफलतापूर्वक निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करे।

शिक्षक की स्थिति, भत्ते व शिक्षा : नीति ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और राष्ट्रीय विकास में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी। इसने शिक्षकों की स्थिति और सेवा की स्थिति में सुधार पर बल दिया और स्वतंत्र अनुसंधानों को आगे बढ़ाने और प्रकाशित करने तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए शिक्षकों की शैक्षिक स्वतंत्रता की सिफारिश की। सेवारत शिक्षक शिक्षा पर भी बल दिया गया।

भाषाओं का विकास : इस नीति ने सिफारिश की, कि त्रिभाषा सूत्र को रेखांकित करते हुए क्षेत्रीय भाषा के उपयोग को शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जिसमें आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन, अधिमानतः दक्षिणी भाषाओं में से एक, हिंदी भाषीय प्रान्तों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, शामिल है।

सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार, संस्कृत भाषा के शिक्षण की सुविधा और अंग्रेजी और अन्य अंतरराष्ट्रीय भाषाओं के अध्ययन पर ज़ोर, नीति की कुछ महत्वपूर्ण संस्तुतियां हैं।

शैक्षिक अवसर की समानता : नीति ने सभी को ध्यान में रखते हुए धर्म, क्षमताओं, लिंग, वर्ग, जाति आदि, ग्रामीण और शहरी, पुरुष और महिला के लिए शैक्षिक सुविधाओं के बीच अंतर को कम करने के लिए शैक्षिक अवसर को समान करने के लिए गंभीर प्रयास पर बल दिया। इसमें सुझाव दिया कि सामाजिक सामंजस्य और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, समान विद्यालय व्यवस्था (कॉमन विद्यालय सिस्टम) को अपनाया जाना चाहिए। इसने पब्लिक विद्यालयों, जैसे– सभी विद्यालयों में योग्यता के आधार पर छात्रों के प्रवेश की सिफारिश की, और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के हितों की रक्षा की सिफारिश की। इसने सिफारिश की कि सामान्य विद्यालयों में शिक्षा के मानकों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, जहां विशेष जरूरतों वाले बच्चे एकीकृत कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

प्रतिभा की पहचान : इस नीति ने विभिन्न क्षेत्रों में जल्द से जल्द प्रतिभाओं की पहचान पर बल दिया और इसके पूर्ण विकास के अवसर प्रदान किए।

कार्य–अनुभव और राष्ट्रीय सेवा : विद्यालय और समुदाय के बीच घनिष्ठ संबंधों की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, नीति ने माना कि कार्य–अनुभव, सामुदायिक सेवा और राष्ट्रीय सेवा को शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। यह महसूस किया गया कि इन कार्यक्रमों से चरित्र निर्माण और सामाजिक प्रतिबद्धता की भावना विकसित करने में मदद मिलेगी।

विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान : नीति ने सिफारिश की कि विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय आर्थिक विकास को गति देता है। विज्ञान और गणित पूरे विद्यालय जीवन के माध्यम से सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।

कृषि और उद्योग के लिए शिक्षा : प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करके और कृषि के एक या अधिक पहलुओं के अध्ययन के लिए विभागों को विकसित करने के लिए अन्य विश्वविद्यालयों की सहायता करके कृषि और उद्योग के लिए शिक्षा के विकास के लिए विशेष प्रयासों पर बल दिया। तकनीकी शिक्षा और देश की कृषि, औद्योगिक और अन्य तकनीकी जनशक्ति आवश्यकताओं की निरंतर समीक्षा में छात्रों को व्यावहारिक विवरण दिया जाना चाहिए।

पुस्तकों का उत्पादन : नीति ने पुस्तकों में लगातार परिवर्तन और उन की उच्च कीमत की आलोचना की। इसने विश्वविद्यालय स्तर सहित सभी स्तरों के छात्रों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों के बारे में विशेष ध्यान देने की संस्तुति की। इसने विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन के महत्व पर भी बल दिया और संस्तुति की कि पूरे देश में कुछ बुनियादी पाठ्यपुस्तकों को सामान्य बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

परीक्षाएँ : परीक्षाओं की विश्वसनीयता और वैधता को जारी रखने और सुधारने पर बल दिया।

माध्यमिक शिक्षा : सामाजिक परिवर्तन और परिवर्तन के एक प्रमुख साधन के रूप में माध्यमिक शिक्षा पर विचार किया और इस स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाने पर बल दिया।.

विश्वविद्यालय शिक्षा : विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में NPE, 1968 द्वारा कई महत्वपूर्ण कई महत्वपूर्ण संस्तुतियां की गयी थी। इनमें पर्याप्त धन प्रावधानों के बाद ही नए विश्वविद्यालयों का स्थापन शामिल है, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर ध्यान देना, और प्रशिक्षण व अनुसंधान सुविधाओं में सुधार, आदि। इसने छात्रों को अग्रिम अध्ययन और उचित प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कर्मचारियों और अन्य सुविधाओं के केंद्रों को मजबूत करने की भी सिफारिश की।

अंशकालिक शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रम : विश्वविद्यालय और विद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और श्रमिकों के लिए बड़े पैमाने पर पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों के रूप में एक ही स्थिति के अंशकालिक शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रम विकसित करना।

साक्षरता और वयस्क शिक्षा का प्रसार : सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में साक्षरता अभियानों में शिक्षकों और छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करके सामूहिक निरक्षरता का परिसमापन।

खेल और खेलकूद : खेलकूद और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा छात्रों की शारीरिक योग्यता और खेल कौशल में सुधार।

शैक्षिक संरचना : 10+2+3 अनुक्रम पैटर्न को अपनाकर देश के सभी भागों में समान शैक्षिक संरचना का सुझाव दिया। राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत का व्यय बढ़ाकर शिक्षा में निवेश में क्रमिक वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित करना।

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि NEP(1968) ने स्त्रतंत्रता के पश्चात के भारतीय इतिहास में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में चिह्नित किया क्योंकि यह राष्ट्रीय प्रगति और एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ पहली नीति थी। इस नीति ने लगभग 20 वर्षों तक भारत में शिक्षा का मार्गदर्शन किया। महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ, पूरे देश में सामान्य शिक्षा प्रणाली यानी 10+2+3 की शुरूआत हैं, शिक्षा प्रणाली के एक आमूलचूल पुनर्निर्माण की आवश्यकता और सभी स्तरों पर इसकी गुणवत्ता में सुधार के साथ–साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अधिक ध्यान देना है।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

1) एन.पीई, 1968 में आमूलचूल पुर्नगठन की बात क्यों की गई?

.....

.....

.....

.....

.....

2) शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए एम.वी.ई.1968 का क्या सुझाव था?

.....

.....

.....

.....

.....

3.5 शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1986)

1986 में शिक्षा प्रणाली की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने का एक और प्रयास किया गया था। 1985 में नीतिगत दस्तावेज ''शिक्षा की चुनौतियां–नीति परिप्रेक्ष्य'' से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) निकाली गई थी, जिसकी देश भर में व्यापक रूप से चर्चा हुई थी और प्राप्त सुझावों को NPE 1986 में सम्मिलित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मई 1986 में 'संसद द्वारा अपनाया गया। नीति ने माना कि "शिक्षा वर्तमान और भविष्य में एक अनूठा निवेश है"। (अनुच्छेद 2.4, एन.पी.ई 1986)।

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति की प्रमुख संस्तुतियां (1986) इस प्रकार हैं :

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली : NPE 1986 ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली का सुझाव दिया। राष्ट्रीय प्रणाली ने एक सामान्य शैक्षिक संरचना की परिकल्पना की है, अर्थात10+2+3 जैसा कि एन.पी.ई (1968) द्वारा सुझाया गया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर आधारित थी जिसमें मूल घटक के साथ कुछ सामान्य घटक भी शामिल थे। सामान्य मूल घटकों में भारत की स्वतंत्रता आंदोलन, संवैधानिक दायित्वों और अन्य सामग्री जो राष्ट्रीय पहचान को पोषित करने के लिए आवश्यक है, का इतिहास था।

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के प्रमुख प्रावधान

- राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली : 10+2+3 शिक्षा का प्रारूप
- प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देखभाल तथा शिक्षा
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, जिसमें एक मूल केन्द्र हो,
- सभी को समान अवसर
- शिक्षा के प्रत्येक स्तर हेतु सीखने के न्यनतम स्तर
- जीवनपर्यन्त शिक्षा
- महिला निरक्षरता को दूर करना
- अल्पसंख्याकों की शिक्षा
- निशक्तों की शिक्षा
- 14 वर्ष तक आयु वाले बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन व अवधारणा
- बालकेन्द्रित शिक्षण
- ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए गति प्रदायक विद्यालय
- तकनीक एवं प्रबन्धन की शिक्षा

प्रारंभिक बाल्यकाल की देखभाल और शिक्षा :

इस नीति ने छोटे बच्चों की शिक्षा और देखभाल को बहुत महत्व दिया है, विशेष रूप से पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों ने समेकित बाल विकास सेवा, बालवाडी, राज्य सरकार व नगरपालिका के प्री–प्राइमरी विद्यालयों और बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम की सिफारिश की है।

प्राथमिक शिक्षा तथा ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड : राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्रारंभिक शिक्षा के तीन पहलुओं को एक नया बल दिया है, जो हैं:

i) सार्वभौमिक नामांकन,

ii) 14 वर्ष तक के बच्चों की सार्वभौमिक अवधारण, तथा

iii) शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार।

नीति में बाल केंद्रित और क्रिया–आधारित अधिगम प्रक्रिया व शारीरिक दंड के कुल बहिश्करण पर बल दिया गया।

विद्यालयों में अपर्याप्त सुविधाओं को महसूस करते हुए, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की योजना को प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का सुझाव दिया गया था। इस योजना की परिकल्पना तीन बड़े कक्षों को उपलब्ध कराने पर की गई थी, जिसका उपयोग सभी मौसम में किया जा सकता है, और ब्लैकबोर्ड, मानचित्र, चार्ट, खिलौने, अन्य आवश्यक अधिगम सामग्रियां, कम से कम तीन शिक्षकों (50% महिलाओं) के साथ सहायक और विद्यालय पुस्तकालय प्रदान करना।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, और पिछड़े वर्गों की शिक्षा : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की शिक्षा के बारे में आदिवासी क्षेत्रों, अनुसूचित जाति क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने की सिफारिश की और 1990 तक 6–11 आयु वर्ग के एससी/एसटी बच्चों के शतप्रतिशत नामांकन के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया ।

दिव्यांगों की शिक्षा : NPE ने शारीरिक दिव्यांगता वाले बच्चों की शिक्षा पर ज़ोर दिया और सामान्य बच्चों की तरह अन्य निम्न दिव्यांगता को भी सामान्य माना जाना चाहिए। गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए ज़िला मुख्यालयों पर छात्रावास सुविधाओं के साथ विशेष विद्यालय स्थापित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। दिव्यांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और दिव्यांगों की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयास के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

निरौपचारिक शिक्षा : विद्यालय छोड़ने वालों के लिए, बिना विद्यालय वाली बस्तियों के बच्चों, वो बालिकाएं, जिन्हें विद्यालय जाने में समस्या होती है, और कामकाजी बच्चों को निरौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का सुझाव दिया गया था। कार्यक्रम चलाने की जिम्मेदारी स्वैच्छिक एजेंसियों और पंचायती राज को दी गई थी।

माध्यमिक शिक्षा : माध्यमिक शिक्षा के बारे में नीति ने असेवित क्षेत्रों में विद्यालय प्रणाली की स्थापना और प्रतिभा और उच्च उपलब्धि वाले बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने के प्रावधान की सिफारिश की। निम्नलिखित सुविधाओं का सुझाव दिया गया थाः

i) विशेष रूप से असेवित क्षेत्रों में लड़कियों, एस.सी. और एस.टी. बच्चों के माध्यमिक शिक्षा नामांकन तक पहुंच को व्यापक बनाने का कार्यक्रम।

ii) अन्य क्षेत्रों में कार्यक्रम का विस्तार

iii) ग्रामीण क्षेत्रों, एससी और एसटी के लिए विशेष प्रतिभा वाले बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, की स्थापना।

शिक्षा का व्यावसायिकीकरण : नीति ने व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता और महत्व को पहचाना और माध्यमिक शिक्षा के 2 चरण में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की संस्तुति की। यह प्रस्तावित किया गया था कि ' व्यावसायिक पाठ्यक्रम, 1995 तक 10 प्रतिशत उच्चतर छात्रों को और 2000 तक 25 प्रतिशत को दे (अनुच्छेद 5.23, NPE 1986, 1992 में किए गए संशोधनों के साथ)

उच्च शिक्षा : इसने मौजूदा व्यवस्था में सभी सुधारों का सुझाव दिया और यूजीसी के निर्देशों के अनुसार स्वायत्त विभाग और स्वायत्त महाविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करते हुए व्यवस्था को बिगड़ने से बचाया। इसने दृश्य–श्रव्य सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रस्तुत करके शिक्षण विधियों के परिवर्तन के साथ पाठ्यक्रमों के संयोजन में वृद्धि के लचीलेपन का भी सुझाव दिया। शिक्षकों के प्रदर्शन का अनुशंसित व्यवस्थित मूल्यांकन का सुझाव दिया। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान सुविधाओं पर विशेष ज़ोर दिया गया और अंतःविषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित किया।

मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा : नीति ने सिफारिश की थी कि शिक्षार्थियों की अद्वितीय आवश्यकताओं और शिक्षा में लचीलेपन के महत्व को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए 'ओपन लर्निंग सिस्टम' की शुरुआत की गई है। नीति ने देश में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के समन्वय के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी सौंपी।

नौकरियों से डिग्री का अलग करना : एनपीई ने चयनित क्षेत्रों में नौकरियों से डिग्री को हटाने पर बल दिया। विशिष्ट नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर परीक्षण आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था।

ग्रामीण विश्वविद्यालय और संस्थान : नीति ने गांधीवादी बुनियादी शिक्षा पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की।

तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा : तकनीकी और प्रबंधन के अलग–अलग प्रकार्यों की आलोचना की और इन दोनों के एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। इसने वर्तमान शिक्षा के साथ–साथ उभरती हुई तकनीकों को भी करते हुए शिक्षा को बढ़ावा दिया, और सुझाव दिया कि जनशक्ति सूचना के संबंध में स्थिति को सुधारने के लिए तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा के उपयुक्त औपचारिक और गैर–औपचारिक कार्यक्रम महिलाओं, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों और शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों के लाभ के लिए तैयार किए जाएंगे।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

3) आपरेशन ब्लैकबोर्ड से आपका क्या तातपर्य ह?

.....

.....

.....

.....

.....

4) दिव्यांगों की शिक्षा के लिए 1986 की मुख्य अनुशंसाएं क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

3.5.1 क्रियान्वयन कार्यक्रम (1992) – निहितार्थ व आलोचना

1989 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रभावशीलता की समीक्षा करने के लिए सरकार ने आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने ''टुवर्डस् एनवाइटेड एंड ह्यूमेन सोसाइटी'' नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। राममूर्ति समिति के सुझावों पर विचार करने से पहले, सरकार ने जुलाई 1991 में एक और समिति का गठन किया, जिसने NPE 1986 में कुछ संशोधन के साथ राममूर्ति समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा। श्री जनार्दन रेड्डी इस समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

जनवरी 1992 में इस दस्तावेज को **'प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992'**, के रूप में जाना जाता है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन (पीओए, 1992) में 23 खंड हैं। नीति का मुख्य ज़ोर सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय और लैंगिक असमानताओं को दूर करके शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करना था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना, सामान्य नागरिकता और संस्कृति की

भावना, युवा के मस्तिष्क में मूल्यों का विकास और सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

नीति ने सुझाव दिया कि निजी विद्यालयों को भी आम विद्यालयों में परिवर्तित किया जाना चाहिए और 'कॉमन विद्यालय सिस्टम' की प्रगति के लिए निम्न कारणों को चित्रित किया जाना चाहिए :

क) आर्थिक और सामाजिक विषमताएँ

ख) अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासक के लिए संवैधानिक संरक्षण।

ग) सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की खराब गुणवत्ता

घ) राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, और

ई) सरकारी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, नवोदय विद्यालय का अस्तित्व।

नीति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए कुछ ठोस कार्यक्रम विकसित करने की आवश्यकता महसूस की गई। इस नीति द्वारा प्रस्तुत उच्च शिक्षा के बारे में एक महत्वपूर्ण सुझाव उच्च शिक्षा को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना था। यह सरकार के वित्तीय बोझ को कम करेगा। इस सुझाव को सरकार ने स्वीकार कर लिया लेकिन इसने उच्च शिक्षा को भी प्रभावित किया, जैसे– ट्यूशन फीस का भारी बोझ, गरीब छात्रों की अक्षमता और उच्च शिक्षा में शोषण। इसने आगे के सफल कार्यान्वयन के लिए एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण की सिफारिश की जो है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत महिला शिक्षकों की नियुक्ति करना था।

कार्य योजना ने अच्छे शिक्षकों, संसाधनों, बुनियादी सुविधाओं आदि के संबंध में विद्यालयों के बीच असमानता की पहचान की है और गैर–औपचारिक शिक्षा और वयस्क साक्षरता को असंतुलन के मुद्दे को हल करने के लिए एक पूरक संरचना के रूप में सुझाया है। इसने सभी पड़ोस के विद्यालयों को नवोदय विद्यालय प्रणाली के अभिजात्य पूर्वाग्रह को बाहर निकालने का सुझाव दिया। कार्यक्रम के अनुसार, समाज की मांगों के प्रत्युत्तर में विद्यालयों को बदलना होगा। इसमें ओपन एग्जिट और एंट्री सिस्टम जैसी लचीली कार्य संस्कृति, विद्यालय शिक्षा का माड्यूलर सिस्टम, पाठ्यक्रम का अभासीकरण, धीमी गति से सीखने वालों के लिए अतिरिक्त समय आदि उपलब्ध कराना होगा, लेकिन निश्चित रूप से इन्हें शिक्षक छात्र अनुपात और अन्य सुविधाओं के महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख समिति में नहीं किया गया था। इसलिए यह स्पष्ट है कि समिति की सिफारिशें महत्वपूर्ण संसाधनों की मांग करती हैं, जिसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता होती है।

इस कार्यक्रम ने पूर्व–विद्यालयी बचपन की देखभाल पर पर्याप्त ध्यान दिया, लेकिन संसाधन निहितार्थ अस्पष्ट और अनिश्चित थे। दस्तावेज में बल दिया गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण सुधार को रेखांकित करती है और शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण कदमों के साथ–साथ विद्यालय शिक्षकों के लिए विशेष अभिविन्यास की सिफारिश की है।

कार्य योजना, ने वार्षिक आधार पर मूल्यांकन प्रणाली की आलोचना की और निरंतर और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के साथ सेमेस्टर प्रणाली का सुझाव दिया। एन.पी.ई 1986 ने निरंतर मूल्यांकन की सिफारिश की, लेकिन पी.ओ.ए 1992 में वार्षिक परीक्षा प्रणाली को हटाने के बारे में चुप्पी रही। इसलिए, राममूर्ति समितियों द्वारा दी गई सी.सी.ई की अवधारणा नई और परिवर्तनकारी थी, जिसमे अवधि के अंत में छात्रों के निरंतर प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। समिति ने सैद्धांतिक और व्यावहारिक घटकों के साथ शिक्षा के व्यावसायिककरण के लिए कई उपाय सुझाए। इसने आगे सुझाव दिया कि पॉलिटेक्निक +2 के बाद तीन साल का डिप्लोमा और चार साल के डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम प्रदान करें। दस्तावेज ने मौजूदा व्यवस्था में व्याप्त विषमताओं और रूढ़ियों को दूर करने पर बल देते हुए अपनी शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तीकरण का सुझाव दिया। बचपन की देखभाल और शिक्षा के बारे में छात्राओं के कार्यक्रमों के ड्रॉप–आउट को कम करने के लिए सुझाव दिया गया था, हालांकि, समिति ने इन सुझावों के संसाधनों और संगठनात्मक प्रभावों के बारे में बात नहीं की है। इस दस्तावेज ने महिलाओं की शिक्षा के अलावा एस.सी./एस.टी और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों पर ध्यान दिया है। समिति ने एनपीई, 1986 द्वारा अनुशंसित शिक्षा के लिए 6 प्रतिशत जीएनपी के आवंटन का सुझाव दिया है, लेकिन वास्तविक आवंटन 6 प्रतिशत से कम है।

इसलिए, संक्षेप में, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समिति के कई सुझावों की कल्पना की गई है, लेकिन इन विचारों और आदर्शों को ठोस रूप प्रदान करने के लिए विशिष्ट कदम तैयार किए जाने चाहिए। समिति के कई सुझाव, जो अच्छे प्रतीत होते हैं, को आगे बढ़ाने और विवरणों को हल करने की आवश्यकता है।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

5) क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 के अनुसार समान विद्यालय प्रणाली के लागू न होने के क्या करण थे?

.....

.....

.....

.....

.....

6) क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 के मुख्य लक्ष्य का उल्लेख कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.6 आई.सी.टी के लिए राष्ट्रीय नीति 2012

बाकी दुनिया की तरह भारत ने भी शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी) के महत्व को महसूस किया। इसलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, (जिसे 1992 में संशोधित किया गया है), विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता और अध्ययन (CLASS) परियोजना और साथ ही प्रायोगिक आधार पर शैक्षिक प्रौद्योगिकी की शुरुआत की गई है। जो बाद में वर्ष 2004 में एक केंद्र प्रायोजित योजना बन गई। इसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी@विद्यालय कहा जाता था। नई सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को शामिल करने के लिए इस योजना को आगे बढ़ाया गया। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से सरकार के सर्वशिक्षा अभियान पहल में आई.सी.टी को भी सम्मिलित किया गया था। प्रौद्योगिकी में निरंतर प्रगति और शिक्षा में आईसीटी के बढ़ते उपयोग के साथ शिक्षा प्रणाली में आईसीटी के इष्टतम उपयोग में सहायता के लिए दिशानिर्देशों के साथ एक नीति की आवश्यकता थी। इसलिए, 2012 में भारत सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर एक राष्ट्रीय नीति लाई गई थी। "विद्यालयी शिक्षा में आई.सी.टी नीति का उद्देश्य युवाओं को रचनात्मक रूप से ज्ञान, समाज के विकास और विकास में भागीदारी के लिए तैयार करना है, जिससे सभी सामाजिक राष्ट्र का आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की और जाये।

नीतिगत लक्ष्य निम्नानुसार हैं :

विद्यालयी शिक्षा में आई.सी.टी नीति प्रयास करेगी कि :

1) एक आई.सी.टी जानकार संसाधनों को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करें।

2) आई.सी.टी विशेषज्ञ शिक्षकों और छात्रों का एक कार्यबल बनाएं जो आईसीटी की सुविधाओं को तैनात और उपयोग कर सकते हैं और समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकते हैं।

3) शिक्षा में आई.सी.टी की क्षमता पर वैकल्पिक उपयोग और अधिकतम प्रयोग के लिए एक मांग के निर्माण के लिए अनुकूल, सहयोग और साझा करने का माहौल बनाएं।

4) आईसीटी और आईसीटी सक्षम उपकरणों के साथ–साथ संसाधनों का भंडार विकसित करना जो सभी छात्रों और शिक्षकों के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

5) योग्य छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल संसाधनों के विकास और उपयोग में भाग लेने के लिए स्थानीय गुणवत्ता केंद्र के विकास को बढ़ावा देना।

6) शिक्षकों के संसाधन साझाकरण और प्रशिक्षण, साथ ही साथ छात्रों को परामर्श और शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षकों और विद्यालय का पूल बनाएं।

7) विद्यालयी शिक्षा में आई.सी.टी की क्षमता को पूरी तरह से निकालने के लिए अनुसंधान और प्रयोग के माध्यम से आईसीटी उपकरण और आई.सी.टी–सक्षम अभ्यासों में निरंतर सुधार के लिए प्रयास करें।

8) समाज को प्रेरित करना और उन्हें आई.सी.टी के उचित उपयोग के माध्यम से शिक्षा प्रक्रिया में भाग लेने की सुविधा देना।

आई.सी.टी साक्षरता को सक्षमता के स्तर के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है और आई.सी.टी दक्षताओं के विभिन्न स्तरों का सुझाव दिया गया है जिसे स्थानीय संदर्भ के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। इसके अलावा ये स्तर कक्षाओं और समय अवधि के लिए भी विशिष्ट नहीं हैं।

स्तर 1: मूल स्तर

इस स्तर पर कंप्यूटर में एप्लीकेशन डालना व हटाना, इंटरनेट, खोज इंजन, इनपुट और आउटपुट उपकरण,डिजिटल उपकरण, कार्यालय और बुनियादी समस्या निवारण, आदि जैसे बुनियादी ज्ञान प्रदान करना है।

स्तर 2: माध्यमिकध्इंटरमीडिएट

इस स्तर पर उपयोगकर्ता एप्लीकेशन को स्थापित और हटाने में सक्षम है, एप्लिकेशन द्वारा समस्याओं का निवारण करता है, खोज इंजन का उपयोग करके इंटरनेट से वांछित जानकारी प्राप्त करता है, डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके सामग्री बनाना और संपादित करना आदि आता है ।

स्तर 3: उन्नत

जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह स्तर उपयोगकर्ता को डेटाबेस से जानकारी प्राप्त करने और डेटा का विश्लेषण करने की अपेक्षा करता है, साइबर खतरों के बारे में जागरूकता, लेखन कानूनों की प्रतिलिपि, सहकार्यात्मक और सहयोगात्मक अधिगम के लिए वेब आधारित नेटवर्क में भाग लेने में सक्षम।

नीति के अनुसार आई.सी.टी निम्नलिखित तरीकों से शिक्षा में सुधार करेगी :

आईसीटी आधारित शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया – इस प्रक्रिया में उपकरणों, तकनीकों और संसाधनों जैसे प्रोजेक्टिंग डिवाइसेस, मल्टीमीडिया आधारित मॉड्यूल्स, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट का उपयोग किया जाता है, जिससे आई.सी.टी उपकरणों का उपयोग करने के लिए कक्षाकक्ष का माहौल बदल जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करना इसका उद्देश्य है। यह योग्य शिक्षकों द्वारा डिजिटल सामग्री के चयन और मूल्यांकन में शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है और उन्हें अपने डिजिटल सामग्रियों को विकसित करने और उन्हें साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

कौशल विकास के लिए आई.सी.टी : नीति ने व्यावसायिक समूह के छात्रों के लिए व्यावसायिक उन्मुख मॉड्यूलर पाठ्यक्रम के विकास का सुझाव दिया। छात्रों को उनकी पसंद के आधार पर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर,उपकरण आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें उचित मार्गदर्शन और परामर्श दिया जाएगा जो उन्हें अपना करियर के रस्ते तय करने में मदद करेगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान को अपने शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में आई. सी.टी को सम्मिलित करना होगा।

विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए आई.सी.टी : दिव्यांगता के कारण उत्पन्न होने वाली विशेष जरूरतों की भरपाई आई.सी.टी करेगा और भारत में समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा। यह दिव्यांग लोगों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा, जैसे स्क्रीन रीडर, ब्रेल प्रिंटर, एम्बॉसर आदि।

मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम हेतु आई.सी.टी : आई.सी.टी मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम हेतु सफल संचालन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम हेतु आई.सी.

टी उन छात्रों के लिए वैकल्पिक संभावनाएं खोलेगा जो औपचारिक शिक्षा जारी रखने में असमर्थ हैं।

विद्यालय प्रबंधन के लिए आई.सी.टी : आई.सी.टी, विद्यालय प्रणाली की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन में मदद करेगा, इसलिए, इस दस्तावेज ने सिफारिश की है कि राज्य आई.सी.टी प्रबंधित विद्यालय प्रक्रियाओं को अपनाएंगे।

विद्यालय प्रबंधन सूचना प्रणाली (SCHOOL MIS): नीति ने विद्यालयों में एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का सुझाव दिया जिसमें विद्यालय, शिक्षक, छात्र, विद्यालय प्रबंधक और समुदाय बड़े पैमाने पर भाग लेते हैं। यह उपकरण, सामग्री और संसाधनों के डिजिटल रिपोजिटरी बनाएगा व्यावसायिक विकास और सतत शिक्षा मंच, और मार्गदर्शन, परामर्श और अन्य सहायता सेवाएं छात्रों को प्रदान करेगा।

यह बहुत स्पष्ट है कि शिक्षा के लिए आईसीटी के उपयोग के लिए विभिन्न क्षेत्रों के तत्वों की आवश्यकता होती है, ताकि छात्रों के लिए इसे सीखने का एक शानदार अनुभव बनाया जा सके। शिक्षा में आई.सी.टी को शामिल करने को सार्थक और सफल बनाने के लिए प्रमुख पहलुओं को जोड़ा जाना चाहिए।

1) सामग्री/डिजिटल संसाधन
2) क्षमता निर्माण
3) निगरानी और मूल्यांकन ढांचा
4) शिक्षा प्रबंधन के लिए आई.सी.टी
5) कार्यान्वयन योजनाएं
6) वित्तीय आवंटन
7) राजनैतिक और प्रशासनिक सहयोग
8) आई.सी.टी हेतु सामुदायिक मांग
9) अधिगम प्रक्रियाओं में बदलाव को अपनाना
10) कर्मचारी विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

7) शिक्षा व्यवस्था की आधुनिक चुनौतियों से निपटने में ICT कैसे मदद करती है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.7 राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020

भारतीय शिक्षा संरचना और प्रबंधन को नई शिक्षा नीति 1986 द्वारा लंबे समय (लगभग 34 वर्ष) के लिए निर्देशित किया गया। इस बीच वैश्विक स्तर पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं और साथ ही शिक्षा में 'भारत–केंद्रित' नीति की आवश्यकता के बारे में देश में बहस भी हुई। वर्ष 2015 में भारत ने यूनेस्को के सतत विकास के लक्ष्य–2030 से अपनी सहमति दर्शाते हुते उसे अपनाया. इसमें परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा–4, 2030 तक, ''सभी के लिए समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवनपर्यंत सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने'' की मांग करता है।

ऐसे सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए 2015 में श्री टी.एस. सुब्रमण्यनयम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति ने विभिन्न हितधारकों से व्यापक विचार–विमर्श किया और ग्राम–पंचायत स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत चर्चा हुई। यह नीति निर्माण का अपनी तरह का पहला प्रयोग था जिसमें नीचे से ऊपर की ओर चर्चा का दृष्टिकोण अपनाकर नीति के निर्माण से पहले विभिन्न हितधारकों के विचारों को एकत्र किया गया, उन पर व्यापक बहस की गई और एक मसौदा तैयार किया गया। जब मसौदे को चर्चा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया, तो बहुत सारे मुद्दे सामने आए। उन पर पुनर्विचार करने के लिए जून, 2017 में डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन किया गया था। कस्तूरीरंगन समिति ने समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा उठाए गए सभी सुझावों/आपत्तियों पर पुनः विचार किया और नीति का एक मसौदा तैयार किया जो 31 मई, 2018 को फिर से सार्वजनिक किया गया और आगे के सुझाव आमंत्रित किए गए। सुझावों की समीक्षा करने के बाद, समिति ने नीति को अंतिम रूप दिया और हमने जुलाई, 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के नाम से अपनी नई नीति प्राप्त की।

3.7.1 नीति का दर्शन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 अपने दर्शन को स्पष्ट करते हुए कहती है कि :

इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दर्शन भारतीय मूल्यों से ओतप्रोत एक शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पना है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षाविधियाँ छात्रों के बीच मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहरी भावना विकसित करें, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करें। नीति की दृष्टि में छात्रों में भारतीय होने का गर्व, न केवल विचार में, वरन व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए, जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही अर्थों में वैश्विक नागरिक बन सकें। (पृ. 8)

यह दर्शन नीति के उद्देश्य को स्पष्ट करता है कि हमें एक भारत–केंद्रित ज्ञान समाज विकसित करना है। एक ऐसा समाज जिसकी जड़ें अनंत भारतीय संस्कृति में हैं और दुनिया के साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। हमारी मूल्य प्रणाली, हमारी पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, मानवता और स्थायी विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता, वैश्विक ज्ञान गुरु के रूप में हमें बढ़ावा देने और प्रतिष्ठित करने की कुंजी है।

3.7.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की रूपरेखा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) की अनुशंसाओं को चार मुख्य भागों अर्थात् विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, और ध्यान देने के अन्य प्रमुख क्षेत्रों, क्रियान्वयन की रणनीति में संरचित किया गया है।

भाग एक : विद्यालयी शिक्षा में आठ मुख्य विषयों पर अनुशंसायें दी गयी हैं : प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, अधिगम का आधार, शिक्षा के लिए एक तात्कालिक और आवश्यक पूर्वापेक्षा के रूप में आधारभूत साक्षरता और गणनाकौशल, पढाई छोड़ने की दर कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना, विद्यालयों में ऐसा पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र, जिसमें सीखना समग्र, एकीकृत, सुखद और संलग्नकरने वाला हो, शिक्षक, समान और समावेशी शिक्षारू सभी के लिए अधिगम, विद्यालय परिसरोंध्समूहों और विद्यालयी शिक्षा के लिए मानक–निर्धारण, कुशल संसाधन उपलब्धता, और प्रत्यायन के माध्यम से प्रभावी प्रशासन।

भाग दो : उच्च शिक्षा में अनुसंशाएं ग्यारह शीर्षकों के अंतर्गत दी गयी हैं : गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए एक नया और दूरंदेशी दृष्टिकोण, संस्थागत पुनर्गठन और समेकन, अधिक समग्र और बहुपक्षीय शिक्षा,

इष्टतम शिक्षण वातावरण और छात्रों के लिए समर्थन, प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकायसदस्य, समानता और उच्च शिक्षा में समावेशन, शिक्षक शिक्षा, एक नए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अनुसंधान को पुनर्स्थापित करना, उच्च शिक्षा के नियामक प्रणाली को परिवर्तन, और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रभावी शासन और नेतृत्व।

भाग–तीन में ध्यान देने योग्य अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा करते हुए नीति विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और जीवनपर्यंत शिक्षा, भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन, प्रौद्योगिकी के न्यायसंगत उपयोग को सुनिश्चित करना, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा का एकीकरण, जैसे क्षेत्रों में अनुशंसाएँ देती हैं।

3.7.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख अनुशंसाएं

नीति की प्रमुख अनुसंशायें इस प्रकार हैं :

- पूर्व–प्राथमिक से कक्षा 12 तक विद्यालय के सभी स्तरों पर सभी की पहुँच सुनिश्चित करना;
- 3–6 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना,
- 5+3+3+4 व्यवस्था वाली नयी पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना (जिसमें आधारभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक शामिल हैं),
- व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच, कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच कोई कठिन अलगाव नहीं,
- संस्थापक साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना,

- बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर ज़ोर, कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम, (लेकिन अधिमानतः कक्षा 8 और उससे आगे तक, मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी।
- मूल्यांकन सुधार – किसी भी शैक्षणिक वर्ष के दौरान दो बार तक बोर्ड परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा और एक सुधार के लिए, यदि वांछित हो,
- एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र (PARAKH) की स्थापना, (समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण),
- समान और समावेशी शिक्षा – सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) पर विशेष ज़ोर दिया गया,
- वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए एक अलग लिंग समावेश निधि और विशेष शिक्षा प्रक्षेत्र,
- शिक्षकों की भर्ती और योग्यता आधारित प्रदर्शन के लिए मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था,
- विद्यालय शंकुलों और समूहों के माध्यम से सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना,
- राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) की स्थापना,
- विद्यालय और उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव,
- उच्च शिक्षा में जीईआर को 50% तक बढ़ाना,
- एकाधिक प्रवेश/निकास विकल्पों के साथ समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा,
- उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा की पेशकश करने के लिए एनटीए,
- अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) की स्थापना,
- बहु–विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों (MERUs) की स्थापनाय
- राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना,
- हल्का लेकिन कठोर विनियमन,
- शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने और चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एकल अतिव्यापी निकाय– मानक निर्धारण के लिए भारत के उच्च शिक्षा आयोग (HECI) स्वतंत्र निकायों– सामान्य शिक्षा परिषद, वित्त पोषण–उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (HEGC), मान्यता– राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी), और विनियमन– राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद (NHERC)
- जीईआर बढ़ाने के लिए खुली और दूरस्थ शिक्षा का विस्तार,
- शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण

- व्यावसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होगा। एकल तकनीकी विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कानूनी और कृषि विश्वविद्यालय, या इन या अन्य क्षेत्रों में संस्थान, बहु–विषयक संस्थान बनने का लक्ष्य रखेंगे।
- शिक्षक शिक्षा – 4–वर्षीय एकीकृत चरण–विशिष्ट, विषय–विशिष्ट शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम।
- मेंटरिंग के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करना।
- स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम (NETF) का निर्माण, शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान–प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना। शिक्षा के सभी स्तरों में प्रौद्योगिकी का उपयुक्त एकीकरण।
- 100% युवा और वयस्क साक्षरता प्राप्त करना।
- नियन्त्रण और समन्वय के साथ कई तंत्र, उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण का मुकाबला करेंगे और रोकेंगे।
- सभी शिक्षा संस्थानों को ऑडिट और प्रकटीकरण के समान मानकों के लिए ''लाभ के लिए नहीं'' इकाई के रूप में नियोजित किया जाएगा।
- केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए जीडीपी के 6% तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए मिलकर काम करेंगे।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर समग्र ध्यान लाने के लिए समन्वय सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन को मजबूत करना।
- शिक्षा मंत्रालय : शिक्षा और सीखने पर ध्यान वापस लाने के लिए, शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के रूप में एमएचआरडी को फिर से नामित करना वांछनीय हो सकता है।

स्रोत : https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1654058

गतिविधि :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्वरूप को देखें। क्या आपको लगता है कि नीति भारत की शिक्षा प्रणाली में वांछनीय परिवर्तन लाने में मदद करेगी? अपनी टिप्पणी दें।

3.8 सारांश

इस इकाई में चर्चा की गई है कि एन.पी.ई (1968) ने कोठारी आयोग (1964–66) की सिफारिशों को साकार करने के लिए शिक्षा को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कैसे चिह्नित किया। इस नीति ने लगभग 20 वर्षों तक भारत में शिक्षा का मार्गदर्शन किया। उसके बाद, अगली सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) बनाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, प्राथमिक शिक्षा और ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, निरौपचारिक शिक्षा, शिक्षा का व्यावसायिककरण, मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा, नौकरियों से डिग्री की अलग करने पर बल देती है। ग्रामीण विश्वविद्यालय और

संस्थान, तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा, और पिछड़े वर्गों, दिव्यांगों की शिक्षा, आदि।

इकाई में बताया कि 1989 में एन.पी.ई 1986 की समीक्षा करने के लिए, सरकार ने आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और जुलाई 1991 में श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का गठन किया गया, जो एन.पी.ई 1986 में कुछ संशोधन के लिए बनाई गई थी। इस दस्तावेज को ''क्रियान्वयन का राष्ट्रीय कार्यक्रम 1992'', कहा गया। इसका मुख्य केंद्र सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय और लैंगिक असमानताओं को दूर करके सभी स्तरों पर शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करना था और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण, समान नागरिकता और संस्कृति की भावना, युवा दिमागों के बीच मूल्यों का झुकाव और गुणवत्ता में सुधार करना था।

विद्यालयी शिक्षा में आई.सी.टी नीति 2012 का उद्देश्य शिक्षकों और युवाओं को ज्ञान समाज की स्थापना और विकास में रचनात्मक रूप से भाग लेने के लिए तैयार करना है, जिससे राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता का सर्वांगीण सामाजिक विकास हो सके।

बीसवीं सदी के बदलते शैक्षिक परिदृश्य के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए नई शिक्षा नीति तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अपूर्ण एजेंडा के साथ, 1992 में संशोधित (एन.पी.ई 1986/92) नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए महसूस किया गया था। भारत सरकार ने डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ढांचा तैयार करने वाली इस समिति ने सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए मई 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश को प्राप्त हुई।

3.9 अभ्यास कार्य

1) एनपीई (1968) के बावजूद वर्ष 1985 में एक नई राष्ट्रीय शैक्षिक नीति की आवश्यकता क्यों महसूस की गई?

2) एनपीई (1968) को क्यों बनाया गया था? एनपीई (1968) की सिफारिशों से किसी भी चार प्रमुख शब्दावली का उल्लेख करें?

3) अद्वितीय सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता और उस समय की चुनौतियों के समाधान में एनपीई (1986) के प्रयासों पर चर्चा करें।

4) एनपीई (1986) की मुख्य विशेषताएं बताएं।

5) भारत में ऑनलाइन शिक्षा के सुधार के बारे में आई.सी.टी की राष्ट्रीय नीति की कुछ विशिष्ट सिफारिशों की व्याख्या करें।

3.10 संदर्भ सूची एवं उपयोग अध्ययन सामग्री

- अग्रवाल, जे.सी., (1985). डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, वाणी एजुकेशनल बुक्स, नई दिल्ली।
- अग्रवाल, जे.सी., (1993). लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा. लिमिटेड नई दिल्ली।
- चौबे, एस.पी., (1988). हिस्ट्री एंड प्रोब्लेम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन, (दूसरा संस्करण) विनोद पुश्पक मंदिर, आगरा, यूपी।

- ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2019), https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Draft_NEP_2019_EN_Revised.pdf
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992 में संशोधन के साथ) http://www.ncert.nic.in/oth_anoun/npe86.pdf
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति (आई.सी.टी) विद्यालय शिक्षा में (2012), विद्यालय शिक्षा और साक्षरता मंत्रालय भारत सरकार के मानव संसाधन विकास सरकार 2012, https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/revised_policy%20document%20ofICT.pdf
- रावत पी.एल., भारतीय शिक्षा का इतिहास, आगरा, यूपी, राम प्रसाद एंड संस।
- सफाया, आर.एन., (1983). भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएँ, दिल्ली, 9 वां संस्करण, धनपत राय एंड संस।
- सैकिया, सिद्धेष्वर. (1998). भारत में शिक्षा का इतिहास, मणि मानिक प्रकाशन
- शर्मा, आर.एन.,(N.d.) इतिहास और भारत में शिक्षा की समस्याएं, दिल्ली, सुरजीत प्रकाशन।

3.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

1) एनपीई (1968) को आमूलचूल पुनर्गठन के रूप में मान्यता दी गई थी क्योंकि भारत में शैक्षिक अवसरों के आमूलचूल पुनर्गठन और बराबरी के लिए एक नीति की आवश्यकता थी।

2) एनपीई (1968) ने सुझाव दिया कि भारत में शैक्षणिक अवसर के समानीकरण के लिए 'कॉमन विद्यालय सिस्टम' को अपनाया जाना चाहिए।

3) ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के प्रावधान के लिए कहता है। इस ऑपरेशन ने तीन उचित बड़े कमरे उपलब्ध कराने का सुझाव दिया, जो सभी मौसमों में उपयोग करने योग्य हैं, और कम से कम तीन शिक्षकों (50% महिलाओं) के साथ ब्लैक बोर्ड, नक्षे, चार्ट, खिलौने, अन्य आवश्यक शिक्षण सहायक उपकरण और विद्यालय लाइब्रेरी आदि भी हो।

4) दिव्यांगों की शिक्षा के संबंध में एन.पी.ई 1986 की प्रमुख सिफारिश शारीरिक दिव्यांगता वाले बच्चों की शिक्षा है और अन्य बच्चों की तरह ही कम दुर्बलता वाले को भी सामान्य बच्चों की तरह ही होना चाहिए।

5) प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के अनुसार, 'कॉमन विद्यालय सिस्टम' की प्रगति न होने के कारण इस प्रकार हैं :

   i) आर्थिक और सामाजिक विषमताएँ,

   ii) अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासक के लिए दी गई संवैधानिक सुरक्षा।

   iii) सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की खराब गुणवत्ता

   iv) राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और

v) सरकारी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, नवोदय विद्यालय का अस्तित्व।

6) PoA-1992 के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय और लैंगिक असमानताओं को दूर करके शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करना था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना, सामान्य नागरिकता और संस्कृति की भावना, युवा दिमागों के बीच मूल्यों का विकास और सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

7) आई.सी.टी, शिक्षा प्रणाली में कई मौजूदा चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है–

v) यह शिक्षक क्षमता बनाने और विद्यालय प्रणाली की दक्षता बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह पारंपरिक प्रशिक्षण और समर्थन विधियों की सीमित पहुंच की कमी से निपटने में मदद कर सकता है।

ब) आईसीटी का उपयोग पुस्तकों, चार्ट और अन्य प्रशिक्षण संसाधनों के डिजिटलीकरण के लिए किया जा सकता है जो विद्यालय प्रणाली में उपयोग किए जा रहे हैं। यह मुद्रण सामग्री को बचाने के साथ–साथ अध्ययन सामग्री की पहुंच को बढ़ाएगा।

स) कंप्यूटर का उपयोग न केवल इंटरनेट तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है, अपितु इसका उपयोग शिक्षकों, छात्रों में विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और समस्या निवारण कौशल के निर्माण के लिए किया जा सकता है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 4 शिक्षा में उभरते मुद्दे व चिंताएँ

इकाई संरचना

4.1 प्रस्तावना

4.2 उद्देश्य

4.3 नीति कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे व चिंताएं

- 4.3.1 सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
- 4.3.2 शैक्षिक अवसरों में असमानताएँ
- 4.3.3 भाषा नीति
- 4.3.4 बाल्यकाल देखरेख व शिक्षा

4.4 सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित मुद्दे

- 4.4.1 अवधारण के मुद्दे
- 4.4.2 शिक्षा और शिक्षण की गुणवत्ता
- 4.4.3 शिक्षा प्राप्ति हेतु सामर्थ्य
- 4.4.5 निजीकरण
- 4.4.6 पर्याप्त धन की कमी
- 4.4.6 पर्याप्त धन की कमी
- 4.4.7 शिक्षार्थी– शिक्षक अनुपात

4.5 समावेश से संबंधित मुद्दे

- 4.5.1 सामान्य विद्यालय प्रणाली और पड़ोस के विद्यालय
- 4.5.2 निःशक्तजन हेतु समावेशी शिक्षा

4.6 अधिगम प्रतिफल पर आधारित शिक्षा के मुद्दे

4.7 विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा में प्रणालीगत मुद्दे

- 4.7.1 विद्यालयी शिक्षा में प्रणालीगत मुद्दे
- 4.7.2 उच्च शिक्षा में प्रणालीगत मुद्दे

4.8 सारांश

4.9 अभ्यास कार्य

4.10 संदर्भ सूची एवं उपयोगी अध्ययन सामग्री

4.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

4.1 परिचय

शिक्षा एक चमत्कारिक उपचार या एक जादुई सूत्र नहीं है जो एक ऐसे संसार का द्वार खोल रहा है जिसमें सभी आदर्श प्राप्त होंगे, लेकिन एक सिद्धांत के रूप में इसका अर्थ है : मानव विकास के गहरे और अधिक सामंजस्यपूर्ण रूप को बढ़ावा देना और जिससे गरीबी, अपवर्जन, अज्ञानता, उत्पीड़न और युद्ध को कम किया जाये।

(यूनेस्को की रिपोर्ट–1996 : लर्निंग द ट्रेजर विद इन)

शिक्षा युवा पीढ़ी के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और उच्च स्तर की शिक्षा उच्च आय, स्वास्थ्य, बाल कल्याण, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली और लंबे जीवन काल को सुनिश्चित करती है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए, शिक्षा, मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए, एक साधन है। राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के महत्व को समझते हुए स्वतंत्रता के बाद से देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। इस खण्ड की पिछली इकाइयों में, आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा (1948–48), माध्यमिक शिक्षा (1952–53) और भारतीय शिक्षा (1964–66) के लिए विभिन्न आयोग गठित किए गए थे ताकि विभिन्न स्तरों पर समस्याओं और शिक्षा की संभावनाओं की पहचान की जा सके। इन आयोगों की संस्तुतियों के आधार पर परिवर्तनों को शामिल किया गया है, और प्रणालीगत सुधार के लिए शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1968 और शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 (1992 में संशोधित) बनाई गई, जो समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अनिवार्य है। हालांकि, तेजी से होते विकास और शिक्षा के विस्तार के बावजूद, कई मुद्दे और चिंता के क्षेत्र हैं जो तत्काल ध्यान देने पर बल देते हैं और इस तरह के मुद्दों को इस इकाई में चर्चा की गई है।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई के पूरा होने के बाद, आप :

- शिक्षा के विभिन्न मुद्दों और चिंताओं की पहचान कर सकेंगे,
- नीति कार्यान्वयन की चिंताओं को व्यक्त करें,
- शैक्षिक पहुंच, समावेशी शिक्षा, अध्यन के परिणाम और शिक्षा के अन्य प्रणालीगत मुद्दों का विश्लेषण कर सकेंगे, तथा
- गंभीर रूप से शिक्षा प्रणाली और इसके समवर्ती चिंताओं पर चिंतन करें।

4.3 नीति कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे व चिंताएं

नीति कार्यान्वयन भारत में शिक्षा प्रणाली की एक बड़ी चुनौती है। हमारा संविधान हर बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1968) के अनुसार, भारत सरकार ने शिक्षा के लिए कुछ सिद्धांत तैयार किए थे जैसे कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, भाषा शिक्षा, समान शिक्षा, सभी के लिए समान शिक्षा संरचना। 1992 में संशोधित शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1986), कुछ संशोधनों के साथ 1968 के सिद्धांतों के आधार पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। देश में इन नीतियों को लागू करते समय कई बाधाओं का अनुभव किया गया, जिसमें इसके कार्यान्वयन के लिए नीति उद्घोषणा और रणनीतियों के बीच का अन्तर, कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी और अपर्याप्त संसाधन आवंटन, आदि शामिल हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की घोषणा की है, जिससे इन अंतरालों को पाटने और तेजी से बदलते ज्ञानी समाज की आवश्यकताओं के साथ तालमेल रखने के लिए। आइए अब शिक्षा के प्रमुख मुद्दों और चिंताओं पर चर्चा करते हैं जिन्हें नीति को लागू करते समय प्राथमिकता के आधार पर संबोधित करने की आवश्यकता है।

4.3.1 सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

स्वतंत्रता के बाद भारत ने 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता की। सरकार ने इस संवैधानिक जनादेश

को पूरा करने के लिए समय–समय पर कई पहल की। 1994 में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी) शुरू किया गया था। इस योजना द्वारा एक संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया था ताकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच पहुंच को सुनिश्चित करने, प्रतिधारण सुनिश्चित करने,सीखने की उपलब्धि में सुधार और असमानताओं को कम किया जा सके। बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए 1995 में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी। शैक्षिक योजना और प्रबंधन के बारे में स्थानीय निकाय, ग्राम शिक्षा समितियाँ और अभिभावक–शिक्षक संघ पूरे देश में सक्रिय हो गए। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान (SSA) केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा वित्त पोषित किया गया। इस योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों की बालिकाओं, एससी, एसटी, दूरदराज के क्षेत्र के छात्रों और दिव्यांगों पर विशेष बल देकर सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था। 2002 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत 2009 में 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए यह एक कानूनी अधिकार बन गया। इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप विद्यालय, अपने घर के आस–पास के अधिकांश बच्चों के लिए सुलभ हो गया और सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है। हालांकि, बड़ी संख्या में बच्चे विद्यालयों छोड़ देते हैं। इसका कारण विद्यालयों का दूरस्थ स्थान, गरीबी, लैंगिक भेदभाव, कमज़ोर वर्ग और अस्त–व्यस्तता के प्रति संवेदनशीलता की कमी, पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी, छात्रों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति, प्रावधान की गुणवत्ता, आदि हो सकता है। प्राथमिक स्तर पर विद्यालय में बच्चों की अवधारण और उनके सीखने के परिणाम बने रहें, ये मुख्य चिंता के प्रमुख क्षेत्र हैं।

4.3.2 शैक्षिक अवसरों में असमानताएँ

शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के बाद विद्यालयी शिक्षा की माँग बढ़ गई है और बड़ी संख्या में विद्यालय खोले गए हैं। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (NPE-1986) में कहा गया है कि सभी बच्चे, जाति, पंथ, स्थान या लिंग के बावजूद, प्राथमिक शिक्षा, एक तुलनीय गुणवत्ता के तौर पर पहुँच होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में, वंचित वर्ग (एससी, एसटी, अल्पसंख्यकों, लड़कियों, गरीबों और दूरस्थ क्षेत्र के छात्र) गुणवत्ता शिक्षा से वंचित है। आर्थिक और पारिवारिक कारणों के कारण समाज के कमज़ोर वर्गों के कई छात्रों को प्राथमिक शिक्षा के पांच साल पूरे किए बिना भी विद्यालयों से बाहर निकालने के लिए मजबूर किया जाता है।

4.3.3 भाषा नीति

भारत समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का देश है जहाँ 1600 से अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं। अतः भाषा से संबंधित कई मुद्दे हैं जैसे कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए और विद्यालय में कितनी भाषाएं सिखाई जानी चाहिए, आदि ? कोठारी आयोग ने त्रि–भाषा सूत्र सुझाया था जिन्हें शिक्षा नीति में अपनाया गया था। ये सूत्र बताता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए और उसके बाद अन्य भाषाओं को पढ़ाया जाना चाहिए। इस सूत्र के अनुसार हर बच्चे को कम से कम तीन भाषाएं स्थानीय/मातृ भाषा, हिंदी और अंग्रेजी सीखनी चाहिए। अंग्रेजी या हिंदी को विषयगत भाषा के रूप में, तीसरी भाषा संविधान की अनुसूची आठ से उस राज्य के बाहर अन्य भाषा होनी चाहिए। तीन भाषाओं के अतिरिक्त, विदेशी भाषा को विद्यालयों द्वारा चुना जा सकता है। तीन भाषा सूत्र भारत में आंशिक रूप से लागू किए गए हैं। तमिलनाडु जैसे राज्य हिंदी भाषा के खिलाफ हैं और इसी तरह उत्तर भारतीय राज्यों में दक्षिण भारतीय भाषाओं का कोई प्रावधान नहीं है।

4.3.4 बाल्यकाल देखरेख व शिक्षा (ECCE)

बाल्यकाल, बच्चे के विकास का एक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण चरण है जब बच्चे के व्यक्तित्व और सामाजिक–भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास की पूर्ण संभावनाओं को साकार करने के लिए नींव रखी जाती है। शोध के प्रमाण बताते हैं कि 85 प्रतिशत संचयी मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष की आयु तक होता है। इस स्तर पर शिक्षा और प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए, ECCE को समाज और राज्य के लिए सबसे अच्छे निवेशों में से एक माना जाता है। वंचित बच्चों के लिए यह परिवार में नुकसान की भरपाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के तहत यूनेस्को का लक्ष्य गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना है ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। हमारे देश में एन.पी.ई 1986 ने भी सरकार को वंचित समूहों के लिए ई. सी.सी.ई को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने ईसीईसी को औपचारिक रूप से शिक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल करके परिवर्तन लाया और इसे भविष्य के लिए निवेश माना। एक सुरक्षात्मक और सक्षम वातावरण में 3 से 6 साल की उम्र तक हर बच्चे की देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण, खेल और प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करता है।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें।

1) निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) त्रिभाषा सूत्र क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

4.4 सभी के लिए शिक्षा से संबंधित मुद्दे

वर्तमान आधुनिक विश्व में शिक्षा एक प्राथमिकता नहीं है, अपितु समाज में गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए एक बुनियादी अधिकार है। शिक्षा के लिए केवल भौतिक पहुंच ही नहीं अपितु समान गुणवत्ता वाला भी होना चाहिए। अब शिक्षा मौलिक संवैधानिक अधिकार के साथ–साथ प्रत्येक बच्चे का कानूनी अधिकार है और सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस संबंध में प्रत्येक माता–पिता/अभिभावक

का यह कर्तव्य है कि वे 6–14 वर्ष की आयु से विद्यालय में अपना बच्चे भेजें। उच्च शिक्षा के संबंध में बड़ी संख्या में संस्थान खोले गए हैं, लेकिन अभी भी शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) अभी भी कई अन्य विकसित और विकासशील देशों की तुलना में कम है। शैक्षिक पहुँच के प्रमुख मुद्दों और चिंताओं पर चर्चा की जा सकती है :

4.4.1 अवधारण के मुद्दे

भारत ने अपने पैदल दूरी के भीतर विद्यालयों में अधिकांश बच्चों तक पहुंच प्रदान करने में काफी प्रगति की है लेकिन विद्यालय में उनकी अवधारण एक बारहमासी समस्या है। कई बच्चे शिक्षा जारी नहीं रखते हैं, घर पर सहायता की कमी, नकारात्मक अधिगम अनुभव और खराब प्रदर्शन आदि। अब, ध्यान नामांकन से अवधारण की ओर जा रहा है। मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, निःशुल्क गणवेश और पुस्तकों, जैसी छात्रों की अवधारण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अलग–अलग योजनाएं शुरू की गई हैं। हालांकि, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं और प्रयासों के बावजूद कई बच्चे अभी भी विभिन्न व्यक्तिगत, सामाजिक या वित्तीय कारणों से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर रहे हैं।

4.4.2 शिक्षा और शिक्षण की गुणवत्ता

राज्यों और केंद्र सरकार की नीतिगत पहल और उसके बाद के प्रयासों से देश में सभी स्तरों पर शिक्षा का अच्छा विस्तार हुआ है, हालाँकि शिक्षा की गुणवत्ता एक बड़ी चिंता है। शिक्षा के वार्षिक स्तर पर रिपोर्ट (ए.एस.ई.आर) 2018 के अनुसार, प्राथमिक छात्रों के सीखने के परिणाम संतोषजनक होने से बहुत दूर हैं कक्षा 5 वीं के केवल आधे छात्र कक्षा 2 के छात्रों की पाठ्यपुस्तक पढ़ने में सक्षम हैं। उच्च और तकनीकी शिक्षा की स्थिति भी काफी उत्साहजनक नहीं है, क्योंकि अलग–अलग रिपोर्टों से पता चलता है कि वांछित योग्यता और कौशल की कमी के कारण 80 प्रतिशत इंजीनियर बेरोजगार हैं। इस चिंता को दूर करने के लिए हाल के वर्षों के दौरान कई पहलें की गई हैं। एनसीईआरटी ने प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए सीखने के परिणामों की पहचान की है। उच्च स्तर की शिक्षा के लिए यूजीसी द्वारा इसी तरह के प्रयास किए गए हैं।

4.4.3 शिक्षा प्राप्ति हेतु सामर्थ्य

शिक्षा की पहुंच उन सभी छात्रों के लिए उनकी सामर्थ्य पर निर्भर करती है जो बिना किसी भेदभाव के इच्छुक हैं। उच्च शुल्क संरचना और शिक्षा के अन्य खर्च सीमित वित्तीय संसाधनों वाले कई छात्रों के लिए इसकी सामर्थ्य को सीमित करते हैं। सरकारी वित्त पोषित संस्थानों में शुल्क संरचना भारत में उच्च नहीं है, लेकिन कुछ निजी संस्थानों में शुल्क बहुत अधिक है, जो गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि से छात्रों के योग्य होने की क्षमता से परे है। हालाँकि, सरकार ने शुल्क के बारे में नियमन कर दिया है, लेकिन अभी भी संस्थान इसका ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। तो यह समय की आवश्यकता है कि सरकार निजी संस्थानों के लिए पर्याप्त विनियमन करे और शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोके।

4.4.5 निजीकरण

शिक्षा का निजीकरण कुछ गैर–राज्य या निजी समूह को शैक्षणिक संस्थानों को चलाने की अनुमति देने की राज्य नीति को संदर्भित करता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए निजीकरण कोई नई बात नहीं है। उदारीकरण, उभरते निजीकरण, वैश्वीकरण और ज्ञान अर्थव्यवस्था के विस्तार के उभरते परिदृश्य का व्यापार में सेवा (जी.ए.टीए.स) और विश्व

व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ) में सामान्य समझौते के माध्यम से शिक्षा के सह–मानकीकरण के साथ जुड़ाव है और अब शिक्षा एक पारंपरिक सेवा है। एक ओर निजीकरण ने नए शिक्षण संस्थान खोलने में मदद की है और शिक्षा के स्तर पर प्रवेश की संख्या में वृद्धि करके अवसरों को बढ़ाया है। दूसरी ओर शिक्षा का निजीकरण शिक्षा के समान अवसर के अधिकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि समाज का गरीब तबका निजी शिक्षा का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं होगा। आपने मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की कैपिटेशन फीस के बारे में सुना होगा, जिसमें केवल अमीर ही दाखिला ले सकते हैं, प्रतिभा संपन्न गरीब नहीं कर सकते।

4.4.6 पर्याप्त धन की कमी

शिक्षा के विस्तार और शिक्षा की शुद्धता में सुधार के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है। कोठारी आयोग ने शिक्षा क्षेत्र के लिए सकल घरेलू उत्पाद का खर्च प्रतिशत के लिए सिफारिश की थी, लेकिन अभी भी शिक्षा पर खर्च तीन प्रतिशत से कम है। उच्च शिक्षा प्रणाली भी आर्थिक संकट का सामना कर रही है और भारतीय उच्च शिक्षा का प्रति इकाई व्यय अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है।

4.4.7 शिक्षार्थी– शिक्षक अनुपात (PTR)

PTR– छात्र–शिक्षक अनुपात, उन छात्रों की संख्या है जो उस संस्थान में शिक्षकों की संख्या के आधार पर विभाजित किये जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि 30 छात्र और एक शिक्षक हैं तो अनुपात 30:1 होगा। छात्र–शिक्षक अनुपात शिक्षा की गुणवत्ता का सूचक है। भारत में पी.टी.आर क्रमशः प्राथमिक और उच्च–प्राथमिक में 30:1 और 35:1 होना चाहिए। पीटीआर विभिन्न देशों में अलग–अलग है जैसे कि 2015 चीन 16:1, ब्राजील 21:1, रूस 20:1, श्रीलंका 23:1, भूटान 27:1, पाकिस्तान 46:1 है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार की आवश्यकता है। इससे गुणवान शिक्षकों की भर्ती करने और कक्षाओं को संभालने के लिए आवश्यक शिक्षकों को मजबूत करने की आवश्यकता होती है।

क्रियाकलाप

1) अपने क्षेत्र के एक प्रारम्भिक विद्यालय का भ्रमण कीजिए और उसकी प्रमुख समस्याओं को नापिए।
2) चार बड़े/बुर्जुग व्यक्तियों से बात करके अपने क्षेत्र में शिक्षा और शिक्षण की गुणवत्ता पर उसकी राय लीजिए।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

3) जी.ई.आर. क्या है?

.....

.....

.....

.....

4) शिक्षा का निजीकरण क्या है?

....

....

....

....

....

4.5 समावेशी संबंधित मुद्दे

शिक्षा सबसे शक्तिशाली उपकरण में से एक है जो समाज को अधिक न्यायसंगत बनाता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए समावेशी उपाय किए जाने चाहिए कि शिक्षा का लाभ सभी को उपलब्ध हो। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी बच्चों के लिए बुनियादी शैक्षणिक स्थिति सुनिश्चित करना और जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र और शारीरिक दिव्यांगता के अवरोधों को विभिन्न प्रकार की सकारात्मक युक्तियों, जैसे कि मध्याह्न भोजन, वंचित वर्ग के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन द्वारा हटाया जाना चाहिए तथा गरीब छात्रों, बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन और विशिष्ट बच्चों की जरूरतों के लिए विद्यालय की सुविधाओं को अपनाना होगा।

4.5.1 सामान्य विद्यालय प्रणाली (CSS-कॉमन विद्यालय सिस्टम) और पड़ोस के विद्यालय

सामान्य विद्यालय प्रणाली (CSS) समावेश के दर्शन पर आधारित है। यह भविष्य के नागरिकों के बीच समानता की भावना विकसित करने के लिए सभी के लिए उपलब्ध शिक्षा की सामान्य प्रणाली में विश्वास करता है। भारत जैसे प्रगतिशील देश के लिए, कम से कम प्रारंभिक स्तर तक सभी बच्चों को समान स्तर की शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है, लेकिन दुर्भाग्य से हालत निराशाजनक है। अमीर और गरीब के लिए अलग–अलग तरह की शिक्षा है। सामान्य विद्यालय प्रणाली के महत्व पर कोठारी आयोग द्वारा चर्चा की गई और आगे शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1986) द्वारा स्वीकार की गई। सरकार द्वारा प्रबंधित आम विद्यालय प्रणाली के महत्व को ध्यान में रखते हुए, 2015 में इलाहाबाद के माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारियों को सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों भेजने का निर्देश दिया था। पड़ोस का विद्यालय इसी सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा, बच्चे के निवास से पैदल दूरी प्रदान की जानी चाहिए और एक इलाके के सभी छात्रों को एक विद्यालय में जाना चाहिए।

4.5.2 दिव्यांगों हेतु समावेशी शिक्षा

शिक्षा व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया है। अब शिक्षा प्राथमिकता नहीं है, अपितु बच्चे का एक मौलिक अधिकार है। दिव्यांग लोगों के मामले में शिक्षा अवश्यक होनी चाहिए, क्योंकि यह उन्हें अधिक आत्म निर्भर और साधन संपन्न बनाता है। इसीलिए, विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अलग–अलग सक्षम बच्चों के लिए शिक्षा के प्रचार के लिए काम कर रही हैं। इन सभी नतीजों के परिणामस्वरूप, अधिक संख्या में विद्यालय खोले जा रहे हैं और शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (ँब्छ–चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स) को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब, अलग से सक्षम शिक्षा की चिंताओं को

देखने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद (त्ब्–रिहेबीटेषन काउंसिल ऑफ इंडिया) नाम की एक एजेंसी है। बैंच के लिए समेकित शिक्षा से समावेषित शिक्षा की और शिक्षा के दृष्टिकोण में भी बदलाव है। समावेशी शिक्षा सामाजिक न्याय और मानव अधिकार के सिद्धांत के आधार पर नियमित कक्षा में अन्य बच्चों के साथ विशेष बच्चों को समान अवसर प्रदान करती है, और यह विशेष बच्चों के लिए कोई अलग शिक्षा नहीं देने का सुझाव देती है क्योंकि यह महंगा, निंदनीय और अमानवीय होगा। समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और हितों की रक्षा करते हुए एक साथ सीखने के लिए एक सामान्य सीखने का माहौल प्रदान करती है। प्रारंभिक स्तर पर समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन के बारे में सर्व शिक्षा अभियान– दिव्यांग बच्चों की सभी बच्चों के प्राथमिक शिक्षा पर बल देता है और शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए प्रावधान प्रदान करता है। राष्ट्रीय मध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) के तहत दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा वर्ष 2009–10 में शुरू की गई है, जिसमें एकीकृत शिक्षा की पूर्व योजना के स्थान पर, सभी छात्रों को प्राथमिक शिक्षा की अक्षमता के साथ सभी विद्यालयों को एक समावेशी विद्यालय में पूरा करने में सक्षम बनाना है। CWSN की पहचान के लिए, दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम (1995) और व्यावसायिक ट्रस्ट अधिनियम (1999), में विभिन्न वर्गीकरणों को स्वीकार किया गया, जिसमें दृष्टिहीनता, अल्प दृष्टि, कुष्ठ रोग, श्रवण दोष, शारीरिक दिव्यांगता, मानसिक बीमारी, मानसिक मंदता, सेरेब्रल पाल्सी, आदि शामिल हैं और साथ ही अंत में वॉक दुर्बलता, अधिगम अषक्तता आदि को सम्मिलित करते हैं। उच्च शिक्षा के स्तर पर UGC ने CWSN के लिए बाधा मुक्त वातावरण और समर्थन प्रणाली के लिए प्रासंगिकता प्रदान की है।

सरकार और शैक्षणिक एजेंसियों और संस्थानों द्वारा विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कदमों के कारण CWSN की शिक्षा की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी इसके प्रभावी क्रियान्वयन में कई चुनौतियां हैं। समावेशी शिक्षा के लिए प्रमुख चिंताएं इस प्रकार हैं :

i) **आधारभूत संरचना** : विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों की ढांचागत सुविधाएं अक्सर संतोषजनक नहीं होती हैं। कई संस्थानों में इष्टतम समर्थन प्रणाली अर्थात, ऑर्थोपेडिक दिव्यांगों के लिए ढलान वाला रास्ता, दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल और दृष्टि बाधित के लिए श्रव्य रिकॉर्डिंग, श्रवण बाधित के लिए साइन लैंग्वेज नहीं हैं।

ii) **नकारात्मक मनोवृत्ति और रूढ़ियाँ** : CWSN की शिक्षा पर आम धारणा और दृष्टिकोण नकारात्मक है। कुछ लोगों का मानना है कि अलग तरह से सक्षम शिक्षा, सरकार पर अतिरिक्त बोझ पैदा करेगी। कुछ अन्य कहते हैं कि पहले हमें सामान्य बच्चों को गुणवत्ता से पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, उसके बाद हमें इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। कुछ मामलों में अभिभावक और अभिभावक भी अपने बच्चों को विद्यालयों में भेजने की इच्छा नहीं रखते हैं।

iii) **समावेशी शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों के उचित प्रशिक्षण का अभाव** : ऐसे बच्चों को संभालने वाले शिक्षकों को वास्तविक अर्थों में व्यावसायिक व मानवीय होना चाहिए।

iv) वर्तमान पाठ्यक्रम, जाँच व मूल्याकन तंत्र तथा विद्यालय वातावरण, CWSN की आवश्येकता अनुसार होना चाहिए।

v) शिक्षक प्रशिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की कमी।

vi) **व्यक्तिगत बाधाएं** : संचार, निम्न प्रेरणा, असुरक्षा, कम आत्म–सम्मान और आत्मविश्वास, दुर्व्यवहार, लिंग, स्वभाव, पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी, सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यक और स्वास्थ्य की स्थिति आदि इन छात्रों को समावेश करने में कुछ बाधाएं हैं।

सकारात्मक हस्तक्षेप : सकारात्मक हस्तक्षेप या सकारात्मक भेदभाव समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दूरस्थ स्थान के लोगों, महिलाओं और CWSN का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। भारत सरकार ने आरक्षण, निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, निःशुल्क उपकरण, आदि जैसे विभिन्न सकारात्मक कार्रवाई वाले हाशिए वाले वर्गों के लिए प्रावधान किया है। इसके अलावा सरकार ने विभिन्न योजनाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रावधान किया है जैसे **'ईशान उदय'**– उत्तर पूर्व क्षेत्र के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, ईशान विकास – उत्तर पूर्वी छात्रों के लिए शैक्षणिक प्रदर्शन, उडान – बालिका शिक्षा का विकास, साक्षर भारत : वयस्क साक्षरता और 'प्रगति' (PRAGATI)– तकनीकी शिक्षा के लिए बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति। परन्तु लोगों में जागरूकता की कमी और सरकारी पहलों की कमी के कारण, इन नीतियों को अक्सर गंभीरता से लागू नहीं किया जाता है।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें।

5) समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

6) सकारात्मक हस्तक्षेप से आपका क्या तात्पर्य है?

.....

.....

.....

.....

.....

4.6 अधिगम प्रतिफल आधारित शिक्षा के मुद्दे

हमने खंड 4.4.2 में चर्चा की है कि छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता कई सरकारी पहल और प्रयासों के बावजूद एक प्रमुख मुद्दा है। शिक्षा की स्थिति की वार्षिक रिपोर्ट (ए.एस.ई.आर–एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018) और अन्य राष्ट्रीय सर्वेक्षणों ने प्राथमिक शिक्षा के पांच वर्षों के अंत में प्राथमिक छात्रों की असंतोषजनक सीखने की उपलब्धि पर चिंता व्यक्त की है। आप इस बात से भी अवगत हैं कि NCF (2005) के लागू होने के बाद शिक्षण से लेकर अधिगम तक और अपने बोध और ज्ञान के निर्माण के लिए शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए एक बड़ा बदलाव आया है। इसलिए पारंपरिक इनपुट आधारित, शिक्षक वर्चस्व वाले शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण के स्थान पर शिक्षार्थी केंद्रित, रचनावादी शिक्षण–अधिगम प्रक्रियाओं को स्थान दिया है और प्रत्येक चरण के साथ–साथ प्रत्येक कक्षा के पूरा होने के बाद अपेक्षित अधिगम की पहचान की है। उदाहरण के लिए,

कक्षा 1, कक्षा 2 और इसी तरह। आप अब तक समझ गए होंगे कि इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अवध्यान 'उद्देश्यों' से अधिगमकर्ताओं ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से ''क्या सीखा'' की ओर स्थान्तरित हो गया है। अत:, अधिगम प्रतिफलों के संदर्भ में व्यक्त किए गए शिक्षा के पाठ्यक्रम या चरण के पूरा होने के बाद अपेक्षित अधिगम ने गति प्राप्त की है और दुनिया भर में इसे स्वीकार किया है। अधिगम प्रतिफल एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाता है और विकास के सभी संकेतक यानी ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्य, अधिगम प्रतिफलों में शामिल हैं। अधिगम प्रतिफल (ओ.बी.ई– आउटकम बेस्ड लर्निंग) के महत्व को महसूस करते हुए एनसीईआरटी ने हाल ही में 2017 में प्रारंभिक स्तर पर विषयवार और कक्षावार अधिगम प्रतिफलों को विकसित किया है। उच्च शिक्षा स्तर पर भी इसी तरह के प्रयास किए गए हैं और यूजीसी ने भी उच्च शिक्षा स्तर पर ओबीई की सिफारिश की है।

4.6.1 तकनीकी शिक्षा में अधिगम प्रतिफल (लर्निंग आउटकम) आधारित शिक्षा

आउटकम बेस्ड एजुकेशन (ओबीई) एक छात्र–केंद्रित शिक्षण और अधिगम पद्धति है जिसमें पाठ्यक्रम वितरण, तथा उद्देश्यों और परिणामों को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध मूल्यांकन सम्मिलित है। अधिगम प्रतिफल आधारित शिक्षा किसी एकल शिक्षण पद्धति मूल्यांकन तकनीक को निर्धारित नहीं करती है, लेकिन यह उपयुक्त तरीकों को अपनाने के लिए शिक्षक को लचीलापन देती है। यह प्रतिफल प्रत्येक छात्र और विभिन्न गतिविधियों में उसकी भागीदारी पर केंद्रित है। इस प्रतिफल को दुनिया के विभिन्न देशों में 1994 और उसके बाद अपनाया गया है। 2014 में हमारे देश में इसे अपनाया गया, जब भारत वाशिंगटन समझौते (1989) का हस्ताक्षरकर्ता बन गया। अब इसे डिप्लोमा और स्नातक पाठ्यक्रमों जैसे उच्च तकनीकी शिक्षा में लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं प्रमाणन बोर्ड ने इंजीनियरिंग, फार्मेसी और प्रबंधन कार्यक्रमों को प्रदान करने वाले संस्थानों को ओबीई मॉडल को अपनाने के लिए बाध्य किया है।

OBE प्रतिमान छात्र के प्रदर्शन को मापने पर ध्यान केंद्रित करता है यानी विभिन्न स्तरों पर प्रतिफल। ओबीई प्रतिमान तीन मापदंडों में छात्रों की प्रगति को मापता है, अर्थात शैक्षिक कार्यक्रम उद्देश्य, कार्यक्रम प्रतिफल और पाठ्यक्रम प्रतिफल। कार्यक्रम के व्यापक उद्देश्यों के शैक्षिक उद्देश्य, जो स्नातकों की नौकरी और व्यावसायिक प्रदर्शन के बारे में चर्चा करते हैं और 4–5 वर्षों के बाद मापा जाते है। कार्यक्रम के प्रतिफल वो सीमित कथन हैं जो अपेक्षा करते हैं कि छात्र क्या जाने और स्नातक के समय में क्या प्रदर्शन करने में सक्षम हो? पाठ्यक्रम प्रतिफल प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए दिशा–निर्देश है जो छात्र प्रत्येक सेमेस्टर में लेता है। अधिगम प्रतिफलों को मापने के लिए विभिन्न मूल्यांकन उपकरण का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सेमेस्टर परीक्षाएं, ट्यूटोरियल, प्रदत्त कार्य, प्रोजेक्ट कार्य, प्रयोगशाला गतिविधियाँ, प्रस्तुति और नियोक्ता प्रतिप्रुष्टि/प्रतिक्रिया। ओ.बी.ई. को अपनाना, भारतीय तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक कदम है, लेकिन इसकी वास्तविक सफलता इसके प्रभावी रूप में अपना लेने पर निर्भर करेगी।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

7) ओबीई से आपका क्या मतलब है?

.....

.....

.....

.....

.....

8) किस वर्ष भारत ने वाशिंगटन समझौते को अपनाया?

.....

.....

.....

.....

.....

4.7 विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा में प्रणालीगत मुद्दे

4.7.1 विद्यालयी शिक्षा में प्रणालीगत मुद्दे

विद्यालयी शिक्षा, व्यक्ति और समाज के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और उच्च शिक्षा के लिए नींव बनाता है। प्राथमिक शिक्षा नींव है जिस पर प्रारम्भिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा निर्भर करती है, लेकिन दुर्भाग्य से प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संतोषजनक होने से बहुत दूर है। स्वतंत्रता के बाद से सभी के लिए शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए गए हैं लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता एक चिंता का विषय है। इसके अलावा कई प्रणालीगत मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें से कुछ के बारे में नीचे चर्चा की गई है :

i) **गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी** : विद्यालय को गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और अधिकांश राज्यों में बड़ी संख्या में शिक्षक के पद खाली हैं। कई राज्यों की सरकारें विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षकों की कमी के त्वरित समाधान के रूप में सह–शिक्षक या अतिथि शिक्षकों के रूप में कम योग्य शिक्षक नियुक्त कर रही हैं, आरटीई अधिनियम–2009, विद्यालय में सह –शिक्षकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। ये शिक्षक अक्सर अप्रशिक्षित होते हैं, और उन्हें केवल एक निश्चित वेतन मिलता है जो नियमित शिक्षकों की तुलना में काफी कम है। हालाँकि, वे नियमित शिक्षक के रूप में विद्यालय की सभी गतिविधियों में लगे हुए हैं जिससे उनमें असंतोष पैदा होता है और अंततः शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता हो जाता है।

ii) **अति कार्यभार से दबे शिक्षक** : प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त, जैसे कार्यालयी अभिलेखीकरण और अभिलेख संगरक्षण, पल्स पोलियो ड्यूटी, सफाई ड्यूटी, गणना ड्यूटी, जनगणना ड्यूटी तथा कई और चीजों जैसी कई तरह की कार्यों में लगना पड़ता है। ये सभी कर्तव्य उनके शिक्षण की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।

iii) **आधारभूत संरचना** : गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उपयुक्त बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है। यहाँ आधारभूत संरचना का अर्थ है भूमि, भवन, उपकरण, क्लासरूम, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय और आवास की सुविधा। इस दिशा मेंसर्व शिक्षा अभियान के

कार्यान्वयन के लिए काफी प्रयास किए गए हैं और विद्यालयों में नए भवनों का निर्माण किया गया है, लेकिन अभी भी कई सरकारी विद्यालयों में उचित कक्षाओं और उपकरण सुविधाओं का अभाव है। निजी विद्यालयों के मामले में, खुले क्षेत्र, खेल के मैदान और कक्षाओं में खराब वायु आवागमन गंभीर चिंताएं हैं।

iv) **कमज़ोर वर्गों का कम प्रतिनिधित्व :** जब तक यह सभी के लिए उपलब्ध नहीं होता तब तक शिक्षा का विस्तार संतोषजनक नहीं होगा। समाज के हाशिए के वर्गों के छात्रों को विद्यालयों में नामांकन और प्रतिधारण की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जनगणना (2011) के अनुसार सामाजिक श्रेणी और लिंग के आधार पर साक्षरता दर एक अंतर देखा गया था, अर्थात् कुल मिलाकर (73%), एससी (66%), एसटी (59%) और बालिकाएं (64%)। सामाजिक और आर्थिक अंतर हमारे देश में एक प्रमुख मुद्दा है और अस्पृश्यता, सामाजिक घृणा, संकीर्णता और रूढ़िवादी धार्मिक मान्यताएं, अशिक्षा, सांप्रदायिकता और भाई–भतीजावाद हमारे समाज में प्रचलित हैं। 'परदा' प्रथा के कारण कुछ अभिभावकों ने लड़कियों के लिए अलग विद्यालय की मांग की गई थी। निश्चित उम्र के बाद कुछ अभिभावक बालिकाओं को विद्यालयों में नहीं भेजते।

v) **ग्रामीण शहरी विभाजन :** ग्रामीण और शहरी शिक्षा प्रणाली के बीच एक व्यापक अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता शहरी क्षेत्रों से कम है। इसीलिए, माता–पिता और बच्चे शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के इच्छुक हैं। शहरी क्षेत्रों में न केवल शैक्षणिक संस्थान, अपितु बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएं जैसे कि अच्छे छात्रावास, बिजली, पुस्तकों की दुकानें, कोचिंग और पुस्तकालय आदि छात्रों को अपनी और आकर्षित करते हैं। अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई अभिभावक अपने बच्चों को शहरी क्षेत्र में भेज रहे हैं और इससे उनका पलायन होता है।

4.7.2 उच्च शिक्षा में प्रणालीगत मुद्दे

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली, दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी है जो लाखों युवाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को शामिल करती है। आजादी के बाद इसका का कई गुना विस्तार हुआ। 1950 में विश्वविद्यालय की कुल संख्या 18 थी जो 2018 में बढ़कर लगभग 800 हो गई। उच्च शिक्षा का निजीकरण, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत, विदेशी विश्वविद्यालय, फर्जी विश्वविद्यालय आदि उच्च शिक्षा की प्रमुख चिंताएँ हैं। उच्च शिक्षा के उभरते मुद्दों पर निम्नानुसार चर्चा की जा सकती है :

i) **पहुँच और समानता :** प्रत्येक प्रगतिशील समाज, समाज के सभी वर्गों के लिए उच्च शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करता है। भारतीय उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात 30 प्रतिशत है जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, जैसे अन्य देशों की तुलना में कम है। आप जानते हैं कि भारतीय समाज सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक परिपेक्ष में विविध है, अतः भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली पहुंच और समानता के सन्दर्भ में एक बड़ी चुनौती है जैसे एससी, एसटी, बालिकाएं। इस संबंध में सरकार को असमानताओं को कम करने और सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से विभिन्न सामाजिक समूहों तक पहुंच प्रदान करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है।

ii) **गुणवत्ता उच्च शिक्षा :** उच्च शिक्षा का कार्य, ज्ञान के विस्तार के लिए समुदाय के साथ शिक्षण, अनुसंधान और प्रत्यक्ष संपर्क है। उच्च शिक्षा का विस्तार वैश्विक घटना है लेकिन गुणवत्ता एक गंभीर चिंता है। उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। अनुसंधान और नवाचार

उच्च शिक्षा का आधार है, लेकिन अनुसंधान की गुणवत्ता बहुत ही निराशाजनक है, जैसा कि क्वाकेरेल्ली सायमंड्स (क्यू.एस) द्वारा विश्वविद्यालयों की विश्व रेकिंग में, कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय का शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में नाम नहीं है। वर्तमान समय में, गुणवत्ता के आधारभूत संरचना, योग्य शिक्षक और अन्य सहायक सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, अनुसंधान और शैक्षणिक लेखन में साहित्यिक चोरी, एक गंभीर समस्या है। इसलिए, सहयोगात्मक पहल करने और अनुसंधान की आवश्यकता पर शोध वातावरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और सरकार को अनुसंधान के लिए वित्त भी बढ़ाना चाहिए। गुणवत्ता में सुधार के लिए आंतरिक और बाहरी एजेंसियों द्वारा समय–समय पर शैक्षिक और प्रशासनिक लेखा परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए।

iii) **आईसीटी और शिक्षा** : प्रौद्योगिकियों की प्रगति के साथ, शिक्षण–अधिगम की प्रक्रिया के लिए नई संचार तकनीकों का विकास किया गया है। प्रौद्योगिकियों के विस्तार ने शिक्षा की उपलब्धता में वृद्धि की है और शिक्षण को प्रभावी और अधिगम को आसान बना दिया है। दुनिया भर में विभिन्न विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संगठनों द्वारा विभिन्न वेब आधारित पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। इस दिशा में हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं जैसे ई–पीजी पाठशाला, स्टडी वेबस ऑफ एक्टिव–लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM) ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क (GYAN) नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज (NROER) वर्चुअल लैब, फ्री एंड ओपन सोर्स फॉर एजुकेशन (FOSSEE) और राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (NDL)। अब, इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर/ लैपटॉप/टैबलेट और अन्य उपकरण, कई शैक्षणिक संस्थानों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन अभी भी कई संस्थान इन सुविधाओं से वंचित हैं।

iv) **मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा** (ओडीएल) मुक्त व दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) उन लोगों के लिए शिक्षा की एक वैकल्पिक प्रणाली है, जो शिक्षा को पूर्णकालिक रूप करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन इसकी गुणवत्ता अब एक चिंता का विषय है। ओडीएल प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए, आईसीटी आधारित अनुदेशन, और नए मापन और मूल्यांकन रणनीतियों का उपयोग करके, पाठ्यक्रम को अद्यतन करके इसे नवीनीकृत करने की आवश्यकता है।

v) **शिक्षक शिक्षा** : शिक्षक शिक्षा, शिक्षकों को व्यावसायिक बनाने और उन्हें अद्यतन रखने के लिए शिक्षा है। कहा जाता है कि शिक्षा की क्रांति शिक्षक शिक्षा से शुरू होनी चाहिए। उद्देश्य, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम की अवधि और मूल्यांकन रणनीति आदि हित धारकों और नीति निर्माताओं के बीच चर्चा का बारहमासी मुद्दा हैं। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रमुख चिंताएं नियमितता, मूल्यांकन में गड़बड़ी, इष्टतम विद्यालयी अनुभव और व्यावहारिक गतिविधियों की कमी, मांग व आपूर्ति के बीच बेमेलता, निजीकरण, व्यवसायीकरण, आदि हैं।

vi) **व्यावसायिक शिक्षा** : शिक्षा का एक उद्देश्य छात्रों को स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद अपनी आजीविका कमाने के लिए सुविधा प्रदान करना, समाज के उत्पादक सदस्य होना और राष्ट्रीय विकास में योगदान करना है। भारत जैसे देश के लिए व्यावसायिक शिक्षा अपने विशाल जनसांख्यिकीय लाभांश के कारण महत्वपूर्ण है। इसलिए, अधिक व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम और संस्थानों को गुणवत्ता कार्यबल और बुनियादी संरचना के साथ खोला जाना चाहिए और मौजूदा संस्थानों की स्थिति में सुधार करना चाहिए। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक या औद्योगिक प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता

पर ध्यान दिया जाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा के दृष्टिकोण को बदलने की भी आवश्यकता है। यह आम धारणा है कि व्यावसायिक शिक्षा उन लोगों के लिए है जो अध्ययन में अच्छे नहीं हैं या आगे की पढ़ाई के लिए नहीं जा रहे हैं, इस धारणा को आगे के अध्ययन के बाद उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

vii) **पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी)** : पीपीपी प्रतिमान, निवेश और शिक्षा की योजना के लिए एक प्रतिमान है, जहां एक सरकारी और निजी भागीदार दोनों मिलकर कार्य करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए गुणवत्ता, निवेश, बुनियादी ढांचे, सकल नामांकन अनुपात (GER–ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो) के संदर्भ में शिक्षा प्रणाली में सुधार करना आवश्यक है, लेकिन सरकार के लिए शिक्षा में बड़ी राशि का निवेश करना, मुश्किल है। इसलिए, अगर सरकार और निजी दोनों शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे, तो इससे सरकार का बोझ कम होगा।

viii) **उच्च शिक्षा की स्वायत्तता और जवाबदेही** : स्वायत्तता का अर्थ है, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के शैक्षणिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में नीतियां बनाने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता। ऐसा कहा जाता है कि उच्च शिक्षा को बाह्य बल और सरकार द्वारा अधिक नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यह पाया गया कि बाह्य बल, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विश्वविद्यालय/संस्थान की चिंताओं जैसे कि पाठ्यविषय और पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, मूल्यांकन पद्धति को बाधित करते हैं। स्वायत्तता और जवाबदेही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब विश्वविद्यालय/संस्थान स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, तो यह उनका दायित्व है कि वे समाज की शैक्षणिक आवश्यकता को पूरा करें और अगले स्तर पर शिक्षक अपने व्यावसायिक कार्यों के लिए जवाबदेह हों।

क्रियाकलाप

3) 'पीपीपी प्रतिमान भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त है' विषय पर शिक्षकों के साथ किसी भी विद्यालय में चर्चा का आयोजन करें। अपने सहयोगियों द्वारा पक्ष और विषय के विपक्ष दिए गए तर्कों का हवाला देते हुए एक प्रतिवेदन तैयार करें। अपने विचार भी लिखें।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

9) SWAYAM का विस्तृत रूप लिखें।

.....

.....

.....

.....

10) शिक्षा का PPP प्रतिमान क्या है।

.....

.....

.....

.....

4.8 सारांश

इस इकाई के माध्यम से हमने आपको शिक्षा की प्रमुख मुद्दों और चिंताओं को समकालिक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। भारतीय शिक्षा प्रणाली गतिशील है और बदलते परिदृश्य के साथ नए अवसर और चुनौतियां पैदा होती हैं और समाज को इसके साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। इकाई में चर्चा के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली निम्न स्तर की शिक्षण गुणवत्ता, शिक्षण के पारंपरिक तरीकों, निजीकरण, अपर्याप्त सुविधाओं के बुनियादी ढांचे, शिक्षा में भेदभाव, और वित्त की समस्या के लिए चुनौती का सामना कर रही है, तथा और व्यवहारिक ज्ञान पर केंद्रित ना होकर सैधांतिक पर अधिक ज्ञान पर है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने अलग–अलग कदम उठाए हैं और योजनाएँ लागू की हैं, ईशान उदय – उत्तर पूर्व क्षेत्र के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, ईशान विकास – उत्तर पूर्वी छात्रों के लिए शैक्षणिक प्रदर्शन, उड़ान–यह योजना बालिका शिक्षा के विकास के लिए समर्पित है, साक्षर भारतः प्रौढ़ साक्षरता, PRAGATI– तकनीकी शिक्षा के लिए बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति, स्वयं (SWAYAM)– महत्वकांक्षी युवा मस्तिष्क के लिए, वेब अध्ययन– उन GIAN– अकादमिक/शैक्षणिक नेटवर्क के लिए पहल। ये पहल भारत में शिक्षा प्रणाली की जरूरतों को पूरा करने में लाभकारी हो सकती है।

4.9 अभ्यास कार्य

1) भारत में उच्च शिक्षा के प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ क्या हैं?

2) देश के कमज़ोर वर्गों की शिक्षा में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों पर विस्तार से चर्चा करें।

4.10 संदर्भ सूची एवं उपयोगी अध्ययन सामग्री

- एन.सी.एफ (2005). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा. नई दिल्ली, एनसीईआरटी
- राव, डी.जे. (2010). एलीमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया. विवा बुक प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली।
- गोपालन, के. (1998). इंडियन स्ट्रेटेजीज तो अचीव यूनिवेर्सलिजेशन ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली।
- रामपाल, ए. (2000). एजुकेशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन साउथ एशिया एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम –35 अंक 30, 22 जुलाई।

4.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

1) स्वतंत्रता के बाद भारत ने 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता बनाई। सरकार ने इस संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिए समय–समय पर कई पहल की और 2002 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा –14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बन गई।

2) त्रिभाषा सूत्र बताता है कि हर बच्चे को कम से कम तीन भाषाएँ सीखनी चाहिए स्थानीय/मातृभाषा हिंदी और अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी या हिंदी को विषयगत भाषा के रूप में, तीसरी भाषा संविधान की अनुसूची आठ से उस राज्य के बाहर अन्य भाषा होनी चाहिए।

3) GER का अर्थ है सकल नामांकन अनुपात।

4) शिक्षा का निजीकरण कुछ गैर–राज्य या निजी समूहों को शैक्षणिक संस्थानों को चलाने की अनुमति देने की राज्य नीति को संदर्भित करता है।

5) समावेशी शिक्षा सामाजिक न्याय और मानव अधिकार के सिद्धांत पर आधारित नियमित कक्षा में अन्य बच्चों के साथ विशेष बच्चों को समान अवसर प्रदान करती है। यह सभी बच्चों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और हितों की रक्षा करते हुए एक साथ सीखने के लिए एक सामान्य सीखने का वातावरण प्रदान करता है।

6) सकारात्मक हस्तक्षेप या सकारात्मक भेदभाव समाज की सीमांत वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दूरस्थ स्थान के लोगों, महिलाओं और अलग–अलग लोगों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया है।

7) आउटकम बेस्ड एजुकेशन (अधिगम प्रतिफल शिक्षा) का कहना है कि विषय अथवा शिक्षा के पड़ाव पूरा होने के बाद अधिगम प्रतिफल या होना चाहिए। यह सीखने के प्रतिफल एक व्यापक दृष्टिकोण और विकास के सभी संकेतक अर्थात् ज्ञान, कौशल, मनोवृत्ति और मूल्यों को अपनाते हैं।

8) 2014

9) Study EBS of active learning for Yoong Aspiring Minds

10) पीपीपी, निवेश और शिक्षा की योजना के लिए प्रतिमान है, जहां एक सरकारी और निजी संस्थान दोनों सहयोग से काम करते हैं।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY